Friday, 15 May, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated On 3.2.84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
60 C(LA.)
Date 16/11/

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 59, शुक्रवार, 15 मई, 1970/25 वैशाख, 1892 (शक)

No. 59, Friday, May 15, 1970/Vaisakha 25, 1892 (Saka)

ता० प्र० संख्या — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

S.Q.Nos.

S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1651	देश में राष्ट्रीय उद्यानों (नेशनल पार्क) का विकास	Development of National Parks in the country	1-5
1652	पश्चिम बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों के लिए सुरक्षा प्रबंध	Security arrangements for former Ministers of West Bengal Government .	5-9
1653	पश्चिम बंगाल सरकार के लिए मुख्य सचिव की नियुक्ति	Appointment of Chief Secretary to Government of West Bengal . . .	9-13
1654	दिल्ली नगर निगम का निर्वाचन	Elections to Delhi Municipal Corporation . . .	13-14
1655	बड़े पत्तनों पर सुविधाओं में सुधार तथा आधुनिकीकरण	Improvement and Modernisation of Facilities at Major ports . . .	14-16
1656	राज पत्र तथा अन्य प्रकाशनों को हिन्दी तथा अंग्रजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करना	Printing of Gazette and other publications in both Hindi & English	17-18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1657	अनुवाद ब्यूरो की स्थापना	Setting up of Translation Bureau	18
1658	राज्यों के मुख्य सचिवों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of posts of Chief Secretaries of States . .	18-19

किसी नाम पर अंकित यह * इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign * marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

M/B(D)9LSS—2(a)

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1659	चौथी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा	Free education for girls in Fourth Five Year Plan .	19
1660	टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा चंद्र चट्टान के संबंध में अनुसंधान कार्य	Research on lunar Rock by Tata Institute of Fundamental Research . .	20
1661	अनुवादकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षावृति	Fellowships for Training of Translators . . .	20
1662	पश्चिम हिमाचल में पर्यटकों के रुचि के स्थान	Places of Tourist interest in Western Himalayas . .	21
1663	पश्चिम जर्मनी के पोत प्रांगण में भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिये जहाजों का निर्माण	Construction of vessels for Indian shipping companies at West German Shipyards	21—22
1664	मद्रास पतन पर अयस्क उतारने चढ़ाने के लिये यंत्र चालित वर्थ (घाट) की स्थापना	Installation of Mechanised ore Berth at Madras Port	22—23
1665	जाधवपुर विश्वविद्यालय मे नक्सलवादी तत्व	Naxalite elements in Jadavpur University . .	23
1666	बोइंग 707 द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हवाई अड्डों को जेम्बो जेट (बोइंग 747) के लिये उपयुक्तता	Suitability of Airport used by Boeing 707 for Jumbo Jet (Boeing 747) . .	23—24
1667	विभिन्न मंत्रालयों के बीच हिन्दी तथा अंग्रेजी में पत्र व्यवहार	Correspondence in Hindi and English between various Ministries . .	24
1668	जनता की शिकायतों को दूर करने हेतू नई दिल्ली में सभाओं के लिये स्थान	Speakers' Corner in New Delhi for ventilating Public Grievances . . .	25
1669	अन्तर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेना	Participation in International Wrestling Competitions .	25—26
1670	दिल्ली पुलिस के लिये भर्ती	Recruitment for Delhi Police	26
1671	सरकारी होटलों तथा पर्यटक केन्द्रों को भारत पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव	Proposal to place Government Hotels and tourist Centres under India Tourism Development Corporation	26—27
1672	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय तथा उसके अधीन सरकारी उपक्रमों द्वारा काम में लाई गई विज्ञापन तथा जन सम्पर्क एजेंसियां	Advertising and public relations agencies used by Ministry of Tourism and Civil Aviation and public Undertakings thereunder .	27—29

ता॰प्र॰संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1673	बिहार में बम विस्फोट	Bomb explosions in Bihar .	29
1674	भारत के पर्यटन विकास निगम यात्री के प्रकाशन कार्य का बिड़ला फर्म को सौंपा जाना	Production of Yatri entrusted to a Birla concern by India Tourism Development Corporation . .	29--30
1676	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में लेनिन शताब्दी का मनाया जाना	Celebration of Lenin Centenary at Aligarh University	30—31
1677	दिल्ली विश्वविद्यालय में अवर स्नातक कक्षाओं में दाखिला	Admission to under graduate classes in Delhi University	31
1678	तेलंगाना की समस्या	Telengana Problem . .	31—33
1679	वाईकाउंट तथा फोकर फ्रैंडशिप विमानों के स्थान पर नये विमानों का चयन	Selection of new aircraft in place of Viscounts and Fokker Friendships .	33—34
1680	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान करना	According of sanction for works recommended by international airports Committee in respect of international Airports . .	34—35
अतारांकित प्रश्न संख्या Unstarred Question Nos.			
9776	अर्न्तराष्ट्रीय मुठभेड़	Inter State Clashes . .	35
9777	दिल्ली के सरकारी होटलों में ठहरने वालों की औसत प्रतिशतता	Percentage of average occupancy in Government Hotels in Delhi	35—36
9778	हवाई अड्डों पर उतरने के लिये अपर्याप्त मार्ग निर्दिशत सुविधाओं के सम्बंध में केप्टन इट्टीलौरे को टिप्पणी	Captain Ettelore's observations about inadequate Navigational facilities for landing at Airports . .	37
9779	केरल में नीदकारा पुल का निर्माण	Construction of Neendakara bridge in Kerala . .	37—38
9780	ताजमहल, आगरा में प्रवेश के लिय शुल्क	Fee for entry to the Taj Mahal, Agra . . .	38—39
9781	अनुभाग अधिकारी के पदों पर नियुक्तियों के लिय वर्ष 1959 तथा 1960 में हुई परीक्षाओं के उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों में से बचे हुए व्यक्तियों की नियुक्ति	Absorption of left overs of 1959 and 1960 Examinations to the Grade of Section Officer . .	39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9783	न्यायपालिका और न्यायालयों में विलम्ब की समस्याओं से निपटने के लिए एक अलग न्याय मंत्रालय का बनाया जाना	Creation of a separate Ministry of Justice to deal with problems of judiciary and delays in courts .	40
9784	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रेल यात्रा प्रतिपूर्ति योजना को उदार बनाना	Demand for liberalisation of rail travel scheme reimbursement to Central Government Employees . .	40
9785	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एम० ए० में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना	Introduction of correspondence courses in M.A. by Delhi University . . .	41
9786	दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय स्कूलों में दाखिला	Admission to Central Schools in Delhi/New Delhi .	41—42
9788	गुजरात में बन्दरगाहों के लिए अपेक्षित ड्रैजरों की कमी	Dearth of dedgers required for ports in Gujarat . .	42
9789	गुजरात में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Gujarat	42—43
9790	गुजरात राज्य में हरिजनों पर हमले	Assaults on Harijans in Gujarat State . . .	43—44
9791	असैनिक उड्डयन विभाग में रेडियो आपरेटरों और रेडियो तकनीशियनों (सिलैक्शन ग्रेड) के पद	Posts of Radio operators and Radio Technicians (Selection Grade) in Department of Civil Aviation . .	44
9792	पब्लिक स्कूलों की स्थापना के बारे में नियम	Rules for setting up Public Schools	44—45
9793	दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्राईवेट स्कूलों को मान्यता देना	Recognition to private schools in Delhi and New Delhi .	45—46
9794	सम्पत्ति के विभाजन के लिये रामपुर के नवाब के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति	Permission for filing suit against Nawab of Rampur for Partition of property .	46
9795	केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय, नई दिल्ली	Central Archaeological Library, New Delhi . .	46—47
9796	राज्यों में अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड	Selection Grades for Teachers in States . . .	47
9797	विदेशी धर्म प्रचारकों को नागरिकता प्रदान करना	Nationalisation of foreign Missionaries . . .	47—48

अता०प्र०संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9798	मैसूर राज्य के लिये पर्यटन योजनाएं	Tourism schemes for Mysore state	48
9799	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकरण और उसके द्वारा एकत्र की गई गुप्त निधि का उपयोग	Working of Rashtraya Swayam Sewak Sangh and Utilisation of Secret fund raised by it	49
9800	शिव सेना की गतिविधियां	Shiv Sena Activities . .	50
9801	बिहार में जुलूस पर आक्रमण	Attack on procession in Bihar	50—51
9802	पश्चिम बंगाल में खेले गये जलियांवाला बाग नाटक में महात्मा गांधी की आलोचना	Criticism of Mahatma Gandhi in Jallianwalla Bagh play staged in West Bengal .	51
9803	जम्मू तथा काश्मीर की मुक्ति के लिए छापामार संघर्ष	Guerrilla type struggle for liberation of Jammu and Kashmir . . .	52
9804	पश्चिमी बंगाल के मंत्री का अपहरण	Kidnapping of West Bengal Minister	52
9805	अशोक नगर (मध्य प्रदेश) में पाकिस्तानी बमों का बरामद होना	Recovery of Pakistani bombs in Ashok Nagar (Madhya Pradesh)	52—53
9806	जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूस	Pak spies in Jammu and Kashmir . . .	53
9807	भारत पाक पुनएकीकरण के पक्ष का प्रचार करने वाली संस्थाएं	Institutions advocating Indo-Pak. re-union . .	53
9808	मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिये गृह विभाग का प्रयोग	Use of Home Department by CPI(M) for political purposes	54
9809	अजमेर में पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani national in Ajmer .	54—55
9810	कच्छ पाकिस्तान सीमतांर किसानों और सेवा निवृत जवानों को बसाना	Settlement of farmers and retired Jawans on Kutch Pakistan border . .	55
9811	जनसंघ द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले एक समाचार पत्र के लिये दिल्ली के एक शराब के ठेकेदार द्वारा दान देना	Donation by a Delhi liquor contractor for newspaper to be brought out by Jan Sangh . . .	55—56
9812	शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रमों के विरुद्ध शिकायत के बारे में संसद् सदस्यों का शिक्षा मंत्री को पत्र	Letter from a Member of Parliament to Education Minister re. complaint against present Courses of Education . . .	56

अता०प्र०संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9813	पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल तथा राज्यपाल के कार्य के बारे में विवाद	Controversy over C.P.M. and Governor's role in West Bengal	56
9814	सर्व श्री गिल पैट्रिक और आईसनबर्ग की गतिविधियां	Activities of Messrs Gilpatric and Isenberg . . .	57—58
9815	जम्मू और काश्मीर जन सम्मेलन में भाग लेने वालों को अनुमति दिये जाने के लिये शेख मुहम्मद अब्दुला का पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पत्र	Sheikh Mohd. Abdullah's letter to Pak. President to permit persons to attend J & K people's convention . .	58
9816	पाकिस्तानियों द्वारा आसाम की सीमा पर लगे स्तम्भों का हटाया जाना	Removal of boundry pillars by Pakistanis on Assam border	58—59
9817	नेफा के बारे में चीनी योजनाएं	Chinese Plans for NEFA .	59
9818	पूर्वी पाकिस्तान के छापामारों तथा भारतीय ग्रामीणों के बीच भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाछढ़ा में सशस्त्र मुठभेड़	Armed Encounter between East Pak. Raiders and Indian Villagers at Pachhra on Indo-Pak. Border .	60
9819	जनता के लिये भारतीय न्यायिक सेवा में अच्छी व्यवस्था करना	Radical overhaul of Indian Judicial Service to Public	60—61
9820	केन्द्रीय बचाओ समिति द्वारा करोल बाग, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में पास किया गया संकल्प	Resolution passed by the Kendriya Bachao Samiti at a meeting held in Karol Bagh, New Delhi . .	61
9821	पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयत्न	Attempts on life of former Chief Minister of West Bengal	61—62
9822	देश के राजमार्गों और दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents in Delhi and on National Highways in the country	62
9823	उत्तरी अंडमान द्वीप समूहों में अधिवासियों की गिरफतारी	Arrest of settlers in North Andaman Islands . .	62—63
9824	हिंडन नदी (जिला मेरठ) के पास कसेरी में खुदाई	Excavation at Kaseri near Hindon River (Meerut District) . . .	64
9825	डाक्टरों और इंजीनियरों की अनिवार्य भर्ती	Conscription of doctors and Engineers . . .	64—65

अता०प्र०संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9826	केरल ग्रन्थ शाला संगम, त्रिवेन्द्रम	Kerala Grandha Sala Sangham, Trivandrum . . .	65
9827	एयर इंडिया को विभिन्न मार्गों मे प्राप्त हुए यातायात (यात्री तथा भार) की प्रतिशतता	Percentage load Factory achieved by Air India on Various Routes . .	66
9828	देश के अल्प संख्यक समुदायों की शिकायतों की जांच करने के लिये आयोग की नियुक्ति	Appointment of a commission to go into complaints of Minority Communities .	67
9829	पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा शासन मे मारे गये कृषकों को आश्रितों को मुआवजा	Compensation to dependents of cultivators killed during U.F. Rule in West Bengal	67
9830	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2 पर बाहरी सड़क का निर्माण	Construction of By pass Road on National Highway No. 2	67—68
9831	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व	Representation to scheduled castes and scheduled tribes organisations . . .	68
9832	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कर्मचारी कल्याण संघ का रजिस्ट्रेशन	Registration of All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees Welfare Association .	69
9833	हरिजनों तथा हरिजन लड़कियों पर ज्यादतियों को रोकने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का संगठन	Setting up of a High Power Commission to check Atrocities on Harijans and Harijan Girls . .	69—70
9834	मंत्रालयों में हिन्दी न जानने वाले अधिकारी	Non-Hindi knowing officers in Ministries/Offices . .	70
9835	उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाटों द्वारा हरिजनों पर ज्यादतियां	Atrocities by Jats on Harijans in certain districts of Uttar Pradesh . .	71
9836	मंत्रियों के निजी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग	Scheduled Castes and Scheduled Tribes among personal staff of Ministers	71—72
9837	मंत्रालय में हिन्दी में टिप्पनी और मसौदा लेखन	Hindi Noting and Drafting in Ministries . . .	72
9838	प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम	Adult Education Programme	72—73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9839	स्थाई सरकारी कर्मचारियों की वरीयता	Seniority of permanent Government Employees .	73
9840	चौथी पंचवर्षीय योजना शिक्षा के लिये धन की नियतन	Allocation for Education during Fourth Five Year Plan	73—74
9841	मुज़फरपुर से विमान सेवा चालू करना	Operation of Air Service from Muzaffarpur . .	74
9842	दानापुर और अनीसाबाद मे सैंट्रल स्कूलों के शिक्षकों का स्थानातरण	Transfer of Teachers of Danapur and Anisabad Central Schools . .	75
9843	पश्चिम बंगाल में एक साम्प्रदायिक दल की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti National Activities of a Communal Party in West Bengal . .	76
9844	नक्सलवादियों द्वारा जोतदारों का सर्वनाश	Annihilation of Jotedars by Naxalites . . .	76
9845	सीमा आयोग की स्थापना पर पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया	Reaction of Punjab Government towards setting up of a Boundary Commission . . .	77
9846	दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सल वादियों की गतिविधयों	Naxalite activities in Delhi University . . .	77
9847	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के निदेशकों के विरूद्ध निराधार आरोप	Unfounded Allegations against Directors of CSIR . .	78
9848	कर्मचारियों की भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि	Raising of age limit for recruitment of Employees .	78
9849	गारो पहाड़ी ज़िले में श्रद्धेय फादर डिकोस्टा की हत्या	Murder of Rev. Father D Costa in Garo Hills District	79
9850	व्यापारी समुदाय के लिये राजनैतिक मंच	Political platform for business Community .	79
9851	संस्कृत साहित्य का हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद	Translation of Sanskrit Literature into Hindi and Regional languages . .	79—80
9852	रामायण और महाभारत के कालों के एतिहासिक स्थानों कि सत्यता	Authenticity of Historical places of Ramayana and Mahabharta Period .	80—81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9853	दिल्ली के कालिजों में छात्रों का प्रवेश	Admission of students to Delhi Colleges . . .	81—82
9854	उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये मध्यावधि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार को जान माल के खतरे के बारे में अभ्यावेदन	Representation re. Danger to the Life and property of a candidate during Mid term elections to U.P. Assembly . .	82
9855	क्षेत्रिय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद की बजट संबंधी मांगें	Budget demands of Regional Research Laboratory, Hyderabad	83
9856	स्कूल स्तर की शिक्षा की आर्थिक विकास से सम्बद्ध करने के संबंध में प्रयोगात्मक आधार पर परियोजना आरम्भ करना	Launching of Pilot project for linking school education with Economic Development . . .	83—84
9857	दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of posts for scheduled castes in Delhi Municipal Corporation .	84
9858	प्रौढ़ शिक्षा योजना की क्रियान्विति	Implementation of Adult Education Scheme . .	84—85
9859	चंडीगढ़ में कहारियों के लिये बस्ती	Colony for Kaharis in Chandigarh . . .	85
9860	चंडीगढ़ में दुकानों तथा वाणिज्यिक संस्थानों के समीप पार्क	Parks near Shops and Commercial Establishments in Chandigarh . .	85—86
9861	कलकत्ता में नक्सलवादियों द्वारा ट्राम कार पर हमला	Attack on Tram Car by Naxalites in Calcutta .	86
9862	सागर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया गया अनुदान	Grants given by UGC to Saugar University . .	86—87
9863	मध्य प्रदेश के इंजीनियरी कालेजों को सहायता	Assistance to Engineering Colleges in Madhya Pradesh	87
9864	मध्य प्रदेश में मन्दिरों में से मूर्तियों की चोरी	Theft of Idols from Temple in Madhya Pradesh . .	88
9865	प्रदेश के छात्रों को विदेशी छात्रवृत्ति	Foreign Scholarship to students of Madhya Pradesh	88
9866	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग	Use of English in Madhya Pradesh High Court .	88—89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9867	नक्सलवादियों की प्रथम वर्षगांठ	First Anniversary of Naxalites	89
9868	ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये योजना	Scheme for awarding scholarships to school boys in Rural Areas . . .	90
9869	भारत में पुस्तकों के अनुवाद के लिये अमरीका तथा ब्रिटेन से प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त करना	Acquiring of copyright from USA and UK for translation of Books in India .	90
9870	मंत्रालयों में जीवन चरित्र सम्बन्धी आंकड़े संग्रह (अनुभाग केरियर मैनेजमेंट सेल)	Career Management Cell in Ministries . . .	90—91
9871	आयोजन तथा वास्तुकला स्कूल द्वारा दिल्ली की यातायात समस्याओं का अध्ययन	Study of traffic problems of Delhi by School of Planning and Architecture .	91
9872	भारतीय प्रशासन के बारे में पाल एप्पलबी का प्रतिवेदन	Paul Appleby report on Indian Administration .	91—92
9873	वनस्थली विद्यापीठ, डा० ग्राहम होम और आंग्ल भारतीय शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राज्यि बोर्ड को सहायता	Assistance to Banasthali Vidyapeeth, Dr. Graham's Home and Inter State Board for Anglo Indian Education . . .	92
9874	ग्वालियर किले में रज्जु गाड़ी की व्यवस्था	Provision of a rope train at Gwalior Fort . . .	93
9875	गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर जाली नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of forged currency notes at Giridih Railway Station . . .	93
9876	पालम हवाई अड्डा स्थित टर्मिनल बिल्डिंग के गेटों पर कर्मचारी नियुक्त करने वाले असैनिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारी के विरुद्ध शिकायत	Complaint against officials of DSCA manning gates of terminal Building at Palam Airport . .	93—94
9877	दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र को नया रूप देना	Re-modelling of Sadar Bazar area in Delhi . . .	94
9878	लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली का प्राशासनिक निकाय	Administrative body for Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeeth, Delhi . .	95
9880	संग्रहालयों का विकास	Development of Museums	96

अता० प्र०संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9881	केरल को दिये गये केन्द्रीय निदेशों को क्रियान्वित न किया जाना	Non-Implementation of Central Directives to Kerala .	96
9882	चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिये धन के नियतन के बारे में मतभेद	Difference of opinion Re. Allocation for Toursim during Fourth Plan . .	96
9883	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एच० एस० 748 विमान का चलाया जाना	Operation of HS-748 by IAC	97
9884	कानपुर निर्मित एच० एस० 748 विमान की असफलता	Failure of Kanpur made HS-748 Aircraft . .	97--98
9885	पंजाब में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalites activities in Punjab	98
9886	कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in offices	98—99
9887	शिक्षा मंत्री के कार्यालय में हिन्दी आशुलिपिक की नियुक्ति	Appointment of Hindi Stenographer in Education Minister's Office	99
9888	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकें	Text Books prepared by NCERT	99—100
9889	शिक्षा मंत्रालय में संसदीय सहायक	Parliament assistants in Education Ministry .	100-101
9890	डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में पुलिस गश्त और यातायात प्रबंध की अपर्याप्त स्थिति	Inadequate police patrolling and Traffic arrangements in Defence colony, New Delhi	101-102
9891	लोअर डिविजन क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Lower Division Clerks	102--103
9892	यू० के० कन्टीनेन्टल कान्फ्रेंस लाईन्स द्वारा नौवहन भाड़े की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव	Proposal by U.K. Continental Conference Lines to increase Shipping Freight Rates .	103
9893	हड़ताल कर रहे रेलवे कर्मचारियों पर सैनिकों द्वारा गोलाबारी	Fire by Army men on Striking Railway Workers . .	103—104
9894	विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाना	Acquainting Foreign Tourists with Indian Culture .	104
9895	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पाई गई फटे हुए तथा जले हुए पृष्ठों वाली गीता	Burnt and Torn pages of Gita found in Aligarh University	104--105

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9896	भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबन्धियों को विदेशी दूतावासों में नौकरियां देना	Employment of Relations of ICS/I.A.S./I.P.S. Officers in Foreign Embassies .	105
9897	स्कूलों और कालेजों को अनुदान	Grants to Schools and Colleges	105
9898	दिल्ली में होम गार्डस् संगठन	Home Guards organisation in Delhi	105—106
9899	राज्यों के संवैधानिक अध्यक्षों द्वारा व्यक्त मत	Views expressed by Constitutional Heads of Sstates .	106—107
9900	दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Girls Students of S.C. and S.T. in Delhi .	107
9901	नासिक में हिन्दुओं के देवता की मूर्ति से चुराये गये हीरे की बिक्री	Sale of Diamond Stolen from Hindu Idol in Nasik .	107
9902	ड्रेजरों की वर्तमान क्षमता तथा भविष्य में उनकी आवश्यकता	Existing capacity and future requirements of dredgers .	108—109
9904	असैनिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा विभिन्न संवर्गों के लिये माडल रोस्टरों का रखा जाना	Maintenance of Model Rosters by Director General of Civil Aviation for Various Cadres	109
9905	अनुसूचित जाति-अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों के लिये असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के कार्यालय में एक सम्पर्क सेल की स्थापना	Setting up of Liaison Cell in the office of Director General of Civil Aviation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees . . .	109—110
9906	होटलों में बिकने वाली शराब के मूल्यों पर सरकार का नियंत्रण	Government's control on prices of liquor served in hotels	111
9907	सड़क विंग में श्रेणी एक के तकनीकी अधिकारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of Class I technical officers in Roads Wing	111—112
9908	शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पंजाब के चुनाव	Holding of Elections to S.G.P.C. Punjab . .	112
9909	राष्ट्रीय एकता समिति की बैठकें	Meeting of National Integration Committee . .	112—113

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9910	वर्ष 1969 में दिल्ली परिवहन उपक्रम की कार्य हानि	Working loss of Delhi Transport undertaking in 1969 .	113—114
9911	बंगलौर में डैविस कप प्रतियोगिता (टाई) में टेनिस गेंदों की सप्लाई	Supply of Tennis Balls in Davis Cup tie at Bangalore	114—115
9912	राजस्थान में सवाई माधोपुर गांव में मृगवन का विकास	Development of Sanctuary in Sawai Madhopur in Rajasthan	115
9913	भारतीय वायु सेना के अधिकारी की मृत्यु की जांच	Enquiry into death of an IAF Officer . . .	115
9915	भारत के महा पंजीयक कार्यालय के कर्मचारियों की सेवाओं का स्थायीकरण	Confirmation of employees of the Office of Registrar General of India . .	115—116
9916	हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Allegations against Haryana Chief Minister . . .	116
9917	कुश्ती विकास कार्यक्रम	Development of wrestling .	116—117
9918	पुस्तकों पर प्रतिबन्ध	Ban on books . . .	117
9919	मैसूर राज्य में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Hindi University in Mysore State . .	117—118
9920	इत्तागी (मैसूर) का महादेव मन्दिर	Mahadev Temple Ittagi (Mysore) . . .	118
9921	आन्ध्र प्रदेश—मैसूर सीमा पर मंत्रालय के निकट मधावरम पुल का निर्माण	Construction of Madhavaram bridge near Mantralaya on Andhra Pradesh-Mysore border	119
9922	राष्ट्रीय राजपथों पर कार्यरत श्रमिकों को स्थायी बनाना	Confirmation of labourers engaged on National Highways	119
9923	जापान के जहाज निर्माण कारखानों द्वारा टैंकरों की सप्लाई	Supply of Tankers of Japanese shipyards . .	120
9924	भारतीय टीमों द्वारा एडिनबरा में राष्ट्रमंडल खेल कूदों में भाग लेना	Participation of Indian teams in Commonwealth games, Edinburgh . . .	120—121
9927	आकाशवाणी विद्यालय की स्थापना	Establishment of Akashvani Vidyalaya . . .	121
9928	आसाम में सीमा सुरक्षा दल को भेजे गये गुप्त होने वाले रिवाल्वर	Missing Revolvers meant for B.S.F. in Assam .	121

U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9929	योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत रिहायशी पब्लिक स्कूल	Residential public Schools under merit Scholarships Scheme	122
9930	योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत रिहायशी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिये चयन करने का तरीका	Mode of Selection for Admission to Residential Public Schools under Merit Scholarship Scheme .	122—123
9931	विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली आयोजन तथा वास्तुकला स्कूल को क्षति पहुंचाने के बारे में जांच	Enquiry into the Damage done by student to school of Planning and Architecture, Delhi . . .	123—124
9932	स्कूल की पाठ्यपुस्तकों की किस्म तथा स्तर में गिरावट आना	Decline in Standard and quality of School Text Books	124
9933	गंगा नदी में परिवहन सेवाएं चालू करने की योजना	Scheme for Running River Services in the Ganges .	124—125
9934	इन्दिरा मार्कीट, नई दिल्ली	Indra Market, Delhi .	125
9935	दिल्ली पुलिस में सब इंस्पैक्टरों की भर्ती	Recruitment of sub-inspectors in Delhi Police . .	125—126
9936	इन्दिरा मार्कीट, दिल्ली में ट्रक तथा कारों आदि को खड़ी करना	Parking of trucks, cars etc. in Indra Market, Delhi .	126
9938	दिल्ली में बेहतर सुविधायें देने के लिए जल, बिजली तथा परिवहन उपक्रमों की योजनायें	Plans of Water, Electricity and Transport Undertakings in Delhi to provide better amenities . .	127
9939	फेराईट का उत्पादन	Production of Ferrite .	127—128
9940	लेह खारजोंग रोड पर विश्राम गृह का निर्माण	Construction of rest house on Leh Kharjong Road .	128
9941	मुंगेर में बन्दूक बनाने वालों के कोटे में वृद्धि	Increase in Quota of Gun Manufacturers in Moonghyr	128—129
9942	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के लिये सलाहकारों की नियुक्ति	Appointment Advisers to West Bengal Governor .	129
9943	सरकारी कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता	Inter seniority of Government employees . . .	129—130
9944	केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के अन्तर्गत अधिकारियों की पदोन्नति के लिये तालिकाएं	Panels for promotion of officers under Central Secretariat Services Scheme	130

अता० प्र०संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9944-क	भारत को रूसी तेल वाहक तटीय जहाजों और माल वाहक जहाजों की बिक्री	Talks on sale of Soviet Coastal Tankers and Cargo Ships to India . . .	130—131
9944-ख	राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का स्थानान्तरण	Shifting of National Academy of Administration . .	131
9944-ग	नेपाल में नक्सलवादी नेता	Naxalite Leader in Nepal .	131
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना : गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की समाधी का गंगा नदी द्वारा कटाव	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance : Erosion by Ganga of Samadhi of Gurudeva Rabindranath Tagore .	132—133
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	134—135
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	136
	कार्यवाही सारांश—	Minutes—	
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	136—137
	विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill . . .	137
	सभा का कार्य	Business of the House .	137—141
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक : खंड 2 से 6 और 1	University Grants Commission (Amendment) Bill Clause 2 to 6 and 1 . . .	141—149
	पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में :	Motion to Pass, as amended :	
	श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	150
	श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K.P. Singh Deo .	150
	श्री एस कन्डपन	Shri S. Kandappan .	150
	श्री रा० डो० भण्डारे	Shri R.D. Bhandare .	150—151
	श्री इसहाक सम्भाली	Shri Ishaq Sambhali .	151
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	151
	डा० वी० के० आर० वी राव	Dr. V.K.R.V. Rao . .	151—152
	गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति : त्रेसठवां प्रतिवेदन	Committee on Private Member's Bills and Resolution : Sixtythird Report . .	153

M/B(D)9LSS—3

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
पश्चिम बंगाल की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में संकल्प	Resolution Re. Economic and Social Problems of West Bengal	153
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta .	153—158
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	158
श्रीमति इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhuri	160—161
श्री स्वतंत्र सिंह काठोरी	Shri S.S. Kothari . .	161—162
श्री एस० आर० दमानी	Shri S.R. Damani . .	162—163
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D.N. Patodia . .	164—165
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee . . .	165—166
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H.N.Mukerjee . .	166—167
श्री सरदार अमजद अली	Shri Sardar Amjad Ali .	167—169
आधे घंटे की चर्चा शेयरों में वायदे के सौदे को पुनः जारी करना	Half an-Hour Discussion Resumption of Forward Trading in Shares . .	169—171
श्री सु० कु० तापुडिया	Shri S.K. Tapuriah . .	169
श्री रा० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar .	171

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 15 मई, 1970/25 वैशाख, 1892 (शक)

Friday, May 15, 1970, Vaisakha 25, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the chair)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

देश में राष्ट्रीय उद्यानों (नेशनल पार्क) का विकास

***1651. श्री स० कुण्डू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मृग वनों तथा राष्ट्रीय उद्यानों का संवद्र्धन और विकास करने हेतु अधिक माता में धन खर्च करने की योजना बना रही है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 'सिमूलीपहाड़' नामक एक बहुत सुन्दर राष्ट्रीय उद्यान है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समुचित सहायता देकर इस उद्यान का विकास करने तथा इसे एक मृग-वन बनाने का भी है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में उड़ीसा सरकार से विचार विमर्श किया है, और क्या अधिकारियों के किसी दल ने 'सिमूलीपहाड़' का दौरा किया है ;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दल के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि ऐसा कोई दल वहां नहीं गया है, तो क्या सरकार का विचार अब कोई ऐसा दल भेजने और उस उद्यान का विकास करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री : (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान वन्य जीव पर्यटन के विकास के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था है । चुने हुए राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य पशु शरण स्थानों, अर्थात्, कान्हा, कार्बेट, पेरियार, काजीरंगा, गिर और भरतपुर-सारिका में विभिन्न सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

(ख) 'सिमूलीपहाड़' न तो राष्ट्रीय उद्यान है, न कोई पशु शरण स्थान; वरन् यह एक वन क्षेत्र है । सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार के लिये इस क्षेत्र का विकास करना संभव नहीं है ।

(ग) से (ङ) भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति वर्तमान राष्ट्रीय उद्यानों तथा पशु शरण स्थानों के सर्वेक्षण के प्रयोजन से विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही है । समिति शीघ्र ही उड़ीसा जायेगी ।

श्री स० कुन्दू : मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम एक विशेषज्ञ समिति को तो उड़ीसा भेजना स्वीकार किया, और जब वह समिति उड़ीसा जायेगी, तो समिति के सदस्य उस रमणीय स्थान को भी देखेंगे । परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को मालूम है कि विश्व के कुछ भागों में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संग्रहालय बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और इनके द्वारा सरकारें काफ़ी विदेशी मुद्रा कमा रही है । इस दृष्टि से, ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य-जीव संग्रहालयों की रूपरेखा तैयार करने, उन्हें निर्मित तथा विकसित करने के बारे में हमारी राष्ट्रीय नीति क्या है तथा इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशी नियत की गई है, और वे मानदण्ड क्या हैं जिनके आधार पर केन्द्र सरकार ऐसे राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य-जीव उद्यान खोलने का निर्णय करती है तथा उन्हें सहायता देती है ?

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं । पहला प्रश्न यह है कि अनेक दूसरे देशों में वन्य-जीव संग्रहालयों की ओर पर्यटक आकर्षित होते हैं और उसी लिये वह देश बड़ी मात्रा में इसमें धन लगा रहे हैं । और उन्होंने पूछा है क्या भारत में भी इन में कुछ धन लगाया जा रहा है । भारत भी देश में वर्तमान वन्य-जीव की संख्या तथा विदशियों के उनके प्रति आकर्षण के बारे में पूरी तरह अवगत है । परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में हमें इस पर केवल 50 लाख रुपये खर्च करने हैं । यह राज्य सरकारों की इच्छा पर है कि वे अपने वन्य-जीव संग्रहालयों पर कितना धन खर्च करते हैं । एक वन्य-जीव संग्रहालय बनाने के लिये राज्य सरकार को वन का एक भाग चुनना होता है और विधान सभा के एक अधिनियम के अधीन इस संबंध में अधिसूचना जारी करनी होती है । यही बात राष्ट्रीय उद्यानों के लिये भी है । यह सब कुछ किसी विशिष्ट क्षेत्र में वन्य-जीवों की काफ़ी मात्रा और वन्य-जीव कौन कौन हैं इस पर निर्भर करता है और यह पूरी तरह राज्य सरकार पर ही निर्भर है कि वह ऐसा भूमि का टुकड़ा चुने और उसे वन्य जीव संग्रहालय या एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप म विकासित करे ।

श्री स० कुन्दू : मेरे पहले प्रश्न का स्पष्ट तौर से उत्तर नहीं दिया गया है । अतः मैं इसको फिर स्पष्ट करता हूं और उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न पूछूंगा । मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा विदेशी मद्रा कमाने की दृष्टि से

वन्य जीव संग्रहालयों का विकास करने पर विचार किया है तथा इस संबंध में क्षमाताओं पर विचार किया है। यह केवल मनोरंजनार्थ नहीं है। इन उद्यानों के विकास में विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इहामा जैसे छोटे छोटे देश भी पर्यटन तथा इन संग्रहालयों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के विकास पर 40 से 50 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं। मंत्री महोदय का उत्तर स्पष्ट नहीं है।

इस के बाद मुख्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि सिमूलीपहाड़ न तो कोई राष्ट्रीय उद्यान है और न ही कोई वन्य-जीव संग्रहालय है। मैं तो कहूंगा कि इस उत्तर के अनुसार तो सरकार को यही नहीं मालूम कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। परन्तु फिर भी, सिमूलीपहाड़ एक रमणीय स्थान है यह स्थान लगभग 3000 फुट की ऊंचाई पर है, हरा भरा है और ग्रीष्म ऋतु में भी वहां कड़ाके की ठंड होती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदया वहां जायें तथा इस स्थान को देखें। ऐसी राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। मंत्री महोदया इस स्वयं संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : इतना लम्बा अनुपूरक प्रश्न नहीं होना चाहिए।

डा० सरोजिनी महिषी : हमें भली प्रकार मालूम है कि कुछ देश, विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीकी देश वन्य जीव संग्रहालयों के लिये काफ़ी धन खर्च कर रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं तथा विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। हम भी अपनी ओर से अपने देश में वन्य-जीव संबंधी पर्यटन का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चय ही यह एक बड़ी सम्पत्ति है जहां तक विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं देने का प्रश्न है। जब वे हमारे वन्य-जीव संग्रहालयों में आते हैं हम उन्हें आवास, खान-पान की व्यवस्था, परिवहन आदि की सुविधाएँ देने का प्रबन्ध करते हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि भारतीय वन्य-जीव बोर्ड द्वारा गठित निर्यात समिति सारे देश का भ्रमण कर रही है सर्वेक्षण कर रही है तथा देश में वन्य-जीव क्षमता का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उनका प्रतिवेदन अभी पेश नहीं हुआ है।

Shri Rabi Ray : The hon. Minister has stated that the expert Committee connstituted to survey the National park in the country will go to Orissa in the present ; so, I want to know whether the hon. Minister instruct this Committee that the question of converting the 'Nandan-Kanan' situated near the Barang Railway Station on the Howrah-Madras main road, and that a survey should be made thereof ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह समिति उड़ीसा जायेगी और इन बातों पर निश्चय ही विचार करेगी।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा सरकार ने सिमूलीपहाड़ को एक प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है तथा क्या यह भी सच नहीं है कि भारतीय वन्य-जीव बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने उड़ीसा जाने के अपने कार्यक्रम को तीन बार रद्द कर दिया है जबकि यह देश के अन्य उन भागों का दौरा कर चुकी है जहां उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान और संग्रहालय देखे हैं ? तीसरे, मंत्री महोदया ने कहा है कि वन्य-जीव संबंधी पर्यटन के विकास के लिये चौथी योजना में 50 लाख रुपए खर्च किये जा रहे हैं। क्या वह स्पष्ट करेंगी कि क्या यह

धन राशि विदेशियों को आकर्षित करने हेतु बंगलों के निर्माण पर खर्च की जायेगी तथा क्या सरकार ऐसे बंगलों के डिजाईन का अध्ययन करने के लिये 6 अधिकारियों को अफ्रीका भेज रही है । इन बंगलों के निर्माण के अतिरिक्त वन्य-जीवों के आरक्षण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

डा० सरोजिनी महिषी : सिमूर्ला पहाड़ को प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का प्रस्ताव तो किया गया है परन्तु इस की जानकारी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय या पर्यटन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

Shri Rabi Ray : She may write and get it.

डा० सरोजिनी महिषी : इस सुझाव का स्वागत है । दूसरे, दौरा रद्द नहीं किया गया था कुछ असुविधाओं के कारण उसे स्थगित किया गया था । विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष ने उड़ीसा का दौरा किया है परन्तु वह वहां का विस्तार से सर्वेक्षण नहीं कर सके हैं और इस संबंध में कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी नहीं दी गई है । तीसरे, यह धनराशि आवश्यक रूप से केवल आवास के लिये ही नहीं है । इस में आवास, खान-पान व्यवस्था, परिवहन, सड़कों का विकास तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवों का पालन करना भी शामिल है । जीवों के आरक्षण का कार्य मुख्यतया खाद्य तथा कृषि विभाग करता है । पर्यटन विभाग भी विभिन्न उद्यानों में कुछ विशेष प्रकार के जीवों के पालन में कुछ वन्य-जीवों के संग्रहालयों की सहायता कर रहा है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : डिज़ाइनों आदि का अध्ययन करने अफ्रीका जाने वाले छः अधिकारियों के बारे में बताइये ।

डा० सरोजिनी महिषी : कोई अधिकारी नहीं, केवल वास्तुकलाविद् ही अध्ययन करने जायेगा ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे की नस्ल जो कि विलोप सी होती जा रही है तथा शिकार-चोरों तथा ब्रह्मपुत्र की बाढ़ द्वारा नष्ट की जा रही है, के आरक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

डा० सरोजिनी महिषी : जी हां ।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह सर्वेक्षण के लिये एक समिति को भेज रही हैं यह प्रश्न मयूरभंज से संबंधित है । क्या उनका विचार इस सर्वेक्षण में कोरापुर को भी सम्मिलित करने का है क्योंकि उस क्षेत्र में बाघ इतनी अधिक संख्या में हैं कि पहले चुनाव के दौरान दो या तीन बार वहां मत केन्द्र न खोले जा सके थे क्योंकि बाघ रात में कर्मचाररियों को उठा ले जाते थे । जब मंत्री महोदय श्री सदाशिव त्रिपाठी वहां का दौरा कर रहे थे एक बाघ उनकी कार पर कूदा और मंत्री महोदय बाल-बाल बचे । अतः कोरापुर को राष्ट्रीय पार्क के सर्वेक्षण के संबंध में जरूर शामिल किया जाना चाहिए ।

डा० सरोजिनी महिषी : मैं माननीय सदस्य का सुझाव समिति तक पहुंचा दूंगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री क० लकप्पा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या ऐसा तो नहीं होगा कि केवल जंगली सदस्यों को ही जंगली जन्तुओं के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

श्री नि० मो० विश्वास : श्रीमन्, यह माननीय सदस्य के लिये आपत्तिजनक शब्द है, श्री क० लकप्पा जंगली नहीं है । वह तो एक बड़े ही सज्जन तथा नम्र व्यक्ति हैं ।

श्री क० लकप्पा : चलिये छोड़िये भी ।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी सज्जन हैं । यह संसद् एक संग्रहालय से बिलकुल भिन्नस्थान है ।

श्री क० लकप्पा : मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय उद्यानों तथा क्रीड़ा संग्रहालयों के विकास संबंधी नीति बारे में बताया है । क्योंकि मंत्री महोदय मैसूर का प्रतिनिधित्व करती हैं, मुझे विश्वास है कि उन्होंने बेलागिरी रंग क्रीड़ा संग्रहालय जरूर देखा होगा । क्या आप जानते हैं कि वहां के अधिकारी किस प्रकार उस क्रीड़ा संग्रहालय का विकास कर रहे हैं ? पर्यटकों को आकर्षित करने की बजाय वह संग्रहालय अधिकारियों द्वारा रंगीन रातें मनाने का अड्डा बन गया है । वह क्षेत्र पर्यटकों के लिये असुरक्षित हो गया है । ऐसी कुख्यात् गतिविधियों को रोकने के लिये तथा उस स्थान को पर्यटकों के लिये आरक्षित और सुरक्षापूर्ण बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है । क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है तथा कोई योजना तैयार की है ?

डा० सरोजिनी महिषी : वन्य-जीव संग्रहालयों तथा पक्षी-संग्रहालयों के विकास का सारा दायित्व राज्य सरकार का है । अब क्योंकि मंत्री महोदय ने इसका जिक्र किया है, हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह इस मामले की जांच करे ।

पश्चिम बंगाल सरकार के भुतपूर्व मन्त्रियों के लिए सुरक्षा - प्रबन्ध

***1652. श्री समर गुह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के अनेक भूतपूर्व मंत्रियों के लिए सुरक्षा प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ख) जब वे अपनी पार्टी के कार्य के लिए दौरों पर जाते हैं अथवा पार्टी की वार्वजनिक सभाओं में भाषण करते हैं क्या तब भी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो जिन भूतपूर्व मंत्रियों के लिये ऐसा सुरक्षा -व्यवस्था की गई है, उनके नाम क्या हैं उपलब्ध की गई सुरक्षा-व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं के लिए भी सुरक्षा प्रबन्ध किये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उन नेताओं के नाम क्या हैं और वे किन दलों के है ; और

(च) गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये इस प्रकार के विशिष्ट सुरक्षा प्रवन्ध किये जाने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (च) कुछ राजनीतिक नेताओं के लिए, जिनमें से कुछ भूतपूर्व संयुक्त विधायक सरकार के मंत्री थे,सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं । जब भी सुरक्षा मामलों से संबंधी अधिकारी आवश्यकता अनुभव करते हैं , ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं । इन व्यवस्थाओं का समय-समय पर पुर्नविलोकन किया जाता है तथा उन्हें विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप दृढ़ किया जाता है अथवा परिवर्तित किया जाता है । परन्तु ऐसे नेताओं के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा बताना जन-हित में नहीं है ।

श्री समर गुह : भले ही सरकार नामों तथा सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा न दे, परन्तु हम कलकत्ता की गलियों तथा इधर उधर देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों के चारों ओर पुलिस की गाड़ियां घुमती रहती हैं । जब भी मार्क्सवादी साम्यजवादी कोई सार्वजनिक बैठक में भाषण करते हैं, या जब भी वे राजनैतिक अथवा दलगत उद्देश्यों के लिये कोई दोरा करते हैं, पुलिस की टुकड़ियां उनके साथ होती हैं । मुझे खुशी है कि सरकार ने भी इन भूतपूर्व मंत्रियों विशेषकर मार्क्सवादी साम्यवादी भूतपूर्व मंत्रियों के लिये सुरक्षा प्रबंध कर रखे हैं, जो कि अब उसी वातावरण क शिकार नहीं बन पाते जो उन्होंने स्वयं उत्पन्न किया था । सरकार ने ठीक ही किया है कि उनको धमकियों, अतंक तथा कदाचित जीवन के खतरे से बचाने के लिये "सुरक्षा की छतरी" प्रदान कर दी है, परन्तु इस "सुरक्षा की छतरी" का लाभ उठाकर ये मार्क्सवादी साम्यवादी नेता, सर्वश्री ज्योति बसु प्रमोद दास गुप्त, तथा हरेकृष्ण कोणार, रात–दिन पश्चिम बंगाल के लोगों को अपनी लाल–लाल आखें दिखाते हैं । यह बात रिकार्ड पर भी आ गई है । वे अन्य राजनैतिक दलों को धमकियाँ देते हैं कि यदि उन्हें कुछ हो गया तो खून-खरावा कर देंगे ।

एक माननीय सदस्य : यह बात इस प्रश्न से कैसे संबंधित है ?

श्री समर गुह : इसका प्रश्न से बहुत संबंध है । सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा सुविधाओं का लाभ उठाकर ये लोग ऐसा ही करते हैं, तथा दूसरों को खून-खराबे की धमकी देकर डराते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सर्वश्री ज्योति बसु तथा प्रमोद दास गुप्त ने खुल्म-खुल्ला सभी संवादाताओं को धमकी दी कि यदि उन्होंने उनके विरुद्ध कोई प्रचार किया तो उनके आदमी उन्हें सबक सिखा देंगे । कुछ दिन हुए साम्यवादी मार्क्सवादी लोगों ने जादवपुर में एक आक्रमण किया था । पिस्तौल और बम बरामद किये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भूतपूर्व मंत्रियों तथा मार्क्सवादी साम्यवादी नेताओं के लिये इसलिये सुरक्षा प्रबंध किये हैं कि वे इनका लाभ उठाकर समाचार-पत्रों के संवाददाताओं तथा अन्य राजनैतिक दलों को धमकियां दें जिसके परिणामस्वरूप दूसरे लोगों पर हिंसा तथा आक्रमण करने की घटनायें सामने आई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शुक्र है कि आपने आखिर अपनी बात पूरी कर दी ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सुरक्षा प्रबंध तभी किये जाते हैं जब सुरक्षा अधिकारियों का यह विचार होता है कि उक्त प्रबंध इन सार्वजनिक नेताओं के लिये जरूरी है चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों । यदि इस प्रकार की आवश्यकता समझी जाती है, ये सुरक्षा प्रबंध किये जाते

हैं । जहां तक यह प्रश्न है कि ऐसे प्रबंधों से उन लोंगो को ऐसी गतिविधियां करने का बढ़ावा मिलता है जिनका कि जिक्र भी समर श्री गुह नें किया है, मेरे विचार से ऐसा सोचना ठीक नहीं है । सभी माननीय सदस्य यह मानेंगे कि यह आवश्यक है कि सभी दलों के नेताओं के लिये, यदि हम उनके विचारों से सहमत हों या न हों समुचित सुरक्षा प्रबंध किये जाने चाहिये, ताकि किसी आन्दोलन को रोकने या हमारे किसी नेता की जान के खतरे की धमकी देने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अजय मुकर्जी ने अप्रैल के प्रथम स्ताह में एक सार्वजनिक बैठक में इस आशय का वक्तव्य दिया था कि उनकी जान लेने के लिये दो बार कोशिश की गई–एक बार कलकत्ता में तथा दूसरी बार जब कि वह नादिया में दौरे पर थे––क्या यह भी सच है कि मई के प्रथम सप्ताह के दौरान दैनिक "बासुमति" में एक-दो कालम का एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि श्री प्रमोद दास गुप्त, ने जलपाईगुडी में एक बैठक में कहा कि यदि श्री अजय मुकर्जी (मार्क्स-वादी) साम्यवादी दल को बदनाम करते रहे और यदि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की लोंगों ने उन्हें दूसरे लोक में पहुंचा दिया तो कोई क्या कहा जा सकता है ? क्या सरकार ने अजय बाबू द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करा रहे हैं, यदि हो, तो उस जाँच के क्या परिणाम निकले ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने वे समाचार पढ़े हैं तथा उसके अनुसार प्रबंध किये हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that it is not in the public interest to disclose the names. I want to know which Ministers were of the view that their life was in danger, and they request you for providing security arrangements ? As you have made security arrangements in Bengal, similarly, will you make similar security arrangements for other ex-ministers in other states also; and whether you have done that and if so, in which states and for whom ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have stated in reply to the main question that it is decided by the State Governments, the State Governments are also authorised to make such security arrangements, and they have also to see assess whether there is really any danger or not. And if they judge so, they make these arrangements. As regards West Bengal, it was found that security arrangements for certain persons were necessary and accordingly there arrangements were made. If the other States also think that it is essential to make security arrangements for certain ex-ministers, they too will do that.

Shri Hukam Chand Kachwai : Was it demanded by those Ministers or you forcibly made such arrangements ? What are the names of those Ministers ?

Shri Vidya Charan Shukla : My answer is clear that we ourself assess and then make arrangements, they do not have to demand for it.

Shri Hukam Chand Kachwai : My question too was clear for which I have not got the answer. I am not satisfied with the answer given. The hon. Minister is evading it. Please get us a clear answer.

Shri Vidya Charan Shukla : As far as my information goes, none in West Bengal has asked for security arrangements.

Shri Hukam Chand Kachwai : Were they forced to have security arrangements ?

श्री जि० मो० विस्वास : इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के संयुक्त मोर्चों के उन भूतपूर्व मंत्रियों के नाम बताना जनहित में नहीं होगा जिनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अखबारों में ऐसी खबर थी कि कुछ मंत्रियों ने जिनके लिये व्यवस्था की गई थी, ऐसी व्यवस्था करने से मना कर दिया है। कुछ मंत्रियों के नाम भी समाचार-पत्रों मे दिए गये थे। ऐसे मंत्रियों के नाम क्या हैं ? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को उनके नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि अखबारों में उनके नाम प्रकाशित हो चुके हैं। मैं केवल इस बात की पुष्टि करना चहता हूं कि क्या यह सच है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों ने अपने लिये सुरक्षा व्यवस्था किये जाने से मना कर दिया था और यदि हो तो उन मंत्रियों के नाम क्या हैं तथा वे किस दल से सम्बद्ध हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जहां तक मेरी जानकारी में है फिलहाल मुझे उन भूतपूर्व मंत्रियों के नाम ज्ञात नहीं हैं जिन्होंने अपने लिये सुरक्षा व्यवस्था करने से इंकार किया था।

यदि यह सच भी हो तो भी हमने यह जानकारी नहीं दी होती, क्योंकि इससे सबको पता चल जायेगा, कि किस मंत्री के लिये सुरक्षा की व्यवस्था है और किसके लिये सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है तथा इससे सुरक्षा-व्यवस्था का अर्थ ही समाप्त हो जाता है।

श्री जि० मो० विस्वास : लेकिन अखबारों में उनके नाम छपे थे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह अनुमान हो सकता है। उसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इस सदन के सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने दिल्ली आते समय पश्चिम बंगाल सरकार से पुलिस की सुरक्षा की मांग की थी, यदि हां, तो क्या पुलिस सुरक्षा उनके लिये भी व्यवस्था थी तथा इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिए थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात भूतपूर्व मंत्रियों के बारे में थी।

श्री हेम बरुआ : राजनैतिक नेताओं के बारे में भी थी।

विद्या चरण शुक्ल : इस समय मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : अमृत बाजार पत्रिकाएं में यह समाचार छपा था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसका पता लगाऊंगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

Shri Janeshwar Mishra : Just now the hon. Minister said that they will try to protect the life of the leaders, if there is any danger to them. The lives of the judges are in great danger. Will the hon. minister give an assurance that the security expenses of a minister or leader or even the Prime Minister or the President will not be higher than the security expenses of a judge ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें ।

पश्चिम बंगाल सरकार के लिए मुख्यसचिव की नियुक्ति

***1653. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य-सचिव की नियुक्ति नहीं होने के कारण पश्चिम बंगाल के प्रशासन कार्य में बहुत गम्भीर बाधा हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र ने राज्य-प्रशासन को निदेश दिया है कि पद पर तुरन्त नियुक्ति की जानी चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जीनहीं, श्री मान/पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का पद कभी खाली नहीं था । श्री एम० एम० बासु सलाहकार के रूप मे अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर भी 22 अप्रैल, 1970 तक बने रहे जब श्री मलिक ने उन्हें भार-मुक्त किया ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : प्रश्न का उत्तर ही स्पष्ट भ्रामक है । राष्ट्रपति शास लागू होने के तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार ने यह तय किया कि श्री बसु मुख्य सचिव के पद को छोड़ देंगे । और उनका पद श्री मलिक संभाल लेंगे । पर उन आदेशों के बावजूद राज्यपाल नहीं चाहते थे कि श्री मलिक पद ग्रहण करें और राष्ट्रपति शासन के 35 दिन बाद तक प्रशासन में पूर्ण गतिरोध हो। गया, क्योंकि न तो श्री बसु और न ही श्री मलिक कोई आदेश दे सकते थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद श्री मलिक की नियुक्ति के आदेश जारी किए गये थे और यदि हां, तो वास्तविक नियुक्ति में देरी होने के क्या कारण हैं, क्या इस सम्बन्ध में राज्यपाल ने आपत्ति उठाई थी, तथा वे आपत्तियां क्या थीं और उनका क्या निराकरण किया गया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि राष्ट्रपति शासन के बाद नए व्यक्तियों की नियुक्ति में कुछ समय लगा तथा इसी लिए मैंने अपने इस उत्तर में कहा है कि अपने सलाहकार के कर्त्तव्य को निभाते हुए श्री बसु से मुख्य सचिव के कार्य भार को संभालने के लिये भी कहा गया । इसमें कुछ दिक्कतें थीं, जिन्हें राज्यपाल ने बताया था तथा इन दिक्कतों को दूर करने में थोड़ा समय लगा । उन्हें दूर कर दिया गया और श्री मलिक ने मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है और वे उस पद पर कार्य कर रहे हैं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि हाल ही मे मंत्रिमण्डलीय सचिव ने पश्चिमी बंगाल का दौरा किया था तथा क्या अधिकारियों के बदलने समेत प्रशासन में बहुत से परिवर्तन किये जायेंगे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वे परिवर्तन क्या हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन की जिम्मेदारी हमारी है और वह संसद् की इच्छानुसार किया जाता है। इसलिए सम्बन्धित मंत्री और उसके सचिव द्वारा राज्य का दौरा करना एक सामान्य सी बात है। यह कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। यह दौरा केवल प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा आवश्यक समस्याओं का पता लगाने और उनक. उचित निदान करने की दृष्टि से किया गया था। मंत्रिमंडल के सचिव और गृह-सचिव वहां के स्थानीय प्रशासन की सहायता करने के उद्देश्य से वहां गये थे तथा उन्होंने वहां के लोगों से चर्चा की और मैं समझता हूं कि यह दौरा प्रशासन में सहायक रहा। इससे प्रशासन को विभिन्न आवश्यक समस्याओं को शीघ्र हल करने में मदद मिलेगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : सवाल यह नहीं है। मेरा सवाल यह था कि क्या कलकत्ता जाने वाले अधिकारियों ने अन्तिम समय पर प्रशासनिक ढांचे और अधिकारियों में परिवर्तन किये। यदि हां, तो इसके क्या कारण थे, और वे परिवर्तन कौन से थे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन लोगों ने वहां जाकर प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक समस्याओं के हल करने के लिए क्या कदम उठाए जांए इसकी सलाह दी। तथा इसमें जहां आवश्यक हो वहां गृह विभाग या अन्य विभागों में परिवर्तन करना भी शामिल था। मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में यही बताया था कि इन समस्याओं को शीघ्र हल करन के लिये जो भी आवश्यक कदम होगा उठाया जायेगा। इसमें अधिकारियों की बदली, पुनर्व्यवस्था आदि सब शामिल हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या प्रचारित की गई इस रिपोर्ट में कोई सत्यता है कि श्री मलिक के अनुसूचित जाति का होने के कारण कुछ लोगों ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति की और यह जातिवाद के आधार पर किया गया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : श्री मलिक की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति और सलाहकार के सम्बन्धों को लेकर उठ खड़े मत भेदों को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन सलाहकारों की संवैधानिक स्थिति की उचित व्याख्या कर दी गई थी इनके क्या कर्तव्य होंगे तथा एक मुख्य सलाहकार होना क्यों आवश्यक है ? अन्य सलाहकारों को देखते मुख्य सलाहकार, मुख्य सचिव और शासन की क्या स्थिति होगी ? एक मुख्य सचिव और एक मुख्य सलाहकार दोनों पद वहां हैं। इनका आपस में और इनका राज्यपाल से क्या सम्बन्ध होगा तथा मुख्य सचिव का अन्य सलाहकारों से तथा उनका राज्यपाल से क्या सम्बन्ध होगा ? क्या इस सबकी पूरी व्याख्या कर दी गई है और क्या कार्य के कुछ सिद्धान्त बनाए गए हैं ?

क्या मैं इन सब बातों को जान सकता हूं, इस सम्बन्ध में 35 दिन तक अखबारों और जनता में इस पर तरह तरह की चर्चा हुई तथा सचिवालय के कर्मचारी और ये सलाहकार भी अपने हितों के कारण इस प्रकार के प्रचार के बहुत खिलाफ नहीं थे। इस सम्बन्ध में प्रमाण उपलब्ध हैं। तो क्या इन सब बातों पर अच्छी तरह विचार कर लिया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, नियमों की भली प्रकार व्याख्या कर दी गई है। सामान्य रूप में कहा जाये तो सलाहकारों सम्बन्धी नियम वैसे ही हैं जैसे लोकप्रिय प्रशासन में थे। मुख्य सलाहकार से सलाहकारों का कार्य भी वही होगा और सलाहकारों और मुख्य सलाहकारों के कार्य और स्तर में कोई अन्तर नहीं है केवल इसके कि मुख्य सचिव आपसी तालमेल का कार्य भी करेगा जिसके लिए उसे एक अलग पदनाम देने की आवश्यकता है। अतः उसे मुख्य सलाहकार का पदनाम दिया गया। अतः मुख्य सचिव का कार्य वही है जो कि अन्य राज्यों में होता है। लाहकारों से वह उनके विभाग के अनुसार सलाह लेगा। सचिवालय स्तर पर वह एक ताल-मल रखने वाला अधिकारी होगा तथा राज्यपाल के सलाहकारों से वह निश्चित प्रक्रिया के अनुरूप व्यवहार करेगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि राज्यपाल मुख्य सचिव के प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए क्या केन्द्रीय सरकार राज्यपाल से नीति निर्धारित करने को तथा प्रशासन में हस्तक्षेप न करने को कहेगी, जिससे कि प्रशासन को सुधारा जा सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नीतियों का निर्धारण करना राज्यपाल का काम नहीं है। राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत राज्यों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार और इस माननीय सदन की है। मैं नहीं जानता कि प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप से माननीय सदस्य का क्या आशय है। केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रशासन की देख-रेख करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। इसलिए जहां तक मेरी जनकारी है ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राज्यपाल को जो कार्य सौंपा गया है उसे करना पड़ता है। कुछ प्रतिदिन के कार्यों में हस्ताक्षेप करना पड़ सकता है।

श्री अमिय नाथ बोस : क्या यह सच है—मेरे पास इसे सच मानने के कारण हैं कि राज्यपाल श्री एस० मलिक से, जो मुख्य सचिव नियुक्त होने से पहले राजस्व बोर्ड के सदस्य थे, नाराज थे क्योंकि उन्होंने बंगाल में भूमि समस्या के सम्बन्ध में इस आशय की एक टिप्पणी राज्यपाल को भेजी थी कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाये तथा इस कारण से उनकी नियुक्ति इतने दिनों तक रुकी रही ? मैं सदन् को यह भी बताना चाहता हूं कि राज्यपाल को बंगाल की कितनी जानकारी है। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर स्मारक समिति की ओर से राज्यपाल को समिति का संरक्षक बनने के लिए एक पत्र लिखा गया तथा उसके उत्तर में राज्यपाल ने लिखा कि वे पहले यह पता लगाना चाहते हैं कि ईश्वर चन्द्र विद्यासागर थे कौन तथा इसकी जानकारी किए बिना वे संरक्षक नहीं बन सकते।

अध्यक्ष महोदय : म ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता जिनमें एक राज्य के प्रमुख पर छींटाकशी की जाये।

श्री रणधीर सिंह : पूरे सदन को इससे दुख हुआ है। यह बहुत ही बुरी बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की भावना को समझता हूं।

श्री रणधीर सिंह : इसकी कोई सीमा होनी चाहिये। हम इससे बहुत दुख हुआ है।

Shri Rabi Ray : To-day he has said that he does not know who was Ishwar Chander Vidyasagar and to-morrow he may say he does not know who was Mahatma Gandhi

अध्यक्ष महोदय : सदस्य नियमों की सीमा में रहते हुए कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे नियमों के अनुसार चलना होता है।

श्री अमियनाथ बोस : मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि श्री मलिक द्वारा भेजी गई टिप्पणी से राज्यपाल नाराज हो गये तथा इसी कारण उनकी नियुक्ति इतने दिनों तक रुकी रही।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दूंगा। यह सच है कि राज्यपाल और मुख्य सचिव के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति में देरी हुई। मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि वह गलत फहमी दूर कर दी गई है तथा मैं नहीं समझता अब हमें इस विषय को दौबारा यहां उठाना चाहिए।

Shri Rabi Ray : He has not given the answer of the second part of the question regarding Ishwar Chander Vidyasagar.

श्री स० कुन्दू : उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कोई छींटाकशी नहीं की है। क्या राज्यपाल ने यह लिखा कि संरक्षक बनने से पहले वे ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति शासन होने के कारण राज्यपाल को दोहरा दायित्व निभाना होता है। उनकी राज्यपाल होने के साथ-साथ प्रशासन के लिए भी जिम्मेदारी होती है। उसके लिए दोनों को एक साथ निभाना कठिन होता है। पर अध्यक्ष के नाते मुझे कुछ नियमों का पालन करना होता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदस्य स्वयं को उन नियमों के अधीन ही रखें।

श्री अमिय नाथ बोस : माननीय मंत्री ने अभी तक यह नहीं बताया कि क्या राज्यपाल और और श्री मलिक जो उस समय राजस्व बोर्ड के सदस्य थे, के बीच मतभेद टिप्पणी के भेजे जाने के कारण हुआ था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ गलत-फहमी थी, पर वह टिप्पणी के कारण नहीं थी बल्कि श्री मलिक द्वारा अखबारों में दिए गए एक वक्तव्य के कारण थी।

श्री क० प्र० सिंह देव : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि पश्चिमी बंगाल का प्रसाशन संसद् की इच्छा के अनुसार होता है। मैं आपका ध्यान आज के अखबार की इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार विभिन्न लोगों द्वारा छीनी गई भूमि को उन्हें ही देने को राजी हो गई है। मैं जानना चाहता हूं इस प्रकार गैर-कानून ढंग से भूमि पर कब्जा करने की इच्छा क्या इस सदन की है?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से यह सवाल नहीं उठता।

श्री क० प्र० सिंह देव : माननीय मंत्री ने कहा था कि संसद की इच्छा से वहां प्रशासन होता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संसद की इच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हरेक बात मल प्रशन से न जोड़ें ।

दिल्ली नगरनिगम के निर्वाचन

*1654 **श्री शारदा नन्द** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल कब समाप्त होगा ;

(ख) क्या इसकी अवधि को और आगे बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि नहीं, तो नगर निगम के चुनाव कब होंगे ;

(घ) क्या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली नगर निगम के पार्षदों तथा ऐल्डरमैनों का वर्तमान कार्यकाल क्रमश: 21 मार्च, 1971 और 3 अप्रैल, 1971 को समाप्त होगा ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) पार्षदों का चुनाव 21 मार्च, 1971 तक तथा ऐल्डरमैनों का चुनाव 3 अप्रैल, 1971 तक हो जायेगा ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Sharda Nand : This had been the practice of Congress Governments that they execute elections when the atmosphere was in their favour. As such my direct question is that how long they have delayed these elections and would be given assurance to this house that these elections would be in time.

Shri Vidya Charan Shukla : His allegation in the first part of his question is quite wrong. We never do such things (*Interrputions*) this may be the opinion of the hon. Member but it is not correct.

So far as the question of holding the elections is concerned, there is no question of delaying them. I do not have the information about the past elections. After collecting the information, I will place it on the Table of the House.

Shri Sharda Nand : In the second part of my question I asked that whether they are going to hold the elections in time ?

Shri Vidya Charan Shukla : As has been stated in the answer of the main question that we want to hold elections & question of its postponement is not at all under our consideration and it means that we will hold elections in time.

Shri Sharda Nand : I want to know whether you have started correcting the electoral roll ?

Shri Vidya Charan Shukla : This is to be done by the Delhi Administration in collaboration with Election Commission. Home Ministry is not at all concerned with it (*Interruptions*). Both Delhi Administration and Election Commission will decide the programme of doing it.

Shri Suraj Bhan : Previously these elections were held twice with the general elections after extending them for one year every time. Is it because at that time the congress was in power and now it is being done like this because Jan Sangh is in power. I want to know whether the elections will be extended this time also, so that they may be held with general elections.

Shri Vidya Charan Shukla : I have stated that no such thing is under our consideration and nor we do such things on political ground.

बड़े पत्तनों पर सुविधाओं में सुधार तथा आधुनिकीकरण

1655. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री लखन लाल कपूर :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण मिशन द्वारा आयोजित तथा किसी भारतीय अनुसंधान अभिकरण द्वारा भारत के निर्यात व्यापार में समुद्रपारीय परिवहन तथा ढुलाई-भाड़े की दरों के बारे में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि देश के बड़े पत्तनों पर सुधार करने और वहां पर आधुनिक सुविधाएं जुटाने के लिए कुछ कारगर उपाय अविलम्ब किये जाने चाहिए; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) अनुमानत: संदर्भ भारत के निर्यात व्यापार में समुद्रपारीय परिवहन और भाड़ा संरचना के अध्ययन से है, जो प्रवर्तन अनुसंधान दल, बड़ौदा ने किया था । जो सिफारशें अध्ययन दल ने की उनम से एक यह है—भारत के पत्तनों पर माल की धराउठाई करने की दक्षता में सुधार करने के लिए ऊर्जस्वी कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए । सरकार को भारत के पत्तनों पर माल-धराउठाई की दक्षता को सुधारने की आवश्यकता के बारे में पहले ही ज्ञात है और यह उन महत्वपूर्ण मदों में से एक है जिन के लिए चौथी पंचबर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या यह सच है कि भारत से अन्य पत्तन पर जाने वाले माल का भाड़ा किसी अन्य देश में उतनी ही दूरी को जाने वाले भाड़े की तुलना में अधिक है ? यदि हां तो इसमें हमारी

निर्यातित वस्तुओं का मूल्य बढ़ नहीं जाता है ? इसे देखते हुए इस प्रतिवेदन में कौनसी कारगर सिफारिशें की गई हैं तथा सरकार इस समस्या को किस प्रकार सुलझा रही है, जिसमें कि हमारी भाड़े की दरें कम हो सकें।

श्री इकबाल सिंह : भारत में भाड़े की दरें विभिन्न माल और पत्तनों के लिए अलग-अलग हैं। मैं यह नहीं मानता कि हमारी भाड़े की दरें संसार में सबसे अधिक हैं।

श्री मु० कु० तापड़िया : मैंने सबसे अधिक होने की बात नहीं कही।

श्री इकबाल सिंह : हमने अध्ययन दल की बातों पर विचार किया है। यह अध्ययन दल व्यापार मंत्रालय, जो अब वैदेशिक व्यापार मंत्रालय है, द्वारा नियुक्त किया गया था। उसने हमें इस बारे में सिफारिशें तथा प्रतिवेदन भेजा है चौथी योजना का गठन करते समय हमने उस पर विचार किया था, मैं यह कह सकता हूं कि अध्ययन दल द्वारा बताई गई बातें पूरी तरह सही नहीं थी। उदाहरण के लिए उन्होंने कल्पना की थी कि 1968-69 में भारत में कुल 650 लाख मीट्रिक टन माल का व्यापार किया गया। वास्तव में यह 55 लाख मीट्रिक टन था।

श्री मु० कु० तापड़िया : माननीय मंत्री ने मदवार और सही-सही बात कही है। पर मुझे लगता है, सरकार के मंत्री-मंत्री के कहने में अन्तर होता है। जब डा० राव० इस मंत्रालय में थे तब उन्होंने यह माना था कि भारत से एक दूरी को जाने वाले माल पर अन्य जगहों से उतनी ही दूरी को जाने वाले माल पर भाड़ा अधिक लगता है। मैं नहीं समझता कि मंत्री के यह कहने का क्या अर्थ है कि सरकार भारतीय पत्तनों पर माल के चढ़ाने-उतारने की कार्यकुशलता से अवगत है तथा इस आवश्यक विषय के सम्बन्ध में वे चर्चा कर रहे हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने मद्रास पत्तन और उसकी सुविधाओं का जिक्र करते हुए बताया है कि यद्यपि इन सुविधाओं की मूल लक्ष्य तिथि जुलाई, 1972 थी पर इससे दो साल पहले ही उन्हें डर था कि ये सुविधाएं जुलाई, 1974 से पहले नहीं दी जा सकेंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि अनुमानित देरी के कारण भारत में बड़े पत्तनों में 1970-71 में सुधार करने के लिए क्या काम हाथ में लिए हैं, वे किस किस परियोजना में देरी की आशा करते हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

श्री इकबाल सिंह : यदि भारतीय पत्तनों पर जहाजों को देरी होगी तो इसका असर भाड़े पर पड़ेगा ही, पर वास्तव में भारत के सभी पत्तनों में देरी नहीं होती तथा प्रत्येक पत्तन में देरी कम से कम हो गई है तथा इसका असर भाड़ों पर अवश्य पड़ेगा। मद्रास की तेल गोदी के सम्बन्ध में कुछ देरी हुई है क्योंकि उस समस्या का अध्ययन करने के लिए हमने एक तकनीकी समिति नियुक्त की है। तथा इसके अतिरिक्त गहराई को 39 से 42 फीट बढ़ाना था। इस कारण दो वर्ष की देरी हुई तथा इस देरी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Lakhan Lal Kapoor : I would like to know the names of the major ports surveyed by the survey team.

The idea of this survey was to reduce and improve the freight structure. I would like to know the suggestions received by you in this connection and have you made any allocation in the Fourth Plan so as to make improvement in these ports so that we may increase our earnings of foreign exchange by export.

Shri Iqbal Singh : The study was done to know that how frieght is reflected in Foreign Trade. Keeping this in view that iron ore is the biggest export trade of India. We have decided to establish Handling plants in major ports like Vishakhapatnam, Madras, Haldia and Goa. We did it according to the indirect reflection it had.

So far as the delay is concerned including long waiting by the shifts is also reflected in this. Indian Ports had a capacity of 55 million tonnes and it was expected to be 77·78 million tonnes by the end of Fourth Plan and we are trying to provide a capacity of 90 million tonnes so that there may be no delay. We have tried to put all the important things for improvement mentioned in their report.

Shri Valmiki Chaudhary : From the reply of the minister it can be said that attention has not been paid for the improvement of the ports. I would like to know what arrangements they have made to modernise the system of handling the cargo.

My second question is what arrangements you have made to improve the major ports like Vishakhapatnam and Kandla. When other countries ask them to enquire only then they examine the situation, they have not done anything on their own accord. I would like to know what steps you have taken in order to make your ports better in comparison to the ports of other countries.

Shri Iqbal Singh : This report was not of other countries. It was the report of Baroda Operation Research Group, in which U.S. aid advisers were also there.

This is not true to say that we have not tried to increase the efficiency of loading and un-loading on the ports. We have to improve working on the ports and now the ships are not delayed. It is also not correct that all this has been done due to the report, this we have done on our own accord.

श्री नन्दकुमार सोमानी : संसार भर में आधुनिक पत्तनों के कार्य संचालन के लिए विश्लेषण और युद्धीविषयक अनुसंधान के गणितीय यंत्रों का उपयोग दीर्घ कालीन योजना के लिए ही नहीं वरन् प्रतिदिन के प्रशासन में करते हैं। गणितीय यंत्र सी० पी० एम० जैसे—एम० सी० पी० एम० नहीं जैसा कि इस सदन में है—यंत्रों का उपयोग पत्तनों के कार्यों को सुधारने के लिए कर रहे हैं। डा० वी० के० आर० वी राव ने इस निर्णय को मेरे सुझाव पर दो तीन साल पहले इस सदन में मान लिया था। इस विशेष प्रतिवेदन को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि वह देश के पत्तनों के प्रबन्ध के लिए गणितीय यंत्रों का प्रयोग करेगी।

Shri Iqbal Singh : So far as the question of analysis and research is concerned all the ports are to have research cells

श्री नन्दकुमार सोमानी : मुझे खेद है कि वे ओपरेशनल रिसर्च शब्द का अर्थ नहीं जानते आप प्रो० राव से सलाह क्यों नहीं करते ? वे बिल्कुल दूसरा ही उत्तर दे रहे हैं।

Prinitng of Gazette and other Publications in both Hindi and English

*1656. **Shri Molabu Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that his Ministry has announced that press has now the capacity to publish the Gazette and all other publications of the Central Government in both Hindi and English languages, as reported in the Hindustan Times of the 6th April, 1970; and

(*b*) if so, the names of the publications published simultaneously in Hindi as well as in English language after the aforesaid date and the details thereof ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) No, Sir. Instructions have been issued to all the Ministries/Departments of the Government of India that all material for publication in the Gazette of India should be sent to the Presses both in Hindi and English except the judgements of the Industrial/Election Tribunals and notices inserted by private parties and amendments to rules etc., Hindi translation of which has not yet been published in the Gazette.

(*b*) Does not arise.

Shri Molahu Prasad : Mr. speaker sir, nothing has been said about part (b) of my question. I want to know which are those publications which they have published in Hindi after 6th April and how many were published simultaneously in Hindi and English both.

Shri Vidya Charan Shukla : In the answer of the main question I have already stated that we print publications both in Hindi and English simultaneously. Thousands of letters were printed in Hindi and English together, there is no need of giving the details about all that.

Shri Molahu Prasad : He can give the number. I want to know the details he has collected during 21 days. If you are not able to collect any detail in so many days, what you will do in future ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir the, hon. Member asked in his original question that according to a news item published in the Hindustan Times his Ministry has announced that now the Press has got the capacity of printing Government Gazette and other publications both in Hindi and English and in my answer I said that it has got that capacity and we are utilizing it fully. If he had asked the number I might have given the figure.

Shri Molahu Prasad : The questions are submitted 21 days in advance. The Government should run its machinery in good speed. Government is supposted to furnish the relevant information within 90 days but the relevant information is not furnished even after three to four months. I do not understand what the Government machinery is doing. The hon. Minister is not even able to furnish the names of the publications published in Hindi and English during the last 21 days.

Shri Vidya Charan Shukla : If the hon. Member has asked about the number of publications I would have given their number.

Shri Molahu Prasad : Please read part (c) of the question.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अनुवाद ब्यूरो की स्थापना

1957. श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक पृथक अनुवाद ब्यूरो स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसके स्थापित किये जाने में क्या बाधा है।

(ख) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय की विवशता को देखते हुए गृह कार्य-मंत्रालय ने इस मन्त्रालय को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है, और

(ग) क्या उनका मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत है और यदि हां, तो क्या इससे भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का उल्लंघन नहीं होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) संहिताओं, नियम पुस्तकों, फार्मों और भारत सरकार के गैर-सांविधिक किस्म के अन्य कार्यविधिक साहित्य के अनुवाद के लिये, इस मंत्रालय के एक अधीन कार्यालय, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में, पहले ही से एक अनुवाद एकक कार्य कर रहा है। इस कार्य को शीघ्र करने के लिये इस आशय का एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि इस एकक को अतिरिक्त व्यक्तियों के साथ, स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। फिलहाल इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से बातचीत हो रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के मुख्य सचिवों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

***1658. श्री जे० के० चौधरी :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों का दर्जा बढ़ाने और उन्हें केन्द्र के विभागों के सचिवों के समान करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार राज्य सरकारों के परामर्श में राज्यों के मुख्य सचिवों के पदों का दर्जा बढ़ाने और उन्हें वेतन के सम्बन्ध में भारत सरकार के सचिव के बराबर बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) इस समय पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु और महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां मुख्य सचिव के पद का वेतनमान जब वह पद आई० सी० एस० अधिकारियों द्वारा धारण किया जाता है, 3,750 रु० है और कुछ अन्य राज्यों में व्यक्तिगत आधार पर उच्चतर वेतन दिया गया है अन्य सभी राज्यों में मुख्य सचिव के पद का वेतन 3,000 रु० है। यह वेतन उतना ही है जितना भारत सरकार के अति-रिक्त सचिव का है जब वह पद आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा धारण किया जाता है।

राज्यों में मुख्य सचिवों के उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गये हैं और जटिल हो गए हैं। सरकार के विचार में वे भारत सरकार के सचिवों के उत्तरदायित्वों से कम कठिन नहीं हैं। इस कार्यवाही से केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच इस स्तर पर अधिकारियों की अदला-बदली करने में भी सुविधा होगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिये निःशुल्क शिक्षा

1659. श्री हिम्मत सिंहका० : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कोई कार्यक्रम है,

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में प्रत्येक राज्य में अब तक क्या प्रगति हुई है,

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में लागू की जाने वाली ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितना धन खर्च होगा, और

(घ) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी गई है तथा इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की न तो लड़कियों के लिये निःशुल्क शिक्षा लागू करने की कोई योजना है और न ही केन्द्रीय सरकार को चौथी योजना में राज्य सरकारों की किसी विशिष्ट योजना की जानकारी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेन्टल रिसर्च द्वारा चन्द्र-चट्टान के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य

***1660. श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपोलो-12 द्वारा पृथ्वी पर लाये गये चन्द्र-चट्टान के नमूनों के सम्बन्ध में "टाटा-इन्स्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च" ने कोई अनुसंधान-कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपलब्ध परिणाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तथा (ख) : "टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च" में इस समय अपोलो-12 द्वारा पृथ्वी पर लाये गये चन्द्र-चट्टान का अध्ययन चल रहा है ; तथा चालू वर्ष की समाप्ति से पूर्व व्यापक परिणामों के मिल जाने की आशा नहीं है। अब तक के प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि चन्द्र धरातल अस्थिर है तथा उल्का वस्तुओं के टकराने के परिणाम-स्वरूप धरातल की वस्तुएं ऊपर नीचे हिलती डुलती हैं। चन्द्र-धरातल की किसी चट्टान अथवा धूलि का औसत समय 1 करोड़ 5 लाख वर्ष के क्रम में है। गत करोड़ों वर्षों में कॉस्मिक विकिरण में भारी केन्द्रक की स्थिति की तीव्रता अनिवार्यतः वसी ही रही है जैसी आज पृथ्वी के निकट देखी जाती है।

अनुवादकों के प्रशिक्षण के लिये शिक्षावृत्ति

***1661. श्री रबिराय :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक सौ शिक्षा वृत्तियों की घोषणा की है जो इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुवादकों के प्रशिक्षण के लिय दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बाद में इसे पुस्तक निर्माण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया है ; और

(ग) सरकार देश में अनुवादकों के प्रशिक्षण के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए, विज्ञान, मानवविद्याओं तथा समाज विज्ञान के उन उत्कृष्ट छात्रों को पांच वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 100 अधिक छात्र-वृत्तियां देने की योजना प्रारम्भ की है जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी कर ली है और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कार्य करने अथवा मूल पुस्तकें लिखने के लिये तैयार हैं। इन छात्रों को अनुवाद, पुस्तक लेखन की तकनीक, नियंत्रित शब्दावली के प्रयोग में उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा और वे विश्वविद्यालयों के विख्यात अध्यापकों से सम्बद्ध होंगे।

पश्चिम हिमालय में पर्यटकों की रुचि के स्थान

***1662. श्री बलराज मधोक:** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम हिमालय में डलहौजी, चम्बा, भदरवा, बाटोट और कुद पर्यटकों की रुचि और आकर्षण के केन्द्र एक सर्किट में आते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पदनी दर्रे से होकर चम्बा और भदरवा के बीच सड़क सम्पर्क न होने के कारण उक्त क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से वस्तुतः उपेक्षित ही रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पदनी दर्रे तक सड़क के अपने भाग को पूरा कर लिया है ;

(घ) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने भदरवा का पदनी दर्रे से सम्पर्क स्थापित करने वाले लगभग 15 मील के एक छोटे टुकड़े का जो उनकी ओर है निर्माण नहीं किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो पर्यटकों के हित में उक्त सम्पर्क को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) (क) से (ङ) हिमाचल प्रदेश में डलहौजी और चम्बा, तथा जम्मू और काश्मीर में भद्रवाह, बटोट और कुद के मध्य का क्षेत्र प्राकृतिक सुषमा की दृष्टि से एक अत्यन्त रमणीक स्थल है। हिमाचल प्रदेश चम्बा से सीमा पूर्व पांच मील तक सड़क का निर्माण पहले ही कर चुका है तथा उस खण्ड पर निर्माण कार्य अभी चालू है। पदनी दर्रे से भद्रवाह तक सड़क के शेष भाग के निर्माण के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। इसे अन्तर्राज्य और आर्थिक महत्व की एक सड़क के रूप में हाथ में लिये जाने की संभावना है। एक बार बन कर तैयार हो जाने पर, इससे सारे क्षेत्र में पर्यटन को जोरदार बढ़ावा मिलेगा।

पश्चिम जर्मनी के पोत-प्रांगण में भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिय जहाजों का निर्माण

***1663. श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी के पोत-प्रांगण में भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिये कुछ जहाजों के निर्माण-कार्य में सहायता करनेके उद्देश्य से पश्चिम जर्मनी की सरकार ने ऋण देने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी के उक्त प्रस्ताव से भारत को अपनी नौवहन क्षमता के विकास करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, हां। फरवरी 1970 में जर्मनी की संघीय सरकार 480 लाख डी० एम० के विक्रेता ऋण देने के लिये सहमत

हो गई है जिससे 600 लाख डी० एम० के मूल्य तक के जहाज उस देश से अर्जित किये जा सकेंगे अन्तर सुपुर्दगी के समय तक तुरन्त नगद अदायगी द्वारा पूरा किया जायेगा।

(ख) मोटे तौर पर इस ऋण से लगभग 1,30,000 से 1,40,000 कुल टन भार के खुले माल वाहक के क्रयादेश भेजे जा सकेंगे।

मद्रास पत्तन पर अयस्क उतारने चढ़ाने के लिये यंत्र चालित वर्थ (घाट) की स्थापना

***1604. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन पर वर्ष 1971 तक अयस्क उतारने चढ़ाने के लिए यंत्र चालित वर्थ (घाट) बनाने की योजना थी, जिससे वहां से प्रति वर्ष 60 लाख टन लोह अयस्क निर्यात हो सके ;

(ख) क्या नवीनतम संकेतों के अनुसार यह परियोजना वर्ष 1973 से पहले पूरी नहीं होगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यंत्र चालित इस प्रस्तावित घाट के बिना भी यदि पत्तन पर भारी बोझ उठाने वाले क्रेन लगायी जायें तो इस पत्तन पर 30 लाख टन लोह अयस्क को उतारा अथवा चढ़ाया जा सकता है परन्तु पत्तन के अधिकारियों ने अब तक क्रेनों के लिये क्रियादेश भी नहीं भेजे हैं ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्‌कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) मद्रास पत्तन न्यास ने सरकार के अनुमोदन से बाहरी बन्दरगाह में नवीनतम यंत्र चालित अयस्क धरा-उठाई सुविधाओं को देने का निश्चय किया है। संयंत्र की क्षमता 50 लाख टन प्रति वर्ष होगी। सुविधाओं को चालू करने की मूल तिथि जुलाई, 1972 थी।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार खनिज लोह की धरा-उठाई करने वाले संयंत्र का जुलाई 1974 तक चालू होने की संभावना है।

(ग) जी, हां। यदि 13 टन या उससे अधिक क्षमता वाली तीन अतिरिक्त भारी बोझ उठाने वाली क्रेन लगाई जाये तो इस पत्तन पर 30 लाख टन लोह अयस्क को उतारना अथवा चढ़ाना संभव होगा वसर्ते कि लोह अयस्क वैगनों का नियमित आगमन हो, जहाज बिना जमघट के नियमित समय पर आये और अयस्क लादने के लिये उपलब्ध मौजूदा घाटों का पूरा उपयोग हो। पत्तन न्यास ने अतिरिक्त क्रेनों के लिये क्रयादेश नहीं भेजे हैं।

(घ) भारी बोझ उठाने वाली तीन अतिरिक्त क्रेनों को प्राप्त करने क प्रश्न पर 1967-68 में विचार किया गया परन्तु आगे कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि यह आशा की गई थी कि नये लोह अयस्क धरा-उठाई वाला संयंत्र जल्दी चालू किया जायगा। जब क्रेन पत्तन न्यास के लिये आवश्यक

नहीं होगा। नये संयंत्र के चालू करने में प्रत्याशित विलम्ब की दृष्टि से प्रश्न पर पुनः विचार किया जा रहा है।

जाधवपुर विश्वविद्यालय में नक्सलवादी तत्व

***1665. श्री सीताराम केसरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाधवपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने नक्सलवादी तत्वों की रोकथाम के लिये जिन्होंने उपकुलपति का कार्यालय घेर लिया था पुलिस दल को विश्व-विद्यालय के अहाते में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि पुलिस को अहाते में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती तो दोषियों को दण्ड दिया जा सकता था तथा नुकसान को बचाया जा सकता था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पुलिस को अहाते में प्रवेश की अनुमति न देने के बारे में उप-कुलपति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : जाधवपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार पता लगा है कि उनके कार्यालय का घेराव नहीं किया गया था। उप-कुलपति ने यह भी सूचित किया है कि 10 अप्रैल को हुए नक्सलवादी आक्रमण के बारे में जानकारी उन्हें दोषियों के वहां से चले जाने के बाद मिली और इस प्रकार उनके द्वारा पुलिस को अहाते में प्रवेश करने की अनुमति देने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बोइंग 707 द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हवाई अड्डों की जम्बो जेट (बोइंग 747) के लिए उपयुक्तता

***1666. श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों को सुदृढ़ बनाने के बारे में 17 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1057 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तकनीकी रूप से सिद्ध हो गया है कि बोइंग 707 द्वारा प्रयोग किये जाने वाले किसी भी हवाई अड्डे पर बोइंग 747 (जम्बो जेट) विमान चल सकता है ;

(ख) क्या बोइंग 707 विमान पिहले ही हमारे मुख्य हवाई अड्डों पर चल रहे हैं ;

(ग) जम्बो जेट से भारी सूपरसानिक विमान कौन से हैं जिन्हें सरकार भारती हवाई अड्डों पर चलाना चाहती है ; और

(घ) क्या यह सच है कि भविष्य में ऐसे विमान बनाये जा रहे हैं जो थोड़ा फासला तय करके ही वर्तमान धावन-पथों से उड़ सकेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री : (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) बोइंग 747 के निर्माताओं ने ऐसा दावा किया है। तथापि, हमारे अंतराष्ट्रीय विमानक्षेत्रों का उच्च तापमान पर पूर्ण उड़ान भार के साथ सुरक्षित तथा नियमित 'दीर्घ-धावन' (लौंग-हाल) परिचालनों के लिये सुधार करने की आवश्यकता है।

(ख) हमारे चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों के अलावा, कुछ एक अन्य सिविल विमान क्षेत्रों का भी यदा-कदा 707 विमानों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) लघु उड़ान' तथा 'अवतरण' के लिय विमानों का विकास किया जा रहा है, परन्तु ये अभी वृहत परिवहन की श्रेणी में नहीं हैं।

Correspondence in Hindi and English Between Various Ministries

*1667. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether arrangements for doing correspondence both in Hindi and English in all the Ministries and Departments of the Central Government have been made in accordance with the language formula accepted by the Central Government;

(*b*) if not, the names of the Departments where such arrangements have not been made so far :

(*c*) whether it is proposed to issue instructions to all the Ministries that they should give replies in Hindi to all the letters which are received in Hindi and that they should send official letters in Hindi to all the Hindi-speaking States; and

(*d*) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) Yes, sir.

(*b*) Does not arise.

(*c*) Instructions already exist that Hindi communications received in various Ministries and Departments of the Central Government either from State Governments or from individuals are to be replied to in Hindi. Instructions have also been issued to all Ministries and Departments to use Hindi for all originating correspondence with Hindi speaking States. Exceptions could, however, be made in the case of demi-official letters, communications involving technical and legal matters and circular letters addressed to all State Governments.

(*d*) Does not arise.

जनता की शिकायतों को दूर करने हेतु नई दिल्ली में सभाओं के लिये स्थान

*1668. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच प्रायः होने वाली मुठ-भेड़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार नई दिल्ली में सभाओं के लिए स्थान निर्धारित करने सम्बन्धी सुझाव पर विचार करेगी जहां स्वीकृत परम्पराओं के अनुसार जनता अपनी शिकायतों को आसानी से व्यक्त कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अन्य लोकतांत्रिक देशों में अपनाई जा रही परम्पराओं की ओर ध्यान देगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) नई दिल्ली में सभाओं के लिए स्थान के लिए सुझाव पर विचार किया गया है और वर्तमान परिस्थितियों में उसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है ।

Participation in International Wrestling Competitions

***1669. Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the particulars of the International Wrestling Competitions to be held this year;

(b) the decision taken by Government in regard to India's participation in them ; and

(c) the procedure to be adopted for the selection of wrestling teams therefor ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c)

(a) *(i)* World Wrestling Championship to be held in Edmonton (Canada) from 4th to 11th July, 1970.

(ii) Wrestling competitions as a part of the IX Commonwealth Games to be held at Edinburgh from 16th to the 25th July, 1970.

(iii) Wrestling competitions as a part of the VI Asian Games to be held at Bangkok in December 1970.

(b) The Wrestling Federation of India submitted their application for financial assistance and foreign exchange to the Government for participation in the World Wrestling Championship on the 18th April, 1970. Their proposal is being considered in consultation with the All India Council of Sports.

As regards the participation in Commonwealth Games, the Government have advised the Indian Olympic Association to inform the Commonwealth Games authorities that if the South African Cricket team's tour to U.K. is not abandoned, India will not participate in the Commonwealth Games.

Regarding participation in the Asian-Games, the All India Council of Sports have approved participation of the Indian Contingent, including wrestlers, in principle. The compositon of the Indian contingent will be finalised in due course.

(c) The Wrestling Federation of India have made arrangements for the selection of wrestlers for participation in International events on the basis of their performance in the Selction Trials as judged by a Selection Committee.

दिल्ली पुलिस के लिए भर्ती

***1670. श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री मयावन :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली पुलिस के लिये देश-व्यापी भर्ती करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली पुलिस के लिए इस देश-व्यापी भर्ती से इस समय पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में कहां तक मदद मिलेगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस में उक्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए, सरकार दिल्ली पुलिस आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर चुकी है कि भर्ती विस्तृत आधार पर होनी चाहिए न कि स्थानीय निवासियों तक सीमित होनी चाहिये। तथाकथित भ्रष्टाचार की व्याप्त और भर्ती के तरीके में कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है।

Proposal to place Government Hotels and Tourist Centres under India Tourism Development Corporation

***1671. Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to place the Government Hotels in the big cities and Tourist Centres in various States under the India Toursim Development Corporation ;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor?

Deputy Minister in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (Smt) Sarojini Mahishi): (a) to (c) The Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur, was transferred to the India Toursim Development Corporation on the 1st of January 1969, and the public sector hotels in New Delhi were amalgamated with the Corporation on the 28th of March, 1970. Negotiations are also in progress for taking over the Aurangabad Hotel from the Ministry of Railways.

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय तथा उसके अधीन सरकारी उपक्रमों द्वारा काम में लाई गई विज्ञापन तथा जन सम्पर्क एजेंसियां

***1672. श्री स० चं० सामन्त :**

डा० प० मण्डल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने किन विज्ञापन तथा जन सम्पर्क एजेंसियों का प्रयोग किया ;

(ख) केवल पूर्णतः भारतीय स्वामित्व प्राप्त तथा नियंत्रित एजेंसियों का प्रयोग करने सम्बन्धी सरकारी निदेशों का उल्लंघन करते हुए अमरीका से सम्बन्धित विज्ञापन एजेंसियों का प्रयोग करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन का जनसम्पर्क प्रबन्धक इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा काम में लाई जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी में अपने दो सम्बन्धियों को रोजगार दिलाने में सफल हुआ है ; और

(घ) क्या एयर इंडिया द्वारा काम में लाई जाने वाली एजेंसी भी स्वतन्त्र पार्टी के जन सम्पर्क के लिये उत्तरदायी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग को छोड़ कर मंत्रालय और इससे सम्बद्ध तथा अधीन कार्यालयों से संबंधित विज्ञापनों का कार्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डी० ए० वी० पी० (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय) द्वारा किया जाता है । भारत में पर्यटन विभाग का प्रचार संबंधी कार्य भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है । इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी उद्यम निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसियों का प्रयोग करते हैं:

I. एयर इंडिया

1. भारत	मैसर्ज हिन्दुस्तान थोम्पसन असोसिएट्स लि०, बम्बई ।
2. युनाइटेड किंगडम	मैसर्ज के० एम० पी० पार्टनरशिप लि०, लन्दन ।
3. यूरोप	मैसर्ज मैकान एरिक्सन, जैनेवा ।

I. एयर इंडिया—जारी

4. यू० एस० ए० तथा कनाडा	मैसर्ज़ वान ब्रन्ट एंड कम्पनी, न्यूयार्क ।
5. आस्ट्रेलिया	मैसर्ज़ कौडरे कैम्पबेल ईवल्ड प्रा० लि०, सिडनी ।
6. थाईलैण्ड	मैसर्ज़ कैथे एडवर्टाइज़िंग लि०, बैंकाक ।
7. मलेशिया	मैसर्ज़ एडवर्टाइज़िंग असोसिएट्स लि०, सिंगापुर ।
8. हांगकांग	मैसर्ज़ ग्रान्ट एडवार्टाइज़िंग लि०, हांगकांग ।
9. जापान	मैसर्ज़ एडवर्टाइज़िंग एंड मार्केटिंग आर्गेनाइज़ेशन, टोकियो ।
10. बेरूत	मैसर्ज़ शिप लि०, बेरूत ।
11. पूर्वी अफ्रीका	मैसर्ज़ ग्रान्ट एडवर्टाइज़िंग इन्क०, नैरोबी ।

विदेशों में जनसंम्पर्क सलाहकार

(1) मैसर्ज़ हैरागेट असोसिएट्स, सिडनी ।

(2) मैस्र्ज वैस्टर्न पब्लिक रिलेशन्स प्रा० लि०, पर्थ ।

(3) इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन्स कं० लि०, हांगकांग ।

(4) मैसर्ज सोसियो एटोमिक प्रा० कं० लि०, टोकियो ।

(5) मैसर्ज़ डनफोर्ड हाल एंड पार्टनर्स लि०, नैरोबी ।

(6) मैसर्ज़ एडवर्टाइज़िंग असोसिएट्स प्रा० लि०, सिंगापुर ।

(7) मैसर्ज़ बर्ननाइंस प्रैस, लन्दन ।

II. इंडियन एयरलाइन्स

1. मैसर्ज़ क्लेरियन–मैकान एडवर्टाइजिंग सर्विसेस लि० ।
2. मैसर्ज मास कम्युनिकेशन्स एंड मार्केटिंग प्रा० लि० ।
3. मैसर्ज़ प्रेस सिण्डीकेट लि० ।
4. मैसर्ज इन्टर पब्लिसिटी प्रा० लि० ।

जन सम्पर्क

इंडियन एयरलाइंस की कोई जन सम्पर्क एजेंसी नहीं है और उनका जन सम्पर्क संबंधी कार्य उनके अपने जन सम्पर्क विभाग द्वारा किया जाता है ।

III. भारत पर्यटन विकास निगम

1. मैसर्ज़ एडवर्टाइज़िंग एंड सेल्स प्रोमोशन कं०, तथा
2. मैसर्ज मास कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग प्रा० लि० ।

(ख) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने महसूस किया है कि उनके द्वारा प्रयुक्त की जा रही एजेंसियां उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के सर्वथा अनुरूप हैं और उन्हें अच्छी सेवा प्रदान कर रही हैं ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उनके जन संपर्क मैनेजर का कोई भी सम्बन्धी कारपोरेशन द्वारा प्रयुक्त की जा रही एजेंसियों में नौकरी पर नहीं है ।

(घ) एयर इंडिया ने सूचित किया है कि मैसर्ज हिन्दुस्तान थाम्सन असोसिएट्स ने उन्हें बताया है कि वे "स्वतंत्र" पार्टी के लिए कोई जन सम्पर्क विषयक कार्य नहीं कर रहे हैं ।

बिहार में बम विस्फोट

*1673. **श्री दण्डपाणि :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि बिहार पुलिस के कब्जे में कुछ ठोस प्रमाण हैं कि कलकत्ता में हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति बिहार में अनेक स्थानों में हुए बम विस्फोट की घटनाओं में भी शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने उस प्रमाण का ब्यौरा मांगा है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बिहार सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

भारत के पर्यटन विकास निगम द्वारा 'यात्री' के प्रकाशन कार्य का बिड़ला फर्म को सौंपा जाना

*1674. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम ने 'यात्री' के प्रकाशन का कार्य एक बिड़ला फर्म को सौंपा है ;

(ख) इस विवरणिका के प्रकाशन तथा सम्पादन पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ;

(ग) इस मासिक विवरणिका को विभाग द्वारा प्रकाशित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) पर्यटन विभाग तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा इस फर्म विशेष को विज्ञापन सम्बन्धी तथा अन्य कितना कार्य दिया जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि यह फर्म सम्बंधित अभिकरणों को नियमित रूप से भुगतान नहीं कर रही है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) :
(क) भारत पर्यटन विकास निगम ने, जिसके कि द्वारा पर्यटन विभाग का समस्त प्रचार कार्य किया जाता है, उक्त विभाग के मासिक समाचार बुलेटिन 'यात्री' का प्रकाशन 'मैसर्ज़ एडवर्टाइजिंग एन्ड सैल्ज प्रोमोशन कम्पनी' को सौंप रखा है। यह पता किया गया है कि यह कम्पनी इंडियन प्रेस एक्सचेंज लिमिटेड की मलकियत है जिसके स्वयं के 99.94 प्रतिशत शेयरों का स्वामित्व हिन्दुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के पास है।

(ख) 31-3-1970 तक 'यात्री' के सम्पादन एवं प्रकाशन के लिये पर्यटन विभाग द्वारा कुल 88,500 रुपये की राशि अदा की गई है।

(ग) इस बुलेटिन को विभागीय तौर पर प्रकाशित करना आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं पाया गया।

(घ) 1969-70 के दौरान पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मैसर्ज एडवर्टाइजिंग एण्ड सैल्ज प्रोमोशन कम्पनी को विज्ञापनों एवं अन्य व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए दी गई कुल राशि इस प्रकार है —

(i)	विज्ञापन	लगभग	4.72 लाख रुपये
(ii)	अन्य व्यापार डिजाइन प्रिंट कार्यों आदि के लिये	लगभग	0.87 लाख रुपये
		कुल लगभग	5.59 लाख रुपये

(ङ) विभाग को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में लेनिन शताब्दी का मनाया जाना

***1676. श्री कृ० मा० कौशिक :**

श्री नंजा गौंडर :

श्री जे० मुहम्मद इमाम :

श्री मीठा लाल मीना :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल, 1970 के 'मार्च आफ दि नेशन' साप्ताहिक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय में लेनिन शताब्दी मनाई जा रही थी तो विद्यार्थियों में गम्भीर गड़बड़ पैदा हो गई थी और उपकुलपति तथा रूसी विद्वानों को पिछले दरवाजे से निकल कर सभा भवन से जाना पड़ा था; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित समाचार-पत्र के समाचार से सरकार अवगत है। समाचार-पत्र की खबर में भी कहा गया है कि सोवियत शिक्षाविद श्री वी० गाफूरफ ने समारोह में भाग नहीं लिया था और इसलिए, उनके किसी भी कारण से कक्ष को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह भी ठीक नहीं है कि कुलपति को पिछले दरवाजे से कक्ष छोड़ना पड़ा। कुछ विद्यार्थियों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, किन्तु बैठक, जिसमें काफी व्यक्तियों ने भाग लिया था, शान्तिपूर्वक हुई और सम्पूर्ण कार्यक्रम भी सम्पन्न हुआ।

दिल्ली विश्व विद्यालय में अवर स्नातक कक्षाओं में दाखिला

***1677. श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक परिषद् ने यह धमकी दी है कि यदि आगामी शिक्षा वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अवर स्नातक कक्षाओं में दाखिले पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो वह आन्दोलन आरम्भ करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने और आन्दोलन न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) न तो सरकार को ही और न ही विश्वविद्यालय को नागरिक परिषद के आन्दोलन की धमकी के बारे में कोई जानकारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेलंगाना की समस्या

***1678. श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा 11 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में तेलंगाना की समस्या पर दिये गये वक्तव्य के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाही की है।

(ख) उक्त वक्तव्य में परिकल्पित विभिन्न समितियों ने क्या प्रगति की है और प्रत्येक समिति के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) वांचू समिति और भार्गव समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) तेलंगाना के संबन्ध में 11 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् उस क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को निपटाने के लिए अनेक ठोस उपाय किये गये थे। स्थिति का पुनरीक्षण किया गया और तेलंगाना के खर्च न किये गये आयाधिक्य को काम में लाने, क्षेत्रीय समिति के अधिकारों का विस्तार करने इत्यादि के बारे में निर्णय किये गये थे। ये निर्णय 18 फरवरी, 1970 को जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में घोषित कर दिये गये थे। अब तक विभिन्न समितियों द्वारा की गई प्रगति का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तेलंगाना आयाधिक्य समिति

भार्गव समिति ने तेलंगाना से संबन्धित खर्च न किये गये आयधिक्य के 28.43 करोड़ रुपये होने का निर्धारण किया। सरकार ने पहले ही उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और निश्चय किया कि सारा आयाधिक्य तथा अतिरिक्त धन भी, कुल मिलाकर 45 करोड़ रुपये, चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तेलंगाना के त्वरित विकास के लिए खर्च कर दिया जाय। इस खर्च को पूरा करने के आवश्यक साधन ढूंढने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को ऋण के रूप में उपयुक्त सहायता देने का निश्चय किया है। सरकार ने राज्य के भविष्य के विकासात्मक कार्यक्रमों मे तेलंगाना के पिछड़े हुए इलाकों के विषय में पर्याप्त विचार देने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया है और राज्य के सामान्य विकासात्मक खर्च में तेलंगाना के उचित भाग के सम्बन्ध में निर्णय लेने तथा इस मामले की जांच करने की आवश्यकता पर राज्य सरकार तथा उच्च शक्ति प्राप्त तेलंगाना विकासात्मक समिति पर जोर दिया गया है।

विधिवेत्तओं की समिति

जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि तेलंगाना में सार्वजनिक नियोजन के मामले में सार्वजनिक नियोजन (निवास की अपेक्षा) अधिनियम, 1957 के उपबन्ध संविधान के शक्तिवाह्य हैं, तो केन्द्रीय सरकार ने यह इस मामले में उपयुक्त संवैधानिक संरक्षणों की संभावना का पता लगाने के लिए विधिवेत्ताओं की एक समिति नियुक्त की। समिति ने अनुभव किया कि ऐसे कोई संरक्षण व्यवहार्या नहीं है किन्तु सुझाव दिया कि तेलंनागा क्षेत्र में अधीनस्थ सेवाओं की भरती विकेन्द्रीकृत कर दी जानी चाहिए और इन सेवाओं में भरती का तरीका तथा नियुक्तियां करने में अपनाए जाने वाले सिद्धांत क्षेत्रीय समिति के अधिकार क्षेत्र में रख दिये जाने चाहिएं। राज्य सरकार क्षेत्रीय समिति के परामर्श से प्रथम सिफारिश पर कार्यवाही कर रही है। द्वितीय सिफारिश को लागू करने के लिए क्षेत्रीय समिति आदेश में संशोधन कर दिया गया है। तेलंगाना क्षेत्र में राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी संस्थान, सांविधिक अधिकरणों तथा निगमित निकायों के अधीन तेलंगाना के लोगों के लिए पर्याप्त नियोजन अवसरों के ढूंढने के लिए भी उपायों का सुझाव देने हेतु क्षेत्रीय समिति को शक्ति दे दी गई है। इन उपायों से पर्याप्त मात्रा में तेलंगाना के लोगों के लिए नियोजन के अवसर सुनिश्चित करने में सहायता मिलनी चाहिए तथा इनसे वे सभी सन्देह दूर हो जाने चाहियें जो इस संबन्ध में लोगों के मन में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पैदा हो गये थे।

तेलंगाना विकास समिति

तेलंगाना विकास समिति के मुख्य कार्य ये हैं: पंच वर्षीय योजनाओं के समग्र ढांचे में प्राप्त किये जाने वाले भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के सन्दर्भ में तेलंगाना क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्रमों तथा योजनाओं का पता लगाना, इन कार्यक्रमों तथा योजनाओं के वास्तविक कार्यन्वयन तथा कार्यकरण का समय समय पर पुनरीक्षण करना तथा उन उपयुक्त निर्णयों के बारे में जो आवश्यक समझे जाएं, राज्य सरकार को सलाह देना। इस समिति ने अब तक दो बैठकें की हैं। इन बैठकों में मुख्यत: तेलंगाना के लिये 1969-70 की योजना के आयाम तथा उस क्षेत्र की कुछ विशेष आवश्यकताओं पर विचार किया गया था।

योजना कार्यान्वयन समिति

योजना कार्यन्वयन समिति ने, जिसे तलंगाना क्षेत्र के त्वरित विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के वास्तविक कार्यन्वयन का विस्तृत नियतकालिक पुनरीक्षण करना है, अब तक दो

बैठकें की हैं। इन बैठकों में समिति ने स्थिति का 1969-70 के लिए तेलंगाना क्षेत्र हेतु योजना कार्यक्रमों तथा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना से संबन्धित समग्री तथा क्षेत्रीय रूपरेखा के सन्दर्भ में पुनरीक्षण किया।

सेवाओं का एकीकरण

राज्य सलाहकार समिति तथा केन्द्रीय सलाहार समिति को भेजे गये अध्यावेदनों पर की गई कार्यवाही की प्रगति इस प्रकार है :—

राज्य सलाहकार समिति	1-5-70 को संख्या
(i) राज्य सरकार को सूचित किये भारत सरकार के आदेश :	2501
(ii) समिति की सिफारिशें जिनकी जांच की जा रही है :	226
कुल	2,727

केन्द्रीय सलाहकार समिति

(i) राज्य सरकार को सूचित किये गये केन्द्रीय सरकार के आदेश :	781
(ii) राज्य सरकार से मांगे गये स्पष्टीकरण :	49
(iii) समिति की सिफारिशें जिनकी जांच की जा रही है :	43
(iv) केन्द्रीय सलाहकार समिति को वापिस भेजे गये अध्यावेदन :	6
कुल	879

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न किये जाने से उत्पन्न तेलंगाना सेवा के कर्मचारियों की शिकायतों तथा कुछ अन्य मामलों की जांच करने के लिये उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

पुनरीक्षण समिति

पुनरीक्षण समिति की पहली बैठक प्रधान मंत्री द्वारा 17 अक्तूबर, 1969 को बुलाई गई थी जिसमें आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा तेलंगाना विकास समिति के अन्य सदस्य सम्मिलित थे। इस बैठक में दिये गये सुझावों को उचित कार्यवाही के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेज दिया गया।

वाइकाउंट तथा फोकर फ्रैंडशिप विमानों के स्थान पर नये विमानों का चयन

*1679. **श्री नरेन्द्र कुमार सल्वे :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के वर्तमान वाइकाउंट तथा फोकर फ्रैंडशिप विमानों के स्थान पर नये विमानों के चयन के मामले में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस विमान का नाम क्या है और इसके बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े क्या हैं : और

(ग) इसी प्रकार क विमानों की तुलना में इसका मूल्य कितना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) कारपोरेशन अभी अपने विमान बेडे में फोकर फैंडशिप विमानों को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। जहां तक बाइकाउंटों का संबंध है, इन्हें 1972-73 से पहले क्रमश: समाप्त कर दिया जायेगा। इंडियन एयरलाइंस अपने डी०सी०-3 विमानों के बदले में देश में बने एच० एस०-748 विमान प्राप्त कर रहे हैं तथा बोइंग 737 विमानों की एक बड़ी खरीद को भी स्वीकृत किया जा चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृति प्रदान करना

*1680. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति द्वारा चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को जम्बो जट विमानों के उतारने योग्य बनाने के लिय की गई सिफारिशों के अनुसार सभी निर्माण कार्यों के लिये मंजूरी दे दी गई है और निर्माण कार्य हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत किये जा चुके निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और अभी किन की मंजूरी दिया जाना शष है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी): (क) यद्यपि चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अभी भी जम्बो जटों को लेने की स्थिति में हैं, आवश्यकताओं की अधिक अच्छी प्रकार से पूर्ति करने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा सुधार कार्य किये जा रहे हैं । इन विमान क्षेत्रों पर टर्मिनल भवनों में अंतरिम परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है। जिन अन्य कार्यों की अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र समिति द्वारा सिफारिश की गयी है उनके संबंध में किया जाने वाला व्यय 15 वर्ष से भी अधिक की अवधि में पूरा किया जायेगा । इनमें से कुछ कार्यों की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र समिति की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत टर्मिनल भवनों में अन्तरिम परिवर्तन कार्यों के ब्यौरों को दिखलाने वाला विवरण

विमान क्षेत्र	राशि
बम्बई	1,10,92,776
दिल्ली	72,15,374
कलकत्ता	61,46,952
मद्रास	41,01,686
योग	2,85,56,788

अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र समिति की सिफारिशों के अनुसार अंतरिम परिवर्तनों के अलावा स्वीकृत कार्यों के ब्यौरों को दिखलाने वाला विवरण ।

विमान क्षेत्र	धावन-पथ	टैक्सी-पथ	एप्रन	अन्य कार्य
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
बम्बई	1,30,55,417	91,86,798	55,82,292	18,98,633
कलकत्ता	–	–	68,44,799	–
दिल्ली	3,72,128	11,18,506	39,85,064	–
मद्रास	8,39,244	–	–	–

इनके अतिरिक्त, कलकत्ता तथा मद्रास में धावन-पथों और टैक्सी-पथों के विकास के प्रस्ताव हैं और दिल्ली, मद्रास तथा बम्बई में मुख्यतया नये टर्मिनल कॉम्प्लैक्सों के लिये भूमि अभिग्रहण के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। इस कॉम्प्लैक्सों के लिये प्राक्कलन परिकल्पित (कौंसेप्चुअल) डिजाइन तथा नक्शे तैयार हो जाने और विस्तृत आयोजना कार्य पूरा हो जाने के बाद ही तैयार किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अन्तर्राज्यीय मुठभेड़

9776. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में विभिन्न राज्यों के बीच कितनी मुठभेड़ें हुईं ?

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन के बीच में मुठभेड़ें हुई और इनमें से प्रत्येक का कारण क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की अन्तर्राज्यीय मुठभेड़ों को दबाने के लिये संघ सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले छः महीनों में विभिन्न राज्यों के बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के सरकारी होटलों में ठहरने वालों की औसत प्रतिशतता

9777. श्री बाबू राव पटेल :

श्री रा० की० अमीन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष दिल्ली के सरकारी होटलों में ठहरने वालों की होटलवार, औसत प्रतिशतता क्या रही और ठहरने वालों की संख्या कम होने के क्या कारण थे ;

(ख) अतिथियों ने होटलवार, सेवा से सम्बद्ध किस प्रकार की शिकायतें की और उसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) प्रबन्धक, मुख्य इंजीनियर और प्रबन्ध निदेशक द्वारा अशोक होटल छोड़ने और अन्य कर्मचारियों द्वारा होटल की सेवा छोड़ने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) मार्च 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान दिल्ली में सरकारी होटलों में, शय्या-वार, औसत लाग का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा है :

होटल का नाम	1968–69	1969–70
अशोक	42	44
जनपथ	78	88
लोधी	54	70
रणजीत	46	68

अशोक होटल

(ख) नवीकरण विषयक कार्य तथा डाइनिंग रूम, किचन आदि के स्थान बदलने के परिणामस्वरूप, सेवा से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन पर कार्यवाही की जा चुकी है ।

मुख्य किचन से केन्द्रीकृत, 'रूम सर्विस' चालू करने के लिये रूम सर्विस लिफ्टें लगाई जा रही हैं । निगरानी संबंधी कार्य को और कड़ा करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं । अतिथि सुझाव कार्ड चालू कर दिये गये हैं जिन पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

जनपथ होटल

शिकायतें सामान्यतया रूम सर्विस में देरी तथा अलग अलग वातानुकूलन यूनिटों में यदा-कदा खराबी से संबंधित थीं । किचन को विभिन्न मंजिलों से जोड़ने वाली सर्विस लिफ्ट सुविधाओं की कमी के कारण, रूम सर्विस में कुछ देरी होना अनिवार्य था ।

विभिन्न मंजिलों पर सर्विस कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गयी है और शीघ्रतर सेवा उपलब्ध कराने के लिये एक मंजिल में एक 'सैंट्रल पैंट्री' की व्यवस्था की गयी है । वातानुकूलन यूनिटों के खराब एवं नकारा पुर्जों को विधिवत बदलने का काम हाथ में ले लिया गया है ।

रणजीत तथा लोधी होटल्स

शिकायतें मुख्यतया रूम सर्विस के संबंध में थीं । स्थिति को सुधारने के लिये कदम उठाये जा चुके हैं ।

(ग) पहले वाले मैनेजर ने अपने ठेके की अवधि समाप्त होने पर होटल छोड़ दिया । चीफ इंजीनियर अभी भी होटल की सेवा में है । पहले वाले प्रबंध-निदेशक ने, जिस विभाग से वे आये थे उसी मूल विभाग में लौट जाना पसन्द किया ।

हवाई अड्डों पर उतरने के लिये अपर्याप्त मार्गनिर्देशन सुविधाओं के सम्बन्ध में केप्टन इट्टीलोर की टिप्पणी

9778. श्री बाबू राव पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लुफथान्सा के केप्टन इट्टीलोर द्वारा 5 अप्रैल, 1970 को नई दिल्ली में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने हवाई अड्डों पर उतरने के लिए अप्रर्याप्त मार्गनिर्देशन सुविधाओं की शिकायत की है जिसके परिणामस्वरूप हवाई जहाजों को काफी समय तक कभी-कभी 15 मिनट तक हवा में रहना पड़ता है जिससे ईंधन खर्चा अधिक होता है और उड़ान समय में भी वृद्धि होती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) नई दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के हवाई अड्डों पर कब तक राडार लगा दिये जायेंगे ; और

(घ) राडार लगाने पर कितना व्यय आयेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई० सी० ए० ओ०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार टर्मिनल तथा मार्गस्थ दिक्चालन एवं लैंडिंग उपकरणों से पूरी तरह से सज्जित हैं ।

(ग) दिल्ली विमानक्षेत्र पर परिचालन के लिये एक विमानक्षेत्र निगरानी राडार (ए० एस० आर०) के 1970 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ।

(घ) दिल्ली विमानक्षेत्र के लिये राडार उपकरण का मूल्य लगभग 65 लाख रुपये है, जबकि भवन तथा बिजली के कार्यों पर लगभग 7 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है ।

केरल में नीदकारा पुल का निर्माण

9779. श्री मंगलाथुनाडोम : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नीदकारा पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है

(ख) कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ; और

(ग) केरल की चालू वार्षिक योजना में कितने और पुल बनाने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) (क) नीव और नीचे की संरचना पूरी कर दी गई है । डेक करने के लिये पूर्व प्रतिबलित शहतीर बिछाने का कार्य जारी है ।

(ख) 1971 के मध्य तक ।

(ग) चालू वार्षिक योजना में केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुनर्निमाण के लिये जिन पुलों को मंजूर करने का प्रस्ताव है वे निम्न प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 198/8 कि० मी० में नारागामपल्ली पुल ।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 209/13 कि० मी० में यवकारा पुल ।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 508/8 कि० मी० में इथीकारा पुल ।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 194/6 कि० मी० में कांजीकोदी पुल ।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 293/200 कि० मी० में थडोम पुल ।

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 353/60 कि० मी० में पूनावेली नहर पुल ।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 424/2 कि० मी० में बकाजहान नहर पुल ।

(8) राष्ट्रीय राजमार्ग 47ए पर 367/6 कि० मी० में पुजाकल पुल ।

राज्य सरकार द्वारा केरल में निर्माण किये जाने वाले अन्य पुलों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

ताजमहल, आगरा में प्रवेश के लिये शुल्क

9780. श्री न० रा० देवघरे : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक स्थलों पर प्रवेश शुल्क के निर्धारण का मानदण्ड क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि आगरा में ताज-महल को देखने के लिये 50 पैसे का प्रवेश शुल्क लिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इतना अधिक प्रवेश शुल्क लेने का कारण क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पहले आगरे में ताजमहल को देखने के लिये केवल 30 पैसे का प्रवेश शुल्क था ; और

(ङ) यदि हां, तो शुल्क को बढ़ाकर 50 पैसे करने के कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) ऐसे केन्द्रीय सुरक्षित स्मारकों पर प्रवेश शुल्क लगाया जाता है जो प्रतिदिन काफी संख्या में यात्रियों को आकृष्ट करते हैं ।

(ख) जी हां । केवल 15 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर यह शुल्क लगता है । फिर भी, शुक्रवार के दिन कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है ।

(ग) प्रवेश शुल्क अधिक नहीं माना जा सकता ।

(घ) जी नहीं। पहले 15 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर केवल 20 पैसे प्रवेश शुल्क था।

(ङ) एक अन्तर्विभागीय बैठक में इस स्थिति पर पुनर्विचार किया गया। यह अनुभव कथा गया कि 30 पैसे की वृद्धि से पर्यटक यानायान की वृद्धि के सन्दर्भ में राजस्व में यथोचित बढ़ौतरी होगी तथा इससे अनेक भारतीयों को भी जो इन स्मारकों को देखने के लिए जायेंगे कोई खास परेशानी नहीं होगी।

अनुभाग अधिकारी के पदों पर नियुक्तियों के लिये वर्ष 1959 तथा 1960 में हुई परीक्षाओं के उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों में से बचे हुए व्यक्तियों की नियुक्ति

9781. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुभाग अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 1959 तथा 1960 में हुई समिति प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों में बचे हुए व्यक्तियों को खपाने संबंधी 5 वर्ष की मूल अवधि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1959 तथा 1960 की परीक्षाओं से बचे हुए व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिन्होंने इन परीक्षाओं में कुल अंकों का 45 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, तथा उनमें से किस को लाभ पहुंचेगा ;

(ग) वर्ष 1959 तथा 1960 परीक्षाओं से बचे व्यक्तियों में से अब तक अलग-अलग कितने व्यक्तियों को खपाया जा चुका है ;

(घ) प्रत्येक ग्रुप में से बचे व्यक्तियों को समान संख्या में खपाने के बारे में भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार दोनों ग्रुपों में व्याप्त विद्वेष को समाप्त करने के लिये दोनों ही ग्रुपों के बचे हुए व्यक्तियों में रिक्त स्थानों का यथानुमान वितरण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) 1959 और 1960 की परीक्षाओं के बचे हुए व्यक्तियों को खपाने का निर्णय उन व्यक्तियों पर लागू होता था जिन्होंने 55 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये थे। खपाने के लिए बचे हुये कुल पात्रों की संख्या 1959 की परीक्षा से 35 तथा 1960 की परीक्षा से 110 थी। पात्र श्रेणियों में 1959 की परीक्षा के सभी बचे हुए व्यक्ति खपा लिये गये हैं। 1960 की परीक्षा के बचे हुए पात्र व्यक्तियों में से 30-9-1967 को पांच वर्ष की समाप्त होने वाली अवधि में 51 व्यक्ति खपाये न जा सके और उनको खपाने का प्रश्न विचाराधीन है। दोनों परीक्षाओं के उम्मीदवारों के बीच रिक्तियों का कोई यथानुपात विभाजन नहीं हो सका क्योंकि पहले की परीक्षाओं के उम्मीदवारों को बाद की परीक्षा के उम्मीदवारों पर प्रवता प्रदान की जाती है।

न्यायपालिका और न्यायालयों में विलम्ब की समस्याओं से निपटने के लिए एक अलग न्याय मंत्रालय का बनाया जाना

9783. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या न्यायपालिका तथा न्यायालयों में विलम्ब की समस्याओं से निपटने के लिये केन्द्र में एक न्याय मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न न्यायालयों में बहुत अधिक संख्या में पड़े अनिर्णीत मामलों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग ने " भारत सरकार का शासनतंत्र तथा उसकी कार्यपद्धति " विषयक अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि गृह-मंत्रालय का न्याय करण का वर्तमान कार्य विधि मंत्रालय में विधि कार्य विभाग को हस्तांतरित कर देना चाहिये और इस मंत्रालय का नाम बदल कर विधि तथा न्याय मंत्रालय रखना चाहिए । यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रेल यात्रा प्रतिपूर्ति योजना को उदार बनाना

9784. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी काफी लम्बे समय से यह कह रहे हैं कि रेल यात्रा प्रतिपूर्ति योजना को उदार बनाया जाना चाहिये ;

(ख) क्या सरकार ने "होम टाऊन" के अतिरिक्त अन्य यात्राओं के लिये रियायत देने के परिणामों का अध्ययन किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को भाड़े की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने का है ; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए यात्रा रियायतों के संबंध में लम्बे अर्से की इस मांग की पूर्ति करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) यह प्रश्न राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारी पक्ष की ओर से प्रस्तावित एक मद पर विचार-विमर्श के लिए आया । राष्ट्रीय परिषद में समझौते के बाद यह निश्चय किया गया कि दी जा सकने वाली एकमात्र अधिक रियायत यह है कि छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रथम 160 किलोमीटर तथा अन्य कर्मचारियों के लिए प्रथम 400 किलोमीटर से बाहर की यात्रा के 90 प्रतिशत किराये के बदले पूरे वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए । तदनुसार 10 मार्च, 1967 को आदेश जारी किये गये । प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की आवश्यकता को देखते हुए इस योजना में कोई और परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एम० ए० में पत्राचार-पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना

9785. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या-सम्बन्धी परिषद् ने आगामी शैक्षिक वर्ष से एम० ए० में पत्राचार-पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा दाखिला कब आरम्भ हो जायेगा ;

(ग) प्रत्येक विषय में कितने स्थान उपलब्ध किये जायेंगे ;

(घ) क्या इन पाठ्यक्रमों के लिये दाखिले के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सामान्य सुविधाएं दी जायेंगी तथा उन के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ) विश्व-विद्यालय अधिकारियों के समक्ष अभी यह मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय स्कूलों में दाखिला

9786. श्री प्र० र० ठाकुर : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली/नई दिल्ली में प्रत्येक केन्द्रीय स्कूल में अनुसूचित जातियों तथा अनु-सूचित आदिम जातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) प्रत्येक स्कूल में प्रवेश के लिये कितने स्थान उपलब्ध किये गये ;

(ग) प्रत्येक स्कूल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रार्थियों के वास्तव में कितने बच्चे चुने गये तथा दाखिल किये गये ; और

(घ) इन जातियों के बच्चों को प्रयाप्त संख्या में दाखिल न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अब तक केवल पहली क्लास के प्रवेश को ही अन्तिम रूप दिया गया है । पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अनुसूचित-जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या, स्कूल-वार निम्न है :—

1. केन्द्रीय स्कूल, रामाकृष्णापुरम	37
2. केन्द्रीय स्कूल, दिल्ली छावनी	शून्य
3. केन्द्रीय स्कूल, एंड्रूज गंज छावनी	शून्य

4.	केन्द्रीय स्कूल, गोल मार्किट	13
5.	केन्द्रीय स्कूल, टैगोर गार्डन	4

(ख) केन्द्रीय स्कूलों में प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों के लिये स्थानों का अनुरक्षण नहीं है । जिस श्रेणी से पात्र अभ्यार्थी सम्बद्ध होते हैं उसी के अनुसार उन्हें उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है ।

(ग) पहली कक्षा में 5 स्कूलों में प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या निम्न है :—

1.	केन्द्रीय स्कूल, रामाकृष्णापुरम	26
2.	केन्द्रीय स्कूल, दिल्ली छावनी	शुन्य
3.	केन्द्रीय स्कूल, एंड्रूज गंज	शून्य
4.	केन्द्रीय स्कूल, गोल मार्किट	6
5.	केन्द्रीय स्कूल, टैगोर गार्डन	4

(घ) सभी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों को जिन्होंने टेस्ट में न्यूनतम अर्हक-अंकों को प्राप्त किया, उन्हें दाखिला दिया गया था ।

गुजरात में बन्दरगाहों के लिये अपेक्षित ड्रेजरों की कमी

9788. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की बन्दरगाहों के लिये अपेक्षित ड्रेजरों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह): (क) और (ख) सूचना गुजरात सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

गुजरात में पर्यटन का विकास

9789. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1967, 1968 और 1969 के वर्षों में कुल कितने पर्यटक आए तथा देश में पर्यटन यातायात की तुलना में इसका क्या अनुपात है ;

(ख) गुजरात में पर्यटकों के विकास के लिये गत पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि खर्च की गई और समस्त भारतीय व्यय की तुलना में इस राशि का क्या अनुपात है ; और

(ग) गुजरात के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रस्तावित राशि है और इस राशि को किन स्थलों पर तथा किस ढंग से खर्च किया जाना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) पर्यटन विभाग केवल विदेशी पर्यटकों के आंकड़े रखता है, और ये भी अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते हैं राज्यवार नहीं। तथापि, विभाग की ओर से किये गये हाल के नमूना सर्वेक्षण से मालूम होता है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में से अहमदाबाद, बड़ौदा, कांडला तथा सूरत जाने वाले पर्यटक क्रमश: 3.1 प्रतिशत, 2.0 प्रतिशत, 0.07 प्रतिशत तथा 1.4 प्रति शत हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	भारत आने वाले कुल पर्यटक
1967	1,78,565
1968	1,88,820
1969	2,44,724

(ख) तीसरी योजनावधि के संबंध में आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(i) अखिल भारतीय व्यय	510.45 लाख
(ii) गुजरात में हुआ व्यय	18.57 लाख
(iii) (ii) से (i) का अनुपात	3.6 प्रतिशत

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में निम्न लिखित स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है :—

	(लगभग व्यय)
1. साबरमती आश्रम में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन।	12.00 लाख रुपये
2. गिर वन्य पशु शरण स्थान में अतिरिक्त आवास तथा परिवहन।	3.00 लाख रुपये
3. अहमदाबाद में सुविधायें।	(अभी ब्यौरे तैयार किये जाने हैं)।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने साबरमती में पर्यटक बंगले के लिये जो कि 4.30 लाख रुपये की लागत से पूरा होगा, 2.26 लाख रुपये का उपदान दिया है।

गुजरात राज्य में हरिजनों पर हमले

9790. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों में हरिजनों पर कितने आक्रमण किये गये ;

(ख) उनकी सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ;

(ग) इस प्रकार आक्रमण करने वाले उन लोगों की संख्या क्या है जिन्हें दण्ड दिया गया और ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्हें दण्डमुक्त कर दिया गया ; और

(घ) उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें जेल की सजा दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

असैनिक उड्डयन विभाग में रेडियो आपरेटरों और रेडियो तकनीशियनों (सिलेक्शन ग्रेड) के पद

9791. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक उड्डयन विभाग में रेडियो आपरेटरों (सिलैक्शन ग्रेड) और रेडियो तकनीशियनों (सिलैक्शन ग्रेड) के कितने पद 1 अप्रैल, 1952, 1 अप्रैल, 1954, 1 अप्रैल, 1957, 1 अप्रैल, 1960, 1 अप्रैल, 1962, 1 अप्रैल,, 1964, 1 अप्रैल, 1966 और 1, ,अप्रैल, 1970 को रिक्त रहे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : रेडियो आपरेटरों (सिलैक्शन ग्रेड) तथा रेडियो तकनीशियनों (सिलैक्शन ग्रेड) के संवर्गों में रिक्त स्थानों की संख्या सम्बद्ध तारीखों को निम्न प्रकार है--

	रेडियो आपरेटर (सिलैक्शन ग्रेड)	रेडियो तकनीशियन (सिलैक्शन ग्रेड)
1-4-52	79	63
1-4-54	87	64
1-4-57	98	74
1-4-60	106	78
1-4-62	113	90
1-4-64	131	101
1-4-66	56	36
1-4-70	–	–

Rules for setting up Public Schools

9792. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(*a*) the rules framed for running the schools on the lines of public schools and for setting up a society for this purpose ;

(*b*) whether it is not necessary to obtain the permission of Government for running such schools and, if so, the reasons therefore;

(*c*) if it is necessary to obtain the permission of Government, whether Government, before granting such permission, ensure that the members of such society are educationists and possess adequate means to run such schools and

(*d*) the number of such educational societies set up in 1969, the number and names of schools opened by them and the other details in respect of these societies, such as their names, addresses and qualifications of the members of each society ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (*a*) No such rules have been framed by the Government.

(*b*) The Government of India's permission is not needed for running such schools, but, before these schools are recognised by a particular Examining Body, they have to satisfy the conditions of recognition laid down by that particular Examining Body e.g. the Central Board of Secondary Education, and the Council of Indian School Certificate Examinations.

(*c*) Does not arise.

(*d*) The required information is not readily available.

Recognition to Private Schools in Delhi and New Delhi

9793. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(*a*) the criteria on which recognition is given to private schools in Delhi and New Delhi by the Delhi Municipal Corporation;

(*b*) the number and names of those schools which are given recognition on yearly basis ;

(*c*) whether any of the above schools have ever made any request to the education authorities to give the recognition on permanent basis and, if so, the action taken thereon and whether such requests were accepted and, if not, the reasons therefor :

(*d*) the number of new schools which have sent applications to the Delhi Municipal Corporation for getting recognition; and

(*e*) whether it is proposed to give recognition on permanent basis to those schools which are given recognition on yearly basis and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (*a*) to (*e*) The requisite information is being collected from the concerned authorities and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

सम्पत्ति के विभाजन के लिए रामपुर के नवाब के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति

9794. श्री स० मो० बेनर्जी :
श्री झारखण्डे राय :
श्री गयूर अली खां :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री क० लकप्पा :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रविराय :
श्री जुल्फिकार अली खां :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या नवाबजादी सईदा कमर लका बेगम ने सम्पत्ति विभाजन के लिये रामपुर के वर्तमान नवाब के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिये सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरणशुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार ने विषय पर विचार किया है और रामपुर के नवाब के विरुद्ध एक मुकदमा दायर करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 87–ख के अधीन अपेक्षित अनुमति प्रदान कर दी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय, नई दिल्ली

9795. श्री एस० एस० सईद : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय, नई दिल्ली में कर्मचारियों, रैकों और स्थान के अपर्याप्त होने के कारण बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें फर्श पर पड़ी रहती हैं और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) यह सत्य है कि रैकों और स्थान की कमी होने के कारण पुस्तकालय में नई प्राप्त की गई पुस्तकें शेल्फों में उचित जगहों पर नहीं रखी जा सकती ।

(ख) पुस्तकालय में दो कतारों वाले शेल्फों के 152 स्टील रैकों की सप्लाई के लिए महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को आर्डर दिया जा चुका है । ऐसी आशा की जाती है कि नये दो कतारों वाले शेल्फों की व्यवस्था से पुस्तकालय में स्थान की समस्या आसान हो जायेगी ।

राज्यों में अध्यापकों के लिए स्लेक्शन ग्रेड

9796. श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापकों के लिये सलैक्शन ग्रेड कितने राज्यों में दिए गये हैं और किन दरों पर तथा केडरों के किस अनुपात में ;

(ख) स्लेक्शन ग्रेड को शुरु करने के लिये क्या किसी राज्य ने केन्द्रीय सहायता की मांग की है और यदि हां, तो उसके परिणाम स्वरूप कितना वित्तीय खर्च होगा ; और

(ग) अध्यापकों को मंहगाई भत्ता देने के बारे में केन्द्र द्वारा राज्यों की सहायता न करने के क्या कारण हैं जबकि इस प्रकार की आवश्यकता मुद्रास्फीति के कारण ही हुई है जिसके लिये केन्द्र उतरदायी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना सभा-पटलपर रख दी गई है । (ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी० 3534/70)

(ख) मांग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) राज्यों को दी जाने वाली योजना बाह्य केन्द्रीय सहायता वित्त आयोग पंचारों में दिय गये संवैधानिक अनुबंधों के अनुरूप दी जाती है । यह पंचार राज्य सरकार द्वारा किये गये बढ़े हुए व्यय का हिसाब रखता है । जहां तक पंचवर्षीय योजनाओं का सम्बन्ध है, योजना के लिये इस समय सामुहिक रूप से अनुदान दिया जाता है न कि वैयक्तिक योजनाओं के लिए ।

विदेशी धर्म प्रचारकों को नागरिकता प्रदान करना

9797. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशी धर्म-प्रचारकों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिये कितने आवेदन पत्र दिये गये और उनमें से कितने स्वीकृत हुये, कितने अस्वीकृत हुये, और कितने अनिर्णीत पड़े हैं ?

(ख) उन धर्म-प्रचारकों के आवेदन पत्रों को किन आधारों पर अस्वीकृत किया गया जिनके देशों के साथ हमारे राष्ट्रजनों को नागरिकता प्रदान करने सम्बन्धी पारस्परिक व्यवस्था है ; और

(ग) नागरिकता के लिये प्राप्त आवेदनों को निपटाने के लिये कोई सीमा, यथा छः मास नियत न करने का कारण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत में विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिये दिये गए 20 आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार को 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाले 2 वर्ष की अवधि के दौरान प्राप्त हुए। इनमें से 19 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये और एक अनिर्णित पड़ा है ।

(ख) संबंधित आवेदनकर्त्ता भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये उपयुक्त नहीं समझे गये ।

(ग) निपटान के लिए आवश्यक समय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित होगा। कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। किन्तु एसे मामलों पर कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किये जाते हैं।

मैसूर राज्य के लिये पर्यटन योजनाएं

9798. श्री लोबो प्रभु : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री वर्तमान बजट में पर्यटन केन्द्रों के लिये निर्धारित राशि के बारे में 1 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मंजूर की गई पर्यटन योजनाओं पर आने वाली लागत के अनुमान का ब्यौरा क्या है तथा स्थगित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या मैसूर राज्य की इस सम्बन्ध में आनुपातिक कमी को किसी रूप में स्पष्ट किया जा सकता है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमति सरोजिनी महिषी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसूर राज्य में जिन पर्यटन योजनाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है तथा जिन योजनाओं को छोड़ दिया गया है, उनका उल्लेख पहले ही 1 मई, 1970 को लिखित प्रश्न संख्या 8301 के मेरे उत्तर में किया जा चुका है । प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं के व्यय का अनुमान राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

(ख) आनुपातिक कमी का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन योजनाओं को राज्यवार आधार पर नहीं अपितु किसी स्थान के पर्यटकों के लिये वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को दृष्टि में रख कर तैयार और क्रियान्वित किया जाता है ।

Working of Rashtriya Swayam Sewak Sangh and Utilisation of Secret Funds Raised by it

9799. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the details of the written Constitution of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh and whether Government have examined said Constitution at any time;

(*b*) the documents published by the said organisation on which its policy is based and the details of its working;

(*c*) whether Government have conducted an enquiry to ascertain the secret activities on which the secret funds raised by the Rashtriya Swayam Sewak Sangh through donations made secretly by people for many years past, are spent;

(*d*) whether Government are aware that the said secret funds have been hidden secretly at some place ; and

(*e*) if so, the reaction of Government in regard thereto.

Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) and (*b*) In the earlier part of 1949, when the question of removal of the ban on the Rashtriya Swayam Sewak Sangh was being considered by the Government, the terms of a draft constitution forwarded by the RSSS leader were examined by the Government. The reactions on the draft were communicated to him. The clarifications made by him and the constitution of the Sangh later published led to a hope that the Constitution of the Sangh was intended to be worked in the spirit contemplated by the Government of India. In particular the Rashtriya Swayam Sewak Sangh leader had undertaken to make the loyalty to the Constitution and respect for the National Flag more explicit in the constitution of the RSSS and to provide clearly that persons believing in or resorting to violent and secret methods would have no place in the Sangh. The published constitution also states that "the Sangh as such has no politics and is devoted to purely cultural work."

(*c*) to (*e*) Information available with the Government in respect of the various aspects of the functioning of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh has been furnished to the House from time to time. Regarding the sources of the funds of the Sangh attention is invited to the statement furnished to fulfil the assurance given in answer to part (*c*) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 6149 dated April 11, 1969. Information regarding the property belonging to the Sangh was furnished in answer to the Lok Sabha Unstarred Question No. 9899, dated May 16, 1969. Government have made no special inquiries into the expenditure made by the Sangh.

M/B(D)9LSS—6(a)

शिव सेना की गतिविधियां

9800. श्री शशि भूषण :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये शिव सेना के लिखित विधान की जांच-पड़ताल की है कि उसकी गतिविधियां उस विधान के अनुरूप हैं :

(ख) क्या शिव सेना की कोई गुप्त निधि है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) राष्ट्रीय एकता पर शिव सेना की गतिविधयों का क्या प्रभाव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) महाराष्ट्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार शिव सेना ने अब तक कोई लिखित विधान नहीं अपनाया है ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार के विचार में शिव सेना जैसे संगठनों की गतिविधायां जो क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काती है, राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यन्त हानिकर हैं ।

बिहार में जलूस पर आक्रमण

9801. श्री गणेश घोष :

श्री भगवान दास :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री ज्योतिर्मय बसु

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जनवरी, 1970 को बिहार में बसताकोल्ला कोयला खान क निकट शान्ति पूर्ण जुलूस पर आक्रमण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि गिरोह ने इस आक्रमण क लिए जीप नम्बर बी० आर० डब्ल्यू० 1999 का प्रयोग किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस जीप के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) (ख) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार काम गरों के एक जुलूस पर, जो एक बैठक में भाग लेने के लिए न्यू स्टैंडर्ड लोडना कोयला खान से 11 जनवरी 1970 को धनबाद को आ रहा था, बस्ता कोला कोयला-खान के निकट कुछ व्यक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया। इस घटना में 18 व्यक्ति घालय हुये। पुलिस ने एक फोजदारी का मामला दर्ज किया है और विधि अनुसार इसकी जांच कर रही है। अब तक 24 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) और (घ) यह सिद्ध करने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि उपद्रवकारियों द्वारा जीप नम्बर बी० आर० डब्लयू 1999 का प्रयोग किया गया था।

पश्चिम बंगाल में खेले गये जलियां वाले बाग नाटक में महात्मा गांधी की आलोचना

9802. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में "जात्रा" की प्रकार के श्री उत्पल दत्त लिखित नाटक "ज लयां वाला बाग" को खेला जा रहा है ;

(ख) क्या इस "जात्रा" में महात्मा गांधी को "साम्राज्यवादी एजेन्ट" और "भारतीयों का शत्रु" बताया गया है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल विधान सभा के बजट सत्र में ऐसी बातों के प्रति विरोध प्रकट किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो "जात्रा" शो में ऐसी अभद्र बातों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या "जात्रा" के लेखक श्री उत्पल दत्त को पद्मश्री की भांति कोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री उत्पल दत्त द्वारा लिखित 'जलियांवाला बाग' शीर्षक नाटक का अभिनय कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में किया गया है।

(ख) ऐसी सूचना है कि नाटक में गांधीजी पर अप्रतिष्ठित टिप्पणीयां की गई हैं। फिर भी गांधी जी के अहिन्सा पालन की आलोचना इसलिये की गई है कि वह अंग्रेजी शासकों के लिये हितकर थी।

(ग) इस विषय पर 27 फरवरी, 1970 को एक ध्यानआकर्षण प्रस्ताव के संबंध में पश्चिम बंगाल विधान सभा में चर्चा हुई थी।

(घ) नाटक के संबंध में कोई विशेष कार्यवाहियां नहीं की गई हैं।

(ङ) जी नहीं, श्री मान्।

जम्मू तथा काश्मीर की मुक्ति के लिए छापामार संघर्ष

9803. श्री हेम बरूआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में कुछ लोग पाकिस्तान के उकसाने पर राज्य की भारत से तथा कथित मुक्ति के लिये राज्य में छापामार संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्य में ऐसे संघर्ष को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

(ख) तथापि, सरकार इस मामले में सतर्क है ।

पश्चिमी बंगाल के मंत्री का अपहरण

9804. श्री गार्डिलिंगन गौड :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या 20 जनवरी, 1970 को पश्चिमी बंगाल के मंत्री श्री मुक्तामणी के अपहरण के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 20 जनवरी, 1970 को हलीशहर, रेलवे स्टेशन से 13-14 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा श्री मुकुटमणी का बल पूर्वक अपहरण किया गया । पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और 21 जनवरी, 1970 को श्री मुकुटमणि का पता लगा । मामले की छान-बीन की जा रही है और तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । 20 जनवरी, 1970 को श्री मुकुटमणि राज्य सरकार का मंत्री नहीं था ।

Recovery of Pakistani Bombs in Ashok Nagar (Madhya Pradesh)

9805. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Police had recovered some Pakistani bombs from a person in the first fortnight of December, 1969 at Ashok Nagar in District Guna of Madhya Pradesh ; and

(*b*) if so, the number of bombs so recovered and the nature of action taken against the person concerned ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The required information is being obtained from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूस

9806. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छ: महीनों में जम्मू और कश्मीर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे जम्मू और काश्मीर में काफी संख्या में पाकिस्तानी जासूसों की उपस्थिति का पता चलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्मू और काश्मीर में इश्तहारों पुस्तिकाओं और नारों द्वारा तथा मस्जिदों का प्रयोग करके बहुत अधिक पाकिस्तानी प्रचार किया जा रहा है ;

(ग) क्या कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञ भी उक्त कार्यों में शामिल हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसे कोई संकेत नहीं हैं यद्यपि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अक्टूबर 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि में कुछेक पाकिस्तानी एजेन्ट पकड़े गये थे ।

(ख) और (ग) कुछ राष्ट्र विरोधी और प्रतिकुल प्रभाव के इश्तहार उक्त अवधि में जम्मू व काश्मीर सरकार के ध्यान में आये थे किन्तु उन इश्तहारों के स्रोत अथवा लेखकों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा है । कुछ राजनैतिक नेताओं ने मस्जिदों में कुछ सार्वजनिक भाषण और वक्तव्य दिये थे । राज्य में जासूसी गतिविधियों में ग्रस्त कोई प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ नहीं पाये गये थे ।

(घ) सरकार सतर्क है ।

Institutions Advocating Indo-Pak Re-Union

9807. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Government are aware that there are certain institutions in the country which have been advocating for the Indo-Pakistan re-union; and

(*b*) if so, their names and the details of their activities and whether Government are prepared to extend Co-operation to such institutions ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (*a*) and (*b*) Facts are being ascertained.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गृह विभाग का प्रयोग

9808. श्री ब० कृ० दास चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला कांग्रेस और कुछ अन्य सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चा दलों ने पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के गृह विभाग को मार्क्सवादी साम्यवादी दल के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के आरोपों के विरुद्ध क्या पश्चिमी बंगाल के उप मुख्य मंत्री ने वहां के गवर्नर को भूतपूर्व न्यायाधीश की हैसियत से जांच करने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत व्यौरा क्या है और राज्यपाल की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) प० बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प० बंगाल के भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री द्वारा औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया था कि राज्यपाल एक भूतपूर्व जज की हैसियत से राज्य के गृह विभाग के विरुध आरोपों की जांच कर सकता है । फिर भी, संयुक्त मोर्चे की सरकार के अन्तिम दिनों में राज्यपाल के साथ हुई बैठक में श्री ज्योति बसु ने कुछ क्षेत्रों में लगाये गये इन आरोपों का हवाला देते हुए कि सी० पी० एम राजनैतिक प्रयोजनों के लिए गृह विभाग का प्रयोग कर रहा है कहा था कि उनका दल मंत्रिपरिषद अथवा संयुक्त मोर्चा अथवा राज्यपाल द्वारा भी एक निष्पक्ष जांच करवाने के लिये तैयार है । राज्यपाल ने उस जांच के लिये अपनी परेशानी को व्यक्त किया और फिर इस बात पर आगे विचार विमर्श नहीं हुआ ।

Pakistani National in Ajmer

9809. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Shri Mohammad Ali Chisti S/o Sayyad Mohammad Ali Chisti, resident of House No. V/391 near Dargah Khwaja Sahib, Ajmer, Rajasthan, is a Pakistani national and is putting up in India illegally ;

(*b*) whether it is also a fact that the said person had taken away Rs. 80,000 to Pakistan at the time of partition of the country.

(*c*) whether it is further a fact that the said person is moving about in every part of India for many years past ;

(*d*) whether many of his activities are anti-national;

(*e*) whether the residents of Ajmer, have apprised the Governments of India and Rajasthan in this regard from time to time ; and

(*f*) if so, the reasons for Government's inactivity in this respect and whether Government have taken any action in this regard so far ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) No, Sir. He is an Indian citizen registered under the Citizenship Act, 1955.

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) Being an Indian citizen, he is free to do so.

(*d*), (*e*) and (*f*) There were some complaints against him. But no specific case of any unlawful activity has come to notice.

कच्छ-पाकिस्तान सीमा पर किसानों और सेवा निवृत जवानों को बसाना

9810. **श्री रा० को० अमीन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलवान किसानों और सेवा निवृत्त जवानों के कुछ परिवारों को कच्छ पाकिस्तान सीमा पर बसाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिये सरकार ऐसा अनेक परिवारों को सीमा पर बसाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में चौथी योजना की अवधि में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Donation by a Delhi liquor contractor for a newspaper to be brought out by Jan Sangh

9811. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether the attention of Government has been drawn to the fact that recently in Delhi a liquor contractor has donated Rs. 50,000 for a Daily newspaper to be brought out shortly by the Jan Sangh ;

(*b*) if so, the reaction of Government in regard thereto ;

(*c*) the total number of bottles of liquor on the sale of which the Delhi Administration realised Sales Tax during the last year from the said contractor; and

(*d*) whether Government are satisfied that the Sales Tax recovered by them is in proportion to the sale of liquor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) & (*b*) An allegation has been made that liquor contractors have contributed huge sums of money for daily newspapers sponsored by Rashtriya Swayam Sewak Sangh.

(*c*) and (*d*) If the name of the Contractor is indicated, information will be collected and laid on the table of the House.

शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रमों के विरुद्ध शिकायत के बारे में संसद् सदस्यों का शिक्षा मंत्री को पत्र

*9812. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 1970 में किसी संसद सदस्य से कोई पत्र मिला है जिसमें स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रमों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने पत्र का उत्तर दे दिया है, और यदि हां, तो उत्तर का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) माननीय सदस्य सम्भवतया अपने पत्र दिनांक 31-12-1969 का उल्लेख कर रहे हैं जो प्रो० मुजीब को संबोधित किया गया था तथा जिसकी प्रति प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री को प्रेषित की गई। पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3535/70]

(ग) और (घ) प्रार्थी के पत्र का उत्तर प्रोफेसर मुजीब से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रो० मुजीब के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मामले की छान-बीन करने के पश्चात् संलग्न, पत्र पर कार्यवाही की जायेगी।

पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल तथा राज्यपाल के कार्य के बारे में विवाद

9813. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत राज्यपाल के कार्य और मार्क्सवादी साम्यवादी दल की प्रतिनिधिस्वरूप के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ कोई विवाद चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

*मूल अंग्रेजी में

सर्व श्री गिलपैट्रिक और आइसनवर्ग की गतिविधियां

9814. श्री स० चं० सामन्त :

डा० प० मण्डल :

सरदार अजमद अली :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राकफेलर प्रतिष्ठान के मिस्टर सी० गिलपैट्रिक और मिस्टर आइसनवर्ग (जो एक समय शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन संबंधी मामलों के सलाहकार थे) कब से भारत में रह रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार सभा पटल पर एक विवरण रखेगी जिसमें उन संस्थाओं, उनके संकायों तथा स्थानों का ब्यौरा हो, जिन से यह दो अमरीकी नागरिक सम्बद्ध रहे हैं ; और

(ग) क्या इन दो व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में विदेश कार्यालय की सुरक्षा सेवा से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) श्री गिलपैट्रिक 24-9-1964 से और श्री आइसनवर्ग मई 1955 से भारत में रह रहे हैं।

(ख) उन संस्थानों के ब्यौरे बताने वाला विवरण जिनमे श्री सी० गिलपैट्रिक और श्री ए० आइसनवर्ग सम्बद्ध थे, सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. श्री सी० गिलपैट्रिक	1. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, दर्शन शास्त्र के विज़िटिंग प्रोफेसर के रूप में ।	
	2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ।	राकफेलर समर्थित सहकारी कृषि कार्यक्रम के क्षेत्र कर्मचारी के एक सदस्य के रूप में।
	3. उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर ।	
	4. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली ।	
2. श्री ए० आइसनवर्ग	1. दक्षिणी भाषा पुस्तकन्यास, मद्रास, वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ।	
	2. फोर्ड फाउनडेशन, नई दिल्ली, भारत में प्रतिनिधि के सहायक के रूप में ।	
	3. अमरीकन अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल, नई दिल्ली, सलाहकार के रूप में ।	
	4. शिक्षा मंत्रालय, युनेसको के साथ एक ठेके के अधीन मामलों के प्रकाशन से संबंधित सलाहकार के रूप में ।	

2 श्री ए० आइमनशर्मा--जारी विवरण--जारी

5. मैक्सवैल स्कूल का कार्यालय, सिराक्यूज विश्वविद्यालय नई दिल्ली, कार्यक्रम प्रशासक के रूप में ।
6. शैक्षणिक साधन केन्द्र नई दिल्ली, रेसिडेंट कन्सलटैन्ट के रूप में ।
7. फार्ड फाउनडेशन, नई दिल्ली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सलाहकार के रूप में ।

(5) सरकार को कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

जम्मू और काश्मीर जन सम्मेलन में भाग लेने वालों को अनुमति दिये जाने के लिए शेख मुहम्मद अब्दुल्ला का पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पत्र

9815. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री गार्डिलिगन गौड :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री रमेशचन्द्र व्यास :
श्री बलराज मधोक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या हाल ही में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिसमें आगामी माह श्रीनगर में जम्मू और काश्मीर जनसम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिये अधिकृत काश्मीर में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को अनुमति देने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रैस रिपोर्ट देखी है । इस सम्बन्ध में 13 मार्च, 1970 तथा 10 अप्रैल, 1970 को सदन में क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 2966 तथा 6003 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

पाकिस्तानियों द्वारा आसाम की सीमा पर लगे स्तम्भों का हटाया जाना

9816. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम के मंत्री राजस्व द्वारा राज्य विधान सभा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के कुछ शरारती लोगों ने नवम्बर के

अन्तिम सप्ताह में सीमा स्तम्भ हटा दिये थे और आसाम सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को इस बारे में एक विरोध पत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार का भी पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान औद्योगिक विकास निगम द्वारा किए गए विस्फोट और खोदने के परिणामस्वरूप संयुक्त खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियों के बोसोरा क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर कुछ सीमा स्तम्भों को क्षति पहुंचाई गई थी और कुछ हटा दिये गये थे। पाकिस्तानी प्राधिकारियों से उपयुक्त स्तरों पर विरोध किया गया। भूमि अभिलेखों के निदेशकों तथा असम व पूर्वी पाकिस्तान के सर्वेक्षकों की संयुक्त देख-रेख में गिरे हुये स्तम्भ भूमि पर फिर खड़े कर दिये गये हैं ।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार तथा सीमा सुरक्षा दल द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में उनके समक्ष अधिकारियों से प्रतिरोध किया गया है । ढाका में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर द्वारा भी पूर्वी पाकिस्तान सरकार से प्रतिरोध किया गया है ।

नेफा के बारे में चीनी योजनाएं

9817. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं और अन्य विद्रोही तत्वों को चीन में जाने से रोकने से संबधित सुरक्षा सेना की कारगर कार्यवाही के फलस्वरूप उत्तर-पूर्व सीमांत के विद्रोही जाति के लोगों का पैकिंग के अधिराजत्व में एक स्वतंत्र उत्तर-पूर्व संघ बनाने के लिये उत्तेजित करने के सम्बन्ध में चीनी योजनाओं को भारी धक्का लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) हमारे सुरक्षा दलों की सतत् निगरानी के परिणामस्वरूप हाल में नागा विद्रोहियों का कोई गिरोह सीमा पार करते नहीं देखा गया है । चीन में प्रशिक्षित 293 नागाओं के अन्तिम गिरोह में से, जो मार्च, 1969 में नागालैण्ड में प्रविष्ट हुआ था, लगभग 240 व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं और 6 व्यक्ति मुठभेड़ों में मारे गये हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान के छापामारों तथा भारती ग्रामीणों के बीच भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाछड़ा में सशस्त्र मुठभेड़

9818. **श्री यशपाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर पश्चिम दिनाजपुर जिले में पाछड़ा में पूर्वी पाकिस्तान के छापामारों तथा भारतीय ग्रामीणों के बीच 12 अप्रैल, 1970 को हुई मुठभेड़ में एक महिला मारी गई थी और अन्य दो घायल हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सुरक्षा सेना उस समय कहां थी ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) पश्चिम-बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 12/13 अप्रैल, 1970 की रात्रि को कुछ स्थानीय अपराधियों ने जिला पश्चिम दिनाजपुर के थाना ग्वालपूकूर के मौजा पंचरा के एक निवासी के मकान में डाका डाला । इस अपराध को करने में पूर्वी पाकिस्तान का कोई भी राष्ट्रिक अन्तर्ग्रस्त नहीं था अपराधियों ने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया जिसके परिणाम स्वरूप एक स्त्री मारी गई और एक अन्य ग्राम निवासी बन्दूक की गोली से घायल हुआ । अपराधियों द्वारा एक ग्राम निवासी के साथ हाथापाई भी की गई । स्थानीय पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया और गोली चलाई ।

(ग) घटनास्थल भारतीय क्षेत्र के काफी भीतर है और सीमा सुरक्षा दल की गश्त के अन्तर्गत नहीं आता है ।

(घ) ग्वालपूकूर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है ।

जनता के लिये भारतीय न्यायिक सेवा में अच्छी व्यवस्था करना

9819. **श्री रा० को० अमीन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि 1966 में ब्रिटेन सरकार द्वारा नियुक्त किये गये रायल कमीशन आन असाइजेस एण्ड क्वार्टर सैशन्ज ने न्यायालयों तथा न्याय प्रशासन में आमूल परिवर्तन करके जनता के लिये एक अधिक अच्छी न्यायिक सेवा की व्यवस्था करने के लिये कहा था ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत में भी उसी की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) विधि आयोग ने अपने 27वें प्रतिवेदन में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुछ विशिष्ट संशोधनों का सुझाव दिया है जिसका उद्देश्य दीवानी मुकदमेबाजी में विलम्ब को

दूर करने या कम करने का है। आशा है इससे व्यय भी कम हो जायगा। इन संशोधनों को कार्य-रूप देने के लिये संहिता को अग्रेत्तर संशोधित करने का एक विधेयक संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष अवलम्बित पड़ा है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विधि आयोग द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की अभी हाल में विस्तार से जांच की गई है और उसकी 41वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

Resolution passed by the Kendriya Bachao Samiti at a Meeting Held in Karol Bagh, New Delhi

9820. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that a resolution was passed at a meeting of Members of Parliament and Labour leaders organised in Karol Bagh, New Delhi on the 15th April, 1970 under the auspices of the Kendriya Bachao Samiti set up for the Delhi Police non-Gazetted Employees' union;

(*b*) if so, the details thereof ; and

(*c*) the reaction of Government thereto ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (*a*), (*b*) and (*c*) It is reported that certain member of Parliament along with some trade Union leaders and others attended a meeting on 15th April, 1970, said to have been organised in Karolbagh under the inspiration of the Delhi Police non-Gazetted Employees Union. The meeting is stated to have appreciated the announcement that policemen's cases are being reviewed and requested early action on this. The meeting endorsed the demand of these policemen that cases against them may be withdrawn and that they should be taken back in service.

Government have already announced that a fresh look will be given to the matter, which is under consideration.

पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयत्न :

9821. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 के प्रारम्भ में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री अजय मुखर्जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के अन्तिम दिनों में उनकी हत्या का दो बार, एक बार कलकत्ता में तथा दूसरी बार नादिया जाते हुए, प्रयत्न किया गया था।

(ख) क्या सरकार ने इन घटनाओं की जांच की थी ;

(ग) यदि हां, तो जांच की उपलब्धियां क्या थीं तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री को मारने के षड़यंत्र के पीछे कौनसा राजनीतिक तत्व था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 11 अप्रैल, 1970 के "जुगांन्तर" में इस सम्बन्ध में एक समाचार प्रकाशित हुआ था ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने इन घटनाओं की जांच की है । बंगला कांग्रेस सत्याग्रहियों की पण्डाल की ओर पथराव करने तथा अन्य आयुध फेंकने के लिये 2 दिसम्बर 1969 को 20 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के राजनीतिक लगाव के बारे में सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी । राष्ट्रीय मार्ग 34 से लगभग 40/50 हाथ दूर एक झाड़ी से 7 दिसम्बर, 1969 को चार बम बरामद किये गये किन्तु इन बमों की बरामदगी का सम्बन्ध मुख्य मंत्री की नादिया में कृष्णगर की यात्रा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता ।

देश के राजमार्गों और दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाएं

9822. श्री हिम्मत सिंहका : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970 में देश में अब तक राजमार्गों और दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में हुई तात्कालिक मृत्युओं की संख्या क्या है.

(ख) वर्ष 1969 की प्रत्येक तिमाही के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं, और

(ग) क्या सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृतकों की बढ़ती संख्या के कारण सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए और 279 में संशोधन करने का है जिससे कि दंड व्यवस्था अधिक प्रभावशाली हो सके तथा सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका अथवा कम किया जा सके, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख) उपेक्षित सूचना राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) भारतीय दंड संहिता के संगत खंडों को संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अधिक तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने के लिये मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अधीन जुर्माना काफ़ी बढ़ा दिया गया है ताकि अंधाधुंध गाड़ी चलाने पर प्रभावी निवारक सिद्ध हो सके ।

उत्तरी अंडमान द्वीप समूहों में अधिवासियों की गिरफतारी

9823. श्री स० कुण्डू : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तरी अंडमान द्वीपसमूहों के कई अधिवासियों को गिरफ्तार किया गया है, और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पुराने अधिवासियों के परिवार नई भूमि की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या उनको कोई भूमि दी गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

(ग) क्या इन अधिवासियों ने एक नए क्षेत्र का विकास किया तथा उसकी सफाई करके वहां बस गए और सरकार ने उनके बने हुए मकानों और झोंपड़ियों में आग लगाना तथा उसे गिराना आरम्भ कर दिया था और यदि हां, तो कितने मकानों को जलाया तथा गिराया गया और यह घटनायें कहां-कहां हुई तथा इससे कितने परिवार प्रभावित हुए ;

(घ) क्या उन परिवारों को फसल के खराब होने पर कोई नकद दान या ऋण अथवा अनुदान नहीं दिया गया जिनको 1967 में अंडमान के नील द्वीपसमूहों में लाया गया था ;

(ङ) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सरकार और बिना मंत्रालय को ऐसे नकद दान या ऋण अथवा अनुदान, यथास्थिति देने के लिये कहा है और यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि इन परिवारों को नकद दान या अनुदान अथवा ऋण शीघ्र मिल सके?

गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संरक्षित वनों के भीतर वन सम्बन्धी अपराध करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन 59 व्यक्ति गिरफतार किये गये और उन पर अभियोग लगाए गए । सरकारी भूमि का अनधिकृत अतिक्रमण करने, उस पर झौंपड़ियां बनाने तथा न्यायालय के आदेशों की तामील करते हुए सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 342, 353, 183, 147 तथा 149 के अधीन 15 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । बस्ती बसाते समय भूमि आवंटन के अलावा गत कुछ वर्षों के दौरान भी अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अधिवासियों के परिवारों के प्रधानों तथा उनके आश्रितों को भूमि आंवटित की गई है ।

(ग) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि 13 व्यक्तियों ने, जो स्वयंसेवी अधिवासी थे, रामकृष्णनगरम गांव से लगभग 2–3 मील दूर वन-भूमि को अनधिकृत रूप से साफ किया और उस पर रिहायशी झौंपड़ियां बनाई । चूंकि राजस्व अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद अधिक्रमण करने वालों ने अधिक्रमण की गई भूमि खाली नहीं की और अनधिकृत झौपड़ियां नहीं हटाई अतः अधिक्रमण को हटाने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विनियम, 1966 की धारा 202 के अधीन उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई थी । उन्हें हटा दिया गया और उनकी झौंपड़ियां गिरा दी गई । राजस्व अधिकारियों ने गिराई गई सामग्री को सम्भाल कर रखने अथवा नीलाम करने योग्य नहीं समझा और जलाकर नष्ट कराने का आदेश दिया ।

(घ) और (ङ) अधिवासियों को वृत्तानुपूर्व पैमाने पर ऋण की शक्ल में अधिवासियों को भरण-पोषण सहायता के लिए, जो दान की शुल पैदावार पर निर्भर करती है, मंजूरी दे दी गई है । किन्तु अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने एक संशोधित प्रस्ताव भेजा है जिसकी जांच की जा रही है ।

हिंडन नदी (जला मेरठ) के पास कसेरी में खुदाई

9824. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग तथा राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा मेरठ जिले में हिंडन नदी के पास कसेरी में संयुक्त रूप से खुदाई किये जाने से यमुना तथा हिंडन नदियों के बीच के क्षेत्र की संस्कृति के स्तर क्रम के बारे में कुछ मूल्यवान संकेत मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई खोजों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। तथापि एसे ही प्रमाण पहले 1950–52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसी जिले के हस्तनापुर की खुदाई करने पर भी उपलब्ध हुए थे ।

(ख) खुदाई से पता चला कि सांस्कृतिक स्तरक्रम का प्रारम्भ (1500 ई०पू०) उन रंगे हुए गरिक मिट्टी के बर्तनों के भंडारों से प्रारम्भ होता है तथा वे रंगे हुए भूरे, सुंगा, कुशाण के भंडार मध्यकाल तक के पड़े हुए हैं। प्रत्येक काल के विशिष्ट मिट्टी के बर्तनो की ऐतिहासकि उपलब्धि के अतिरिक्त खुदाई में जो महत्वपूर्ण वस्तुऐं मिली हैं उनमें पशुओं की छोटी छोटी मूर्तियां, मालाएं, तथा पक्की मिट्टी से अंकित एक देवी लक्ष्मी की पट्टिका भी इसमें शामिल है ।

डाक्टरों और इंजीनियरों की अनिवार्य भर्ती

9825. श्री लोबो प्रभु :

श्री देवराव पाटिल :

श्री यशपालसिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार, शान्तिकाल म, ड.क्टरो और इंजीनियरों की अनिवार्य भर्ती किस प्रकार की जायेगी ;

(ख) क्या सरकारी सेवा में आने की उनकी अनिच्छा का एक कारण इस सेवा में अनाकर्षण नहीं है यद्यपि डाक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है ; और

(ग) इस अविवेकपूर्ण अनिवार्यता भर्ती के विरुद्ध अपील करने के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 1964 में सरकार ने एक अनिवार्य दायित्व योजना तैयार की जिसके द्वारा सरकारी सेवा और सरकारी उद्यमों में एक

निश्चित आयु वर्गों के इंजीनियरों और डाक्टरों की एक निश्चित अवधि के लिए सशस्त्र सेना में सेवा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस दायित्व को सभी डाक्टरों और इंजीनियरों पर तथा किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सेवा पर लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस तथ्य के बावजूद कि देश में आज इंजीनियरों की कमी नहीं है, सरकार के कुछ विभागों को दुष्कर किस्म के कर्तव्यों के अन्तर्ग्रस्त होने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में नियुक्ति को आशंका के कारण पर्याप्त संख्या में इंजीनियर भर्ती करने में कठिनाई हो रही है। सरकारी सेवा विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में डाक्टर अभी भी सहज में उपलब्ध नहीं है।

ऐसी सरकारी सेवा के लिए, जो अत्यधिक श्रमसाध्य नहीं है और जिसमें दूरवर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति अन्तर्गस्त नहीं है, इंजिनियरों और डाक्टरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुऐ यह मान लेना सही नहीं होगा कि सरकारी सेवा ग्रहण करने के लिए उनकी अनिच्छा का कारण अनाणकर्षक है।

(ग) यह सरकार के विचाराधीन है।

केरल ग्रन्थ शाला संगम, त्रिवेन्द्रम

9826. श्रीमति सुशीला गोपालन :

श्री पी० पी० एस्थोस :

श्री क० अनिरूदन :

श्री अ० कु० गोपालन :

क्या शिक्षा तथा **युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल ग्रन्थ शाला संगम, त्रिवेन्द्रम से उनके कार्य के बारे में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केरल ग्रन्थ शाला संगम के कार्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1969 में केरल ग्रन्थ शाला संगम के महासचिव ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में दूसरी बातों के साथ साथ यह भी कहा गया था कि पुस्तकों की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए केरल सरकार द्वारा केरल के पुस्तकालयों को दिया जा रहा अनुदान बिल्कुल अपर्याप्त है। अत: अनुमान लगाया गया कि केरल ग्रन्थ शाला को भारतीय सरकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। संगम को सरकारी पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक शैक्षणिक संघों को दी जाने वाली सहायाता की योजना के बारे में एक प्रति दी गई तथा उसके अतिरिक्त उसे सलाह दी गई कि वह उपरोक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के माध्यम से निर्धारित फार्म पर वित्तीय सहायता के लिय आवेदन पत्र दे।

एयर इंडिया को विभिन्न मार्गों से प्राप्त हुए यातायात (यात्री तथा भार) की प्रतिशतता

9827. श्री जुगल मंडल :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 के अपने कार्य-काल में एयर इंडिया को विभिन्न भागों से प्राप्त हुए यातायात (यात्री तथा भार) की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) क्या यात्रियों के बैठने का पूर्ण उपयोग न किये जाने का कारण एयर इंडिया की अयोग्यता है या अन्य एयर लाइनों की प्रतियोगिता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० (श्री मति) सरोजनी महिषी) : (क) 1969-70 के दौरान एयर-इंडिया द्वारा विभिन्न मार्गों पर निष्पादित भार अनुमान इस प्रकार है ।

				यात्री भार अनुपात	सर्व भार अनुपात
भारत/यु०के० यू०एस०ए० से	..	..	..	49.7	58.6
यू०के/यू०एस०ए०	..	..	..	52.7	56.5
भारत/यू०एस०ए०	..	..	..	50.0	58.1
भारत/यू०के० (समापक)	..	..	..	38.9	44.5
भारत/यू०के० (मास्को)	..	..	..	43.9	48.8
भारत/जापान	..	..	..	44.6	49.4
भारत/फीजी	..	..	..	53.0	47.3
भारत/आस्ट्रेलिया (समापक)	..	..		58.5	50.7
भारत/इंडोनेशिया	..	..	..	49.2	47.1
भारत/पूर्वी अफ्रीका	..	..	..	53.4	47.1
भारत/मौरेशियस	..	..	..	27.2	22.0
भारत/गल्फ	..	..	..	43.9	39.0

(ख) अन्य एयरलाईनों के साथ कड़े मुकाबले के अलावा सीमित भारतीय मूलक यातायात भी एक कठिनाई है ।

देश के अल्प संख्यक समुदायों की शिकायतों की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति

9828. श्री अब्दुल गनी डार क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के अल्प संख्यक समुदायों की बुनियादी और भारी कठिनाइयों तथा शिकायतों के बारे में विचार करने के लिये संसद सदस्यों और अन्य विशेषज्ञ राजनीतिज्ञों का एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा शासन में मारे गये कृषकों के आश्रितों को मुआवजा

9829. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान मारे गये कृषकों के आश्रितों को तथा जिनकी सम्पत्ति लूट ली गई थी अथवा जला दी गई थी उनको मुआवजा देने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बनाई गई सरकार की नीति क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Construction of By-Pass Road on National Highway No. 2

9830. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work on a proposed bye-pass road on the Agra-Etawah-Fatehpur Road in Etawah (Uttar Pradesh) National Highway No. 2 has been stopped;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that due to non-construction of this bye-pass road, several school children and other people are killed by the trucks and the buses passing daily through the city ; and

(d) whether the work on this bye-pass road will be completed and, if so, when ?

Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping & Transport (Sardar Iqbal Singh) (a) Only the acquisition of land for the bye-pass at Etawah has, so far, been sanctioned. The construction work on the bye-pass is still not sanctioned.

(b) Does not arise.

(c) The information is being collected from the State Government. The same, when received, will be placed on the Table of the Lok Sabha.

(d) The construction work is included in the draft Fourth Five-Year Plan. The completion of the bye-pass would, however, depend upon the availability of funds in different years of the Plan period.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूतिच आदिम जाति के संगठनों का प्रतिनिधित्व

9831. **श्री आत्म दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय अणनसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने गृह-मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/25/एन० जी० एस० दिनांक 26 नवम्बर, 1953 के अनुसार सामुदायिक प्रतिनिधित्व मे सम्बन्धित आदेशों के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति संगठनों को प्रतिनिधित्व की सूची में शामिल करने के लिए सरकार से कहा है ;

(ख) उपयुक्त सूची में अन्य कौन से समाज कल्याण संगठनों को शामिल किया गया है ; और

(ग) इस विशेश एसोसिएशन को यदि कोई उत्तर दिया गया है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपराज्य मंत्री (श्री के० एस० रामा स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उन संगठनों की एक सूची सभा-पटल पर रख दी गयी है जिनको आरक्षण आदेशों के प्रयोजन के लिए अर्थात् आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने के लिए मान्यता दी गई है ।

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3536/70)

(ग) संघ को सूचित कर दिया गया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विज्ञापन हेतु पहले से विद्यमान प्रबन्धों को ध्यान में रखते हुए आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संघों की सूची में और अधिक न जोड़ने का सरकार द्वारा निश्चय किया गया है । संघ को यह भी सलाह दी गई थी की यदि इस मामले में यह अपने सदस्यों की सहायता करना चाहे तो यह इस सम्बन्ध में जारी किये गये समाचार पत्रों के विज्ञापनों का अध्ययन करके ऐसा कर सकता है ।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कर्मचारी कल्याण संघ का रजिस्ट्रेशन

9832. **श्री आत्म दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कर्मचारी कल्याण संघ, नई दिल्ली ने, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का एक सामजिक कल्याण संगठन है, जनवरी, 1969 से मार्च, 1970 के दौरान गृह-कार्य मंत्रालय को कुछ पत्र लिखे थे :

(ख) क्या यह संघ समिति पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड समिति है ;

(ग) क्या संघ को कोई उत्तर भेजे गये थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां ,श्रीमान् ।

(ख) संस्था की ओर से यह कहा गया है कि यह एक पंजीकृत समिति है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of a High Power Commission to Check Atrocities on Harijans and Harijan Girls

9833. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a newsitem published on page 3 of the Daily Navbharat Times dated the 20th April, 1970 regarding molestation of a Harijan girl;

(b) whether Government propose to constitute a high-power Commission whose Chairman and other members would be Harijans, with a view to protect the life and property of Harijans and to check the incidents of rape and molestation committed on Harijan girls ;

(c) whether it is proposed to amend the Indian Penal Code so that the person who commits rape on a girl could be sentenced to death; and

(d) the number of Harijans murdered, and of those burnt alive, the number of Harijan girls raped and molested, and also of those Harijans who were forced to change their religion, separately, in the entire country during the last three years?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir,

(b) & (c) No such proposals are under consideration.

(d) According to information received from the Government of Nagaland and the Union Territory Administrations of manipur, Andaman and Nicobar Islands and N.E.F.A. no such cases have taken place. Information in respect of the remaining States/Union Territories is awaited.

Non-Hindi Knowing Officers in Ministries/Offices

9834. Shri Bansh Narain Singh:

Shri Narayan Swaroop Sharma

Shri Ram Swarup Vidyarthi

Shri Om Prakash Tyagi

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of non-Hindi knowing Gazetted officersin the various ministries and offices of the Government of India ;

(b) whether it is a fact that some Officers talk with their peons even in English ;

(c) the reasons for not imparting them training in Hindi under the Hindi Teaching Scheme;

(d) whether such officers would be compelled to attend Hindi classes by December, 1970 ; and

'if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement containing available information is placed on the Table [Placed in the Library see No. LT 3537/70]

(b) No such instance has come to the notice of the Ministry of Home Affairs.

(c) to (e) In-service training in Hindi is obligatory interalia for all the Gazetted Officers who were aged less than 45 years on 1-1-1961. The Ministries/Departments/Offices of Government of India have been instructed to maintain rosters of their employees yet to be trained in Hindi. From this roster approximately 20% employees are deputed for training in Hindi every year according to a phased programme. As such, non-Hindi knowing officers can not be compelled to attend Hindi classes by December, 1970. Efforts are, however, being made to complete their training as early as possible, including through Correspondence Courses, and on intensive full time course run only for Gazetted officers.

Atrocities by Jats on Harijans in Certain Districts of Uttar Pradesh

9835. Shri Bansh Narain Singh : (Shri Narayan Swaroop Sharma) : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of incidents of atrocities committed by Jats on Harijans in Meerut, Muzaffar Nagar and Saharanpur Districts of Uttar Pradesh is increasing day by day.

(b) the number of incidents of beating, murder and rape committed by Jats on Harijans in the above three Districts after the 1967 General Elections upto March, 1970 that have been brought to the notice of the Central and State Governments ;

(c) the details of these incidents ;

(d) whether any severe action has been taken by the Central and State Governments against the culprits; and

(e) if not, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) to (e) Facts are being ascertained from the state government.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Among Personal Staff of Ministers

9836. Shri Bansh Narain Singh

Shri Om Prakash Tyagi

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the category-wise number of Personal Staff of the Union Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers and the number out of them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) whether it is a fact that the number of Private Secreatries and Assistant Private Secreatries belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Personal Staff of the Ministers is negligible ;

(c) whether Government would consider a proposal for compulsorily filling up one of the posts of the Private Secretary or Assistant Private Secretary of the above-mentioned three categories of Ministers from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(d) whether Stenographers will also be appointed in the Personal Staff according to the reserved quota; and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) Ministers and Deputy Ministers have the discretion to select their own personal staff and such appointments are co-terminus with the tenure of the Ministers. As such, it is not feasible to apply the quotas reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to these appointments.

Hindi Noting and Drafting in Ministries

9837. **Shri Bansi Narain Singh ;**
Shri Ram Swarup Vidyarathi ;
Shri Om Prakash Tyagi ;
Shri Narain Swarup Sharma;
Shri Arjun Singh Bhadoria;

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officers of the various Ministries and offices of the Government of India compel their subordinate employees who want to do noting and drafting in Hindi, to do their work in English ;

(b) if so, the names and designations of the officers ;

(c) whether Government will consider the question of issuing orders giving directions for the maximum use of Hindi in noting and drafting; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
(a) & (b) Administrative instructions issued in July, 1968 state clearly that an employee can use either Hindi or English for purposes of noting or drafting and that he himself should not be asked to provide translations. Whenever any instance of restriction in this regard is brought to the notice of the Ministry of Home Affairs the matter is taken up with the concerned Department/Office. No record is maintained regarding the names and designation of members of staff and offices.

(c) & (d) With a view to encourage the Hindi knowing staff to use Hindi for official work, Senior Hindi knowing officers have been requested to use Hindi for writing short notes. Illustrative list of such notes has been circulated.

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

9838. **श्री स० कुन्दू :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम आरम्भ किया है अथवा आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार की अग्रिम योजना शुरू करने के लिए किन्हीं जिलों को उपयुक्त समझा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और यह प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार दी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवकसेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3538/70)

स्थायी सरकारी कर्मचारियों की वरीयता

9839. श्री रामचरण ;

श्री नरदेव स्नातक ;

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार एक स्थायी सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सचिवालय तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अस्थायी कर्मचारियों में वरिष्ठ माना जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय के आयुध डिपुओं में लगभग 430 ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं और उनमें से अधिकांश स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों से भिन्न भिन्न श्रेणी लिपिकों को, जिनको अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के बाद स्थायी किया गया था, पदोन्नत किया जा रहा है जबकि अनुसूचित जातियों के अभ्यार्थियों को पदोन्नत नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आर० पी० एस०, दिनांक 22-12-1959 में निहित वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार किसी श्रेणी के स्थाई अधिकारियों का स्थान उस श्रेणी में स्थानापन्न व्यक्तियों से ऊपर होगा किन्तु, वरिष्ठता के ये सिद्धान्त प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन निचले कार्यालयों के श्रेणी III और श्रेणी 4 के मामले में अभी तक नहीं अपनाये गये हैं ।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर यथाशीघ्र रख दी जायेगी ।

Allocation for Eduction during Fourth Five Year Plan

9840. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state

(a) whether it is a fact that the amount allocated for education in the Fourth Five Year Plan is lowest as compared to the provisions made therefor during the past as is evident from the Annual Report of his Ministry for the year 1969-70 ;

(b) if so, the reasons for this policy of indifference towards education and

(c) the details of the amount spent during the last three Five Year Plans ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) The outlay for Education provided in the Fourth Five Year Plan stands at Rs. 829 crores which works out at 5·2 per cent of the total out lay in the public sector. This is the minimum proportion for all the Five Year Plans as already mentioned in the Annual Report of the Ministry of Education & Youth Services for 1969-70.

(b) The main reason for the lower percentage of allocation for Education is that a higher priority has been accorded to other sectors like Agriculture, Irrigation, power, Industry and Family Planning. It also implies that the people are not yet adequately convinced of the significant role that education can play in development.

(c) The details of the amount spent during the past three Five Year Plans are given below

(Rs. in crores)

	Ist Plan	IInd Plan	IIIrd Plan
Outlay on Education	152·9	273·0	588·7
Total Plan outlay	1946·2	4680·0	8572·5
%age	7·9	5·8	6·9

Operation of Air Service from Muzaffarpur

9841. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Toursim and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to start air service from Muzaffarpur ;

(b) if so, the details in regard thereto; and

(c) the time by which the said service is likely to be started ?

Deputy Minister in the Ministry of Toursim & Civil Aviation (Dr. Smt. Suronjii Mahishi) : (a) to (c) Effective from 16th February, 1970, a private operator has started operating a non-scheduled service on the route Calcutta-Bhagalpur-Patna-Muzaffarpur-Raxaul and back. The possibility of Indian Air-lines operating an air service to Muzaffarpur is under examination.

Transfer of Teachers of Danapur and Anisabad Central Schools

9842. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Principals of the Danapur Cantt. and Anisabad Central Schools had recommeeded transfer of some teachers last year ;

(b) if so, the names of those teachers School-wise and the names of the teachers to be transferred ;

(c) whether it is also a fact that a Sanskrit teacher of the Anisabad Central School was also transferred, but he did not go there ;

(d) if so, the reasons therefor and the action taken against him for disobeying the orders; and

(e) if no action has been taken, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Name of the School	Names of teachers recommended for transfer	Names of teachers transferred
Central School Danapur Cantt.	1. Sh. B.P. Sinha.	1. Shri B.P. Sinha.
	2. Shri D.N. Sinha.	2. Shri D.N. Sinha.
	3. Shri R.B. Prasad.	3. Shri R.B. Prasad.
	4. Shri M. Chowdhary.	4. Shri M. Chowdhary
	5. Shri B.P. Singh.	
Central School Anisabad	1. Shri B.K. Tiwari.	1. Shri B. K. Tiwari.
	2. Shri U. N. Pathak.	2. Shri H. P. Kiran.
	3. Shri H. P. Kiran.	
	4. Shri C.M.P. Verma.	
	5. Smt. S.K. Verma.	

(c) No, Sir.

(d) and (e) Do not arise.

पश्चिम बंगाल में एक साम्प्रदायिक दल की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां

9846. श्री समर गुहा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसूचना विभाग के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल पुलिस ने भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार के गृह-विभाग को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उसने राज्य में काम कर रहे एक साम्प्रदायिक दल की राष्ट्र-विरोधी गति-विधियों के बारे में राज्य सरकार को चेतावनी दी थी ;

(ख) क्या इस साम्प्रदायिक दल ने अपनी गतिविधियों को पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में केन्द्रित कर रखा है ;

(ग) क्या इस साम्प्रदायिक दल ने पश्चिम बंगाल में ऐसे ही अन्य दलों से सम्पर्क बना रखा है और यह पूर्वी पाकिस्तान से राज्य में आय पाकिस्तानी एजेंटों को शरण दे रहा है ;

(घ) क्या आसूचना विभाग के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल के प्रतिवेदन को पुलिस विभाग के संयुक्त सचिव ने कोई मान्यता नहीं दी ;

(ङ) क्या गृह-विभाग के इस संयुक्त सचिव ने ईद-दिवस पर 'गाय की बलि" के बारे में बिना उचित प्राधिकार के एक परिपत्र जारी किया था ; तथा क्या उक्त परिपत्र के कारण मुर्शिदाबाद जिले में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (च) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

नक्सलवादियों द्वारा जोतदारों का सर्वनाश

9844. श्री देवकी नन्द पाटोदिया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'देश-भारती' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अप्रैल, 1970 में पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में नक्सलवादियों द्वारा कुछ जोतदारों सहित छः व्यक्तियों की हत्या करने का दावा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक हत्या का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ा जा सका है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और यदि उनका किसी दल से सम्बन्ध है तो उन दलों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ?

सीमा आयोग की स्थापना पर पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया

9845. श्री देवकी नन्द पाटोदिया :

श्री यशपाल सिंह :

श्री रा० कृ० बिड़ला :

श्री गुरचरण सिंह :

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा आयोग की स्थापना में पंजाब सरकार सहयोग देने में सहमत नहीं हुई है ;

(ख) क्या केन्द्र ने इस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा है ; और

(ग) क्या उक्त प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय सरकार फाजिल्का पर अपने निर्णय को स्थगित करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंजाब सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पंजाब से संबंधित विवादों पर सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है जिसमें फाजिल्का तहसील के एक हिस्से को हरियाणा को हस्तांतरित करना भी शामिल है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सलवादियों की गतिविधियां

9846. श्री देवकी नन्द पाटोदिया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में आई ऐसी गतिविधियों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) उग्रपंथियों की गतिविधियों के संबंध में कड़ी निगरानी रखी जाती है । दिल्ली में उग्रपंथियों की गतिविधियां अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के अहातों की दीवारों पर नारे लिखने तक बहुत कुछ सीमित रही हैं दिल्ली प्रशासन पूरी निगरानी रख रहा है और जहां कहीं आवश्यक हुआ तो विधि-अनुसार कार्यवाही आरम्भ की जायगी ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशकों के विरुद्ध निराधार आरोप

9847. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समिति ने यह निर्णय दिया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के निदेशकों के विरुद्ध आरोप निराधार थे ;

(ख) यदि हां, तो झूठी शिकायतें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) उक्त शिकायतें करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार समिति की रिपोर्ट के प्रथम भाग को 10 मार्च, 1970 को सभा-पटल पर रख दिया गया था और उस रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध भी हैं। समिति के निष्कर्ष रिपोर्ट में शामिल हैं।

(ख), (ग) और (घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को अनुमति प्रदान की गयी थी कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियम, 1964 को बिना आघात पहुंचाए सेवाओं के मामलों के सम्बन्ध में सीधे जांच समिति को लिखें और बिना सताए जाने के डरके स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करें। इसलिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों की भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि

9848. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी इस सम्बन्ध में विचार किया है और यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) से संबंधित सूचना राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। इसके प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार के अधीन भरती के लिये आयु सीमा को बढ़ाने से संबंधित विषय पर, यदि आवश्यक हुआ तो, विचार किया जायगा और यथाशीघ्र सूचना सभा-पटल पर रख दी जायगी।

गारो पहाड़ी जिले में श्रद्धेय फादर डिकोस्टा की हत्या

9849. श्री गाडिलींगन गौड :

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय जिले की गारो पहाड़ियों में मंडल गांव में इटली के एक पादरी श्रद्धेय फादर डिकोस्टा की 16 अप्रैल को हुई हत्या की कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इटली के एक पादरी श्रद्धेय फादर गिवलियो कोस्टा गारो पहाड़ियां जिले के मण्डल गांव में अपने मकान में 16/17 अप्रैल, 1970 की रात को कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा मारे पाये गये। इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला दर्ज किया गया है जिसकी अभी जांच की जा रही है। अपराधियों का पता लगाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

व्यापारी समुदाय के लिए राजनैतिक मंच

9850. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष श्री डी० सी० कोठारी ने 14 अप्रैल, 1970 को बड़ौदा में कहा था कि व्यापारी समुदाय को अब अपना राजनैतिक मंच स्वयं तैयार करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के अध्यक्ष श्री डी० सी० कोठारी ने 14 अप्रैल, 1970 को बड़ौदा में गुजरात मिलों तथा उद्योगों के संघ के सदस्यों में भाषण देते समय उनसे इस बात पर विचार करने को कहा था कि क्या वे अपना राजनैतिक मंच स्वयं तैयार कर सकते हैं अथवा नहीं।

(ख) सभी नागरिकों को संघों के बनाने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है बशर्ते कि वे भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता अथवा सार्वजनिक आदेश अथवा नैतिकता के हित में कानून के अधीन प्रतिबन्धों के अनुसार बनाये गये हों।

Translation of Sanskrit Literature into Hindi and Regional Laguages

9851. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state ;

(a) the arrangements made for the authentic translation into Hindi and other Indian languages of books in Sanskrit pertaining to Philosophy, literature, drama, poetry and history ;

(b) the names of the Sanskrit books so far got translated into Hindi and in other Indian languages by Government; and

(c) whether Government have made any arrangements for the authentic translation of the Vedas and the Puranas into Hindi and, if so, the progress made so far in regard thereto ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) No specific scheme has so far been sanctioned for bringing out authentic translations of ancient Sanskrit texts into Hindi and other Indian languages. However, under the Scheme of the Ministry of Education and Youth Services for grants to Voluntary Sanskrit Organisations etc., a number of valuable Sanskrit texts have been published with translations into Hindi and other Indian languages. Some of the important titles so far published are mentioned below :

1. Critical edition of the *Vamanapurana* with Hindi translation.
2. *Vedic Texts* with Hindi translation.
3. *Mahabharata* (Poona Edition) Hindi translation.
4. *Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi* (Marathi translation).
5. *Ramayana Kannada* translation.
6. *Brahmasutra Shankararabhashya* (Gujarati translation).
7. *Gopalacampu* (Hindi translation).
8. *Radharasasudhanidhi-stava* (Hindi translation).
9. *Nitishataka of Bhartrihari* (Hindi translation).
10. *Samratsiddhanta* (Hindi translation).

Authenticity of Historical Places of Ramayana and Mahabharata Periods

9852. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any arrangements have been made on Governmental level to establish authenticity of historical places associated with the Ramayana and the Mahabharata periods ;

(b) if so, the names of historical places whose authenticity has been established ; and

(c) the names of places associated with the Ramayana and Mahabharata periods in respect of which excavation work was done by the Archaeological Department and the main features of this excavation ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) A systematic exploration of the sites mentioned in the Mahabharata was undertaken by the Archaeological Survey of India in 1950-52. A similar exploration in respect of sites mentioned in the Ramayana has not so far been taken up by the Survey.

(b) In the absence of any contemporary evidence, it is difficult to establish the authenticity of such historical places. Nevertheless, from the occurrence of the Painted Grey Ware pottery at almost all the sites of the Indo-Gangetic plain (upper Madhyadesha) mentioned in the Mahabharata, it would be affirmed with certaint ythat these were under occupation contemporancously.

(c) The following sites associated with the Mahabharata were excavated by the Archaeological Survey of India :—

(*i*) Ahichchhatra, the capital of the north Panchalas,

(*ii*) Hastinapura, the capital of the Kauravas,

(*iii*) Mathura, associated with life of Krishna Vasudeva,

(*iv*) Bairat, the capital of King Virata, and

(*v*) Purana Qila (Inderaprastha), the capital of the Pandavas.

Painted Grey Ware, ascribable to *circa* 1000-700 B.C., was obtained in the lower levels of these sites.

दिल्ली के कालेजों में छात्रों का प्रवेश

9853. श्री शारदा नन्द :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री सूरज भान :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली के कालिजों में प्रवेश प्राप्त करने सम्बन्धी वास्तविक समस्या क्या है ;

(ख) कालिजों में कला, विज्ञान, ग्रानर्स तथा ग्रन्य विषयों के ग्रलग-ग्रलग ग्रभ्यार्थियों की संख्या कितनी होने का ग्रनुमान है ;

(ग) प्रत्येक विषय के लिये कुल कितने स्थान उपलब्ध हैं ;

(घ) उक्त समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या सरकार ने किसी पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त करने की शर्त में परिवर्तन किया है; ग्रौर

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ग्रौर शर्त में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने ग्रनुमान लगाया है कि ग्रागामी शैक्षिक वर्ष में पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों के लिए स्थानों की कमी रहने की सम्भावना है ।

M/B(D)9LSS—8(a)

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उच्चतर माध्यमिक परिणामों के घोषित होने के पश्चात् ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों का पंजीकरण आरम्भ किया जायेगा। तथापि कार्याकारी दल ने अनुमान लगाया है कि कला और वाणिज्य में पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश खोजने वाले पात्र छात्रों की संभाव्य संख्या 14,454 है और विज्ञान के पात्र छात्र 5,014 है।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार कला और वाणिज्य में कुल स्थान 13,225 तथा विज्ञान में 4,579 हैं।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिद्धान्त रुप से वश्विविद्यालय के इस प्रस्ताव को मान लिया है कि आगामी शैक्षिक वर्ष में तीन प्राइवेट न्यासों/संघों को नये कालेज खोलने की अनुमति प्रदान की जाये। दिल्ली प्रशासन ने भी दो नये कालेजों को प्रारम्भ करने की योजना बनाई है। सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है कि इसकी परीक्षाओं में प्राइवेट अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति दी जाये तथा इस उद्देश्य के लिये विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) और (च) उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया है कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सफल हुए 45 प्रतिशत या इससे अधिक अंको वाले अभ्यर्थियों को कालेजों में सीधे ही प्रवेश खोजने की अनुमति प्रदान की जायेगी ; और

(ख) 40 और 45 प्रतिशत के बीच अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय में पंजीकरण किया जायेगा। विश्वविद्यालय समय-समय पर प्रवेश के प्रयोजन के लिये क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा करेगा।

Representation Re. Danger to the Life and Property of a Candidate during Mid-term Elections to U.P. Assembly.

9854. Shri Janeshwr Misra:

Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he is aware of a representation submitted to the Prime Minister regarding one Shri Salekh Chandra of Shamli, District Muzaffarnagar, a candidate in the last mid-term elections held in Uttar Pradesh in which a reference was made about the danger posed to his life and property ; and

(b) if so, the major points raised in the said representation and details of the action taken thereon?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswami) : (a) and (b) Facts are being ascertained.

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद की बजट संबंधी मांगें

9855. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद की बजट सम्बन्धी मांगों पर विचार करने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की बैठक गत दो वर्षों में नहीं हुई है यद्यपि उसकी बैठक एक वर्ष में दो बार होनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष और उससे एक वर्ष पहले क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला का बजट कैसे पास किया गया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) (क) शायद इस प्रश्न का संबंध प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद की कार्यकारी परिषद से है जिसकी बैठक गत 19 अक्तूबर, 1968 को हुई थी। कार्यकारी परिषद द्वारा 1969-70 के संशोधित प्राक्कलनों और 1970–71 के बजट प्राक्कलनों पर विचार नहीं किया गया था।

(ख) 1968-69 के बजट प्राक्कलनों पर 16–10–67 को हुई हैदराबाद की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की कार्यकारी परिषद और वित्त तथा भवन उप-समिति की संयुक्त बैठक में विचार किया गया था। 1968-69 के संशोधित बजट और 1969-70 के बजट प्राक्कलनों पर 19–10–68 को हुई प्रयोगशाला की वित्त तथा भवन उपसमिति और कार्यकारी परिषद की बठकों में विचार किया गया था।

स्कूल स्तर की शिक्षा को आर्थिक विकास से सम्बद्ध करने के संबंध में प्रयोगात्मक आधार पर परियोजना आरंभ करना

9856. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्कूल-स्तर की शिक्षा को आर्थिक विकास में सम्बद्ध करने की किसी परियोजना को परीक्षण के आधार पर चालू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है ; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं को सफल बनाने के लिये क्या किसी अन्य देश से सहायता मांगी गई है ?

विवरण

(क) से (घ) कार्यक्रम के पहले कदम के रूप में चार जिलों वेल्लारी (मैसूर), जलगांव (महाराष्ट्र), संगरूर (पंजाब) तथा रांची अथवा दरभंगा (बिहार) में शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय ने गहन शैक्षिक ज़िला विकास परियोजनाओं को आरम्भ करने का निश्चय किया है।

गहन शैक्षिक जिला विकास परियोजनाओं का सामान्य उद्देश्य शक्षिक कार्यक्रमों को समस्त आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को सम्बद्ध करने के लिए प्रभावशाली पद्धतियों का परीक्षण करना है परियोजना आरम्भ करने से पूर्व परियोजना सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए अपेक्षित विवरण को सम्बद्ध राज्य सरकार के साथ मिलकर एकत्रित किया जा रहा है । इस उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट राशि नियत नहीं की गई ।

यदि कोई बाह्य सहायता की आवश्यकता हुई और वह हमारी शर्तों पर उपलब्ध हुई तो उचित समय पर उसके उपयोग पर विचार किया जाएगा ।

Reservation of Posts for Scheduled Castes in Delhi Municipal Corporation

9857. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Delhi Municipal Corporation is ignoring the directions of his Ministry regarding the reservation of posts of Daftries and Moharirs for the Eighth Class pass Scheduled Caste employees, as reported in an aditorial in the Hindustan (Daily) dated the 12th January, 1970; and

(b) the steps being taken to improve the situation ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) As the posts of Daftries and Moharirs are filled by promotion of educationally qualified Class IV employees on the basis of seniority subject to fitness, no reservations are required to be made in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes while filling these posts.

(b) Does not arise.

Implementation of Adult Education Scheme

9858. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Education & Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor of Delhi Metropolitan Council has prepared a concrete scheme to make Adult Education Programme more effective, as reported in the Hindustan Daily of the 12th January 1970 ;

(b) whether it is also a fact that some concrete programmes in regard to the implementation of Adult Education Scheme are being adopted in other States also ; and

(c) if so, the amount spent by different States, State-wise, under the above scheme during the last three years and the assistance given by the Central Government in regard thereto ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (*a*) to (*c*) The information is being collected from all State Governments/Union Territory Administrations and will be laid on the table of the House as soon as possible.

चंडीगढ़ में कहारियों के लिए बस्ती

9859. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहारी यूनियन विजवाड़ा चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ प्रशासन को यह अभ्यावेदन दिया है कि उनके लिए एक बस्ती बनाई जाये अथवा विकल्प के तौर पर उनको अपना कारोबार चलाने के लिए भूखंडों का आवंटन किया जाये :

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है

(ग) ऐसी कहारियां कितनी है जिनके विजवाड़ा विस्थापित होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या यह सच है कि ये कहारियां चंड़ीगढ़ में तब से हैं जब से चंडीगढ़ शहर का निर्माण कार्य होना आरम्भ हुआ था ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) चंडीगढ़ प्रशासन सूचित करता है कि कहारी यूनियन का कोई अभ्यावेदन उनको प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, कहारी यूनियन चंडीगढ़ ने कहारी व्यवसाय के लिए वाणिज्यिक भूखंडों के निर्माण तथा आवंटन के लिए पंजाब सरकार को 1965 में अभ्यावेदन किया था । चंडीगढ़ प्रशासन नें कहारी यनियन के लिए यथावश्यक संख्या में स्थलों का निर्माण करने का अभी हाल में निर्णय किया है और इसके लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

चंडीगढ़ में दुकानों तथा वाणिज्यिक संस्थानों के समीप पार्क

9860. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ के विभिन्न सैक्टरों के व्यापारियों तथा व्यवसायियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी दूकानों तथा वाणिज्यिक संस्थानों के सामने जो छोटे पार्क हैं उनको हटा दिया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने कुछ सैक्टरों में पार्कों को हटा दिया है ; और यदि हां, तो किन सैक्टरों में;

(ग) सरकार द्वारा अन्य सैक्टरों में पार्कों को हटाने के लिये क्या कदम उठाये हैं और पार्कों को हटाने का काम अनुमानतः कितने समय में पूरा हो जायेगा ; और

(घ) क्या यह सच है कि ये पार्क ग्राहकों तथा व्यापारियों के मार्ग में बाधक हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) चण्डीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि गाड़ियां खड़ी करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता के कारण

व्यापारियों ने कुछ सैक्टरों के बाज़ार क्षेत्र में गाड़ियां खड़ी करने के क्षेत्र को बढ़ाने और घास के मैदानों के आकार को कम करने की मांग की है। कुछ मामलों में यह मांग स्वीकार कर ली गई है और फलस्वरूप, जहां आवश्यक होगा, मैदानों और गाड़ियां खड़ी करने के स्थान का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ऐसा पुनर्निर्माण सैक्टर 22/घ, 17 और 19/ग मे किया गया है। इसके लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है क्योंकि इस कार्य के लिए आवश्यकता किसी व्यापारिक केन्द्र विशेष में गाड़ी खड़ी करने के क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

कलकत्ता में नक्सलवादियों द्वारा ट्राम-कार पर हमला

9861. श्री जे० के० चौधरी :

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने सैन्ट्रल कलकत्ता में विश्वविद्यालय के निकट महात्मा गांधी रोड़ पर 18 अप्रैल, 1970 को एक ट्राम-कार पर फिर हमला किया और उसमें आग लगादी ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये और सम्पत्ति की अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ग) नक्सलवादियों की इन गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सागर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया गया अनुदान

9862. श्री गं० च० दीक्षित : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर विश्वविद्यालय को 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के लिये वर्षवार कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) क्या उक्त सहायता का पूरा उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने सहायता सम्बन्धी कोई अनुरोध विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क)

वर्ष	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया अनुदान
	रु०
1967-68	17,28,046.52
1968-69	10,80 963.72
1969-70	12,93,321.12

(ख) तीन वर्षों से विश्वविद्यालय से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । अतः यह बतलाना संभव नहीं कि अनुदान का पूरा उपयोग किया गया या नहीं ।

(ग) एक वक्तव्य संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3539/70)

मध्यप्रदेश के इंजीनियरी कालेजों को सहायता

9863. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में इंजीनियरी कालेजों को केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ;

(ख) मध्य प्रदेश में इस समय इंजीनियरी कालेजों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन कालेजों में कितने प्रतिशत अल्पसंख्यकों को दाखिला दिया जाता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा गैर सरकारी इंजीनियरी कालेजों (जिसमें भोपाल स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज भी है), को 72,34,045 रु० का अनुदान और 26,40,000 रु० का ऋण दिया गया । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को भी केन्द्र द्वारा तकनीकी संस्थानों के लिए 64,76,700 रु० का अनुदान और 5,48,425 रुपये का ऋण दिया गया ।

(ख) नौ ।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश के इंजीनियरी कालेजों में 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित हैं ।

मध्य प्रदेश में मन्दिरों में से मूर्तियों की चोरी

9864. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के विभिन्न मन्दिरों में से चुराई गई पत्थर और धातु तथा अन्य प्राचीन मूर्तियों की संख्या कितनी है और वे कितने मूल्य की हैं और जिन मन्दिरों से वे चुराई गई थी उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन चुराई गई मूर्तियों को बरामद करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और अब तक बरामद की गई मूर्तियों की संख्या कितनी है तथा वे कितने मूल्य की हैं ? और

(ग) उनको चुराने वाले अपराधियों का ब्यौरा क्या है, उन्होंने मूर्तियों को कैसे चुराया तथा उनको क्या दंड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Foreign Scholarships to Students of Madhya Pradesh

9865. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Education and youth Services** be pleased to state ;--

(a) the number of students of Madhya Pradesh who were granted foreign scholarships and sent abroad during the year 1968-69 ;

(b) the number of applications received therefor ;

(c) whether Government have recently received any complaints regarding the procedure adopted for the selection of candidates during the last two years; and

(d) if so, the nature of the complaints and the action taken thereon?

Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) (a) Ten.

(b) Applications are invited and received in very large numbers from all over India. Selection is made strictly on merit. No. Statewise account of applications is maintained.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Use of English in Madhya Pradesh High Court

9866. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :--

(a) whether it is a fact that all the work in the Madhya Pradesh High Court is done in English only and the applications written in English only are

accetped, whereas orders have already been issued to introduce Hindi, the National language, in official work ;

(b) whether it is also a fact that the Hindi Samiti of the High Court has also sent a representation to the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court and the Governor of the State in this regard but no action seems to have so far been taken in this regard ; and

(c) if so, the reasons therefor and whether Government propose to find out a solution in this connection ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir, According to the information received from the State Government, Petitions in Hindi are being accepted by the Madhya Pradesh High Court. Hindi is also being used for work in the Establishment Section of the High Court.

(b) A representation from the High Court Hindi Abhiyan Samiti of Indore was received by the Governor. Government are not aware as to whether any such representation was sent to the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court. Necessary action on the representation has been taken by the Court.

(c) Does not arise.

नक्सलवादियों की प्रथम वर्षगांठ

9867. **श्री दे० अमात** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में अपने दल के निर्माण की प्रथम वर्ष गांठ मनाने के लिये जलूस निकाले थे तथा माओ समर्थक 'प्लेकार्ड' उठा रखे थे और ऐसे ही नारे लगा रहे थे ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जम्मू व कशमीर, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से उत्तर अभी आना है। शेष राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को छोड़कर सूचित किया है कि ऐसे समारोहों का आयोजन नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 22-4-1970 को एक जलूस (लगभग 4,000) कलकत्ता में निकाला गया था। जलूस वाले माओ चाइना के प्लेकार्ड प्रदर्शित कर रहे थे और सामान्य उग्रपंथी नारे लगा रहे थे। त्रिपुरा में इसी प्रकार का एक जलूस (100) अगरतला नगर में 22 अप्रैल, 1970 को संगठित किया गया।

उग्रपंथियों की गतिविधियों पर सावधानी से निगरानी रखी जाती है और विधि के अनुसार जहां कहीं संभव होता है कार्यवाही की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये योजना

9868. **श्री रविराय : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के बारे में सरकार के पास एक योजना है, और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) योजना के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक नोट सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3540/70] योजना के विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

भारत में पुस्तकों के अनुवाद के लिये अमरीका तथा ब्रिटेन से प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त करना

*9869. **श्री रविराय :**

श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रकाशकों से पुस्तकों के अनुवाद के लिये शीघ्र ही प्रतिलिप्याधिकार उपलब्ध हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या होंगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य शर्तों पर बातचीत की जा रही है ।

मंत्रालयों में जीवन चरित्र सम्बन्धी आंकड़े संग्रह/अनुभाग (कैरियर मैनेजमेंट सैल्ल)

9870. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में जीवन चरित्र सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह करने के लिये विशेष अनुभाग (कैरियर मैनेजमेंट सैल्ल) बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न मंत्रालयों के लिये विभिन्न अधिकारियों के जीवन चरित्र सम्बन्धी आंकड़ों का समन्वय और सप्लाई कौन सा मंत्रालय करेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इन कक्षों को मंत्रालयों में अवर सचिव से संयुक्त सचिव तथा समकक्ष स्तर के पदों के लिये अर्हता अपेक्षाओं और उन संवर्गों के अधिकारियों के बारे में सूचना का संकलन करने का काम सौंपा जाएगा जो मंत्रालयों के प्रबन्ध के अधीन है ।

(ग) सामान्य समन्वय का काम गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

आयोजन तथा वास्तुकला स्कूल द्वारा दिल्ली की यातायात समस्याओं का अध्ययन

9871. श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयोजन तथा वास्तु कला स्कूल के यातायात तथा परिवहन आयोजन विभाग ने हाल में दिल्ली की यातायात समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने कहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बसें खरीदने के लिये नियत धनराशि पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी अन्य शिफारिशें क्या है और सरकार का विचार इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह):(क) से (ग) आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल के यातायात तथा परिवहन आयोजना विभाग ने यातायात समस्याओं का कोई अध्ययन नहीं किया है । परन्तु यह विदित हुआ है कि नगर तथा देहाती आयोजना पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के उन विद्यार्थियों की "दिल्ली में बस द्वारा जन ढुलाई–समीक्षा और तत्काल कार्यवाही कार्यक्रम" की अभिकल्प समस्या दी गई थी जो आयोजना तथा वास्तु-कला स्कूल के यातायात और ढुलाई आयोजना में विशेषज्ञ थे ने अध्ययन किया जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है । चूंकि अध्ययन उस समस्या पर है जो विद्यार्थियों को दिया गया है और अभी अपूर्ण है अतः उनके सिफारिशों और उनके कार्यान्विधन का प्रश्न नहीं उठता है ।

Paul Appleby Report on Indian Administration

9872. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India invited Mr. Paul Appleby a few years ago to present a report on the Indian Administration ;

(b) whether it is also a fact that Mr. Appleby presented two reports but the Government of India did not publish those reports due to the pressure and influence of some Senior Officers and due to the fear that these reports may reveal the futility of the services of I.C.S. and I.A.S. Officers ;

(c) whether Government propose to publish those reports ; and

(d) if not, the reasons for spending money in inviting Mr. Appleby ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Dr. Appleby submitted the following two reports to the Government on Public Administration in India ;

(*i*) Public Administration in India, Report of a Survey—1953.

(*ii*) Re-examination of India's Administrative System with special reference to Administration of Government's Industrial and Commercial enterprises—1956.

Both these reprots were printed and laid on the Table of the House.

(c) and (d) Do not arise.

Assistance to Banasthali Vidyapeeth, Dr. Graham's Home and Inter-State Board for Anglo-Indian Education

9873. Shri Ram Swarup Vidyarathi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to para 225 of the Annual Report (1969-70) of his Ministry and state ;

(a) the nature of assistance being given by his Ministry to Banasthali Vidyapeeth, Dr. Graham's Home (Kalimpong) and the Inter-state Board for Anglo-Indian Education, the amount allocated for giving assistance to these institutions during the year 1970-71 and the extent of allocation made for them separately in the Budget ;

(b) the names of the examinations being conducted by these institutions together with the names of the examinations with which they have been equated-

(c) the names of the Presidents and members of all the three institution. together with their nationality; and

(d) whether Government propose to prescribe the course of the Higher Secondary Examination of the Central Secondary Education Board and the courses of the examinations of the Delhi University for the examinations being conducted by these three institutions ?

Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) A statement is laid on the Table. [Placed in Library. See No. LT 3541/70]. Information which is not available will be collected and laid at the Table of the House as early as possible.

(d) The Government have no such proposal.

Provision of a Rope Train at Gawlior Fort

9874. Shri Yashwant Singh Kusbwah : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government porpose to provide a rope train in the Gwalior Fort for providing sightseeing facilities there; and

(b) if so, the details in regard thereto and the time by which the work is likely to be completed ?

Deputy Minister in the Ministry of Toursim and Civil Aviation (Dr. Smt. Sarojini Mabishi) : (a) & (b) On account of limited resources, the Central Government are not in a position to take up this scheme.

Seizure of Forged Currency Notes at Giridih Railway Station

9875. Shri Yashwant Singh Kushwab : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Bengal Branch of the Central Bureau of Investigation had arrested a person, who was in possession of forged currency notes worth Rs. 90,000 on the 9th April, 1970 at the Giridih Railway Station ; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) & (b) The Bengal Branch of the Central Bureau of Investigation have arrested a person at Giridih Railway Station on 8th April, 1970. On searching his person, 91 counterfeit currency notes of denomination of Rs. 10/- each were recovered. Two more persons have been arrested in this connection. In all, forged currency notes worth Rs. 21,000/- have been recovered. A case has been registered and is under investigation.

पालम हवाई अड्डा स्थित टर्मिनल बिल्डिंग के गेटों पर कर्मचारी नियुक्त करने वाले असैनिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

9876. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में पालम हवाई अड्डा स्थित टर्मिनल बिल्डिंग के विविध गेटों पर कर्मचारी तैनात करने वाले असैनिक उड्डयन अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन एजेन्सियों से कर्मचारियों के पास परिचय पत्र और एक रुपये का टिकट होने के बावजूद भी इन अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(घ) क्या हवाई अड्डे पर उपलब्ध पार्किंग सुविधाओं के विरूद्ध पर्यटकों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) :
(क) कुछ शिकायतें मिली हैं तथा उपयुक्त कार्यवाही की जा चुकी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पार्किंग व्यवस्था तथा पार्किंग फीस इत्यादि के बारे में कुछ छोटी-छोटी शिकायतें मिली हैं ।

(ङ) (i) इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये कि गाड़ियों "वेज़" में तथा गाड़ियों के प्रत्येक वर्ग के लिये निर्धारित क्षेत्रों में ही पार्क की जाएं, उपाय किये जा रहे हैं ।

(ii) यह निर्णय किया गया है कि 15 मई 1970 से मोटर साइकलों तथा स्कूटरों के लिये पार्किंग फीस प्रति मोटर साइकिल अथवा स्कूटर 1 रुपये से घटाकर 50 पैसे कर दी जायेगी ।

दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र को नया रूप देना

9877. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार, दिल्ली में दुकानें बहुत संकीर्ण क्षेत्र में हैं और इस कारण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों को कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र को नया रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । मुख्य सदर बाजार को छोड़कर इस क्षेत्र में दुकानें गलियों में स्थित हैं जिनमें दमकलें और मशीनें आसानी से नहीं ले जाई जा सकती हैं ।

(ख) इस क्षेत्र के क्षेत्रीय नक्शे का प्रारूप (ड्रफ्ट जोनल प्लान) दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

Administrative Body for Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeeth, Delhi

9878. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the rules governing the Lal Bahadur Shastri Vidyapeeth, Delhi, there is a provision for setting up an administrative body;

(b) whether it is also a fact that under the said rules the Vidyapeeth has granted powers to the administrative body to do Bank transactions in addition to giving administrative powers;

(c) whether such an administrative body has been set up and, if so, the names of its members and term of their office; and

(d) if not, the agency through which the administrative work and the Bank transactions of the Vidyapeeth are being done ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) Under Rule 17 of the Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Sabha, there is a provision for a Shasan Nikaya (Governing Body) to carry on the administration of the Sabha, including Bank transactions. The following are the members of the Shasan Nikaya at present;

1. Dr. Karan Singh

2. Dr. A.N. Jha

3. Dr. Ram Dhari Sinha Dinkar.

4. Shri Kanti Chaudhuri, Joint Secretary, Ministry of Education and Youth Services.

5. Shri J. Veera Raghavan, Internal Financial Adviser, Ministry of Education and Youth Services.

6. Shri Mauli Chandra Sharma, Representative, Akhil Bhartiya Sanskrit Sahitya Sammelan.

7. Shri. M. M. Permeshwaranand Shastri, Staff representative.

8. Dr. Mandan Mishra (Sachiv).

The present term of the Shasan Nikaya, as also of the Sabha, expires on 6th June, 1970.

By a resolution of the Sabha, the Bank transactions of the Vidyapeeth are conducted under the joint signatures of the Accounts-cum-Finance Officer of the Vidyapeeth and Shri Mauli Chandra Sharma, a member of the Shasan Nikaya.

M/B(D)9LSS—9

संग्रहालयों का विकास

9880. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय संग्रहालय सम्मेलन ने सरकार से यह सिफारिश की है कि देश में संग्रहालयों के विकास तथा अनुसंधान कार्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकार का एक उच्च-शक्ति प्राप्त संगठन नियुक्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारतीय संग्रहालय संस्था ने जिसने इस सम्मेलन का आयोजन किया था, अभी तक ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

करल को दिये गये केन्द्रीय निदेशों को क्रियान्वित न किया जाना

9881. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नम्बूदरीपाद के मुख्य मंत्रीत्व काल में दिये गये अनेक केन्द्रीय निदेशों को केरल सरकार ने पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया था ; और

(ख) यदि हां, तो जो निदेश वहां क्रियान्वित नहीं किये गये थे, उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) केन्द्रीय सरकार के लिए न तो अनुच्छेद 256 और न अनुच्छेद 257 के अधीन केरल सरकार को कोई निर्देश देने का अवसर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिए धन के नियतन के बारे में मतभेद

9882. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटन हेतु धनराशि के नियतन के बारे में उनके मंत्रालय और योजना आयोग के मध्य मतभेद हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विभिन्न मत क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एच० एस०–748 विमान का चलाया जाना

9883. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अपने एच० एस०-748 विमानों को लाभ में नहीं चला सकती क्योंकि इन विमानों की लाभप्रद भार क्षमता (ब्रेक इवन लोड फैक्टर) 85 प्रतिशत थी जबकि निगम केवल 72. 4 प्रतिशत प्रभावी भार क्षमता का ही उपयोग कर सका ;

(ख) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार आई० ए० सी० को कानपुर में बने एच० एस-748 वायुयान खरीदने होंगें जिन्हें इन्डियन एयर लाइन्स खरीदना नहीं चाहती : और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक ह, तो ऐसे निर्णय का औचत्यक्या है जिससे भारतीय करदाता पर और अधिक भार बढ़ेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) 1968-69 के दौरान एच० एस०-748 विमान-बेड़े के 64. 5 प्रतिशत निष्पादित रजास्व भार अनुपात की तुलना में हानि-लाभ संतुलक भार अनुपात 81. 2 प्रतिशत था।

(ख) अपनी बड़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये, इंडियन एयरलाइन्स ने देश में निर्मित 10 और एच० एस०–748 विमानों के लिये क्या आदेश दिया है । इन अतिरिक्त विमानों से हानि लाभ संतुलक भार अनुपात घट जायेगा और परिणाम स्वरूप परिचालनों में आर्थिक रूप से और सुधार होगा ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स को अधिक हानि की आशंका नहीं है तथापि हर हालत में कारपोरेशन के लिये यह लाजिमी है कि वह देश में निर्मित एकमात्र नगर यात्री विमान को अपनाये ।

कानपुर-निर्मित एच० एस०–748 विमान की असफलता

9884. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968-69 में इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कानपुर निर्मित एच० एस०-748 विमान की उड़ान का संचालन लाभ पर नहीं कर सका।

(ख) क्या यह भी सच है कि कानपुर-निर्मित एच० एस०-748 विमान की असफलता ब्रिटेन और जापान में निर्मित विमान को सफलता के पूर्णतय प्रतिकूल है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो एच० एस०-748 विमान की असफलता के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस को यू० के० में निर्मित एच० एस०-748 विमान के परिचालन के परिणामों का पता नहीं है।

(ग) एच० एस०-748 विमानों पर हुई हानि अधिक ऊंचे हानि-लाभ संतुलक भार अनुपातों (ब्रेक-ईवन लोड फैक्टरों) के कारण है। इस के विमान बेड़े में वृद्धि होने पर कम हो जाने की संभावना है।

पंजाब में नक्सलवादी गतिविधियां

9885. **श्री सीताराम केसरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में गत छः महीनों से नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां अनेक राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं और नक्सलवादियों ने लोगों के जान माल के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Use of Hindi in Offices

*9886. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 438 on the 5th December, 1969 regarding use of Hindi in Offices and publishing Text books in Hindi and state :

(a) the time by which Hindi will be taught to all the Officials and employees of his Ministry under the Hindi Teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs

(b) the number of officials and employees to whom Hindi has yet to be taught under the said Scheme:

(c) whether there is a proposal to compel the officers and the employees to whom Hindi has been taught under the said Scheme to take action in Hindi at all levels on all letters received in Hindi ;

(d) whether it is a fact that Section Officers and Under Secretaries incharge of Sections dealing with grants to Hindi Institutions, and those dealing with Hindi educational schemes are having anti-Hindi attitude and, if so, their Hindi qualifications ; and

(e) whether a roster has been prepared for implementing the Home Ministry's Hindi Teaching Scheme ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) Efforts are being made to nominate an increasing number of employees for the training, subject to the exigencies of work based on the current progress the present non-Hindi-knowing staff of the Ministry should be able to learn Hindi within the next 7 years.

(b) 200 persons.

(c) There is no such proposal so far as the Ministry of Education and Youth Services is concerned.

(d) No, Sir.

(e) Yes, Sir.

Appointment of Hindi Stenographer in Education Minister's Office

***9887. Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education & Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4987 on 3rd April, 1970 regarding appointment of Hindi Stenographer in Education Minister's Office and state :

(a) whether the services of the Hindi Stenographer referred to in the question mentioned above were terminated after the then Education Minister relinquished his Office and, if so, on what post and in which scale of pay that person is working at present ; and

(b) whether it is a fact that some Officers, who can give dictation in Hindi have not given good report to that person?

Minister of Education & Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) The Hindi, Stenographer was reverted as Lower Division Clerk with effect from 1-3-1969 on the expiry of the sanction of the post. He is at present working as Personal Assistant to the Deputy Minister for Education & Youth Services with effect from 7-2-1970 in the scale of pay of Rs.210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

(b) Reports of Officers on their subordinates are confidential in nature and cannot be divulged.

Text Books Prepared by N.C.E.R.T.

9888. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of text books and other books published by the National Council of Educational Research and Training so far and the names of those likely to be published in the future ;

(b) whether he proposes to make an enquiry as to whether the books prepared by the Council are burden-some and beyond the understanding of the children and also difficult for the teachers; and

(c) whether it is also a fact that the Higher Secondary Text books in Delhi are more difficult than the books of the B.A. and B.Sc. 1st year in the neighbouring States ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) A statement is placed on the Table. [Placed in the Library. See No. LT 3542/70].

(b) The matter is already engaging the attention of the National Council of Educational Research and Training.

(c) By and large the Delhi School standards have to be related to Delhi University standards and not to universities in neighbouring States.

Parliament Assistants in Education Ministry

***9889. Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are two posts of Parliament Assistants in his Ministry ;

(b) whether it is also a fact that there is one post of Parliament Assistant in the office of the Council of Scientific and Industrial Research also ;

(c) if so, the justification thereof and the names of other autonomous bodies under this Ministry in which there are posts of Parliament Assistants ;

(d) the duties of the Parliament Assistant working in the office of the said Council and since when the present incumbent has been working on the said post;

(e) whether it is proposed to abolish the post of Parliament Assistant in the said Council as a measure of economy and get all its work relating to Parliament done by the Parliament Assistants working in the Education Ministry ; and

(f) if so, from which date and, if not, the reasons therefor ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) Two Assistants in the Ministry designated as Parliament Assistants receive a special allowance of Rs. 150 per month during the Parliament Sessions in terms of the existing orders of the Ministry of Finance.

(b) There is no post of Parliament Assistant in the Council of Scientific and Industrial Research. There is, however, a Parliament Cell under the charge of an Assistant in the Council. The Assistant does not receive a special allowance.

(c) Work relating to Parliament Questions and Parliamentary Committees is heavy as far as the Council of Scientific and Industrial Research is concerned.

In regard to other autonomous bodies under this Ministry, the information is being collected and will be laid on the Table of the House, when available.

(d) The duties performed by the Assistant-incharge of the Parliament Cell in the Council are as below :—

(*i*) to receive original notices of the Questions relating to the Council of Scientific and Industrial Research and its national laboratories, and to collect material for the Questions from the party concerned.

(*ii*) to put up draft replies etc. for submission to the Minister.

(*iii*) to have the replies to the Questions faired and supply of the fair copies to all concerned.

The aforesaid Assistant has been holding charge of the post from 3rd February, 1965.

(e) and (f) There is sufficient work load in the Council of Scientific and Industrial Research for an Assistant to be incharge of Parliamentary work. Administratively, it will not be practicable to transfer the work to the Parliament Assistants of the Ministry as Director-General, Council of Scientific & Industrial Research, is also Secretary to the Government of India and controls the C.S.I.R. and its various laboratories and institutes.

डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में पुलिस-गश्त और यातायात-प्रबन्ध की अपर्याप्त स्थिति

9890. श्री म० ला० सोंधी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के डिफेन्स कालोनी क्षेत्र में चलती फिरती पुलिस गाड़ियों और सिपाहियों द्वारा गश्त लगाये जाने की अपर्याप्त व्यवस्था है ;

(ख) क्या डिफेन्स कालोनी के मार्ग में स्थित रेलवे फाटक पर यातायात का मार्गदर्शन करने के लिये पुलिस की अपर्याप्त व्यवस्था है ;

(ग) क्या दुहरे यातायात के लिए सड़क के अत्याधिक संकरी होने के कारण डिफेन्स कालोनी मार्केट के निकट यातायात को एक-मार्गीय करने की आवश्यकता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या अपर्याप्त पुलिस गश्त और अपर्याप्त यातायात व्यवस्था के बारे में डिफेंन्स कालोनी निवासियों के असन्तोष के बारे में सरकार द्वारा जांच की गई है ; और

(ङ) डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में पुलिस जनता सहयोग को दृढ़ करने और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यावाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान । ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) वहां पर दो रेलवे-फाटक हैं । एक फाटक लिंक रोड़ पर है जहां यातायात का नियंत्रण करने तथा यातायात नियमों को लागू करने के लिये 8 बजे पूर्वाह्न से 8 बजे अपराह्न तक यातायात पुलिस नियुक्त रहती है । दूसरा फाटक लोधी कालोनी से सेवा नगर को जाने वाली सड़क पर स्थित है और इस फाटक पर यातायात का प्रवहा नियमित, सुगम तथा निर्बाध है ।

(ग) लोदी कालोनी से सेवा नगर को जाने वाली सड़क पर स्थित रेलवे फाटक के पार डिफेन्स कालोनी की ओर सुभाष मार्केट के नाम से एक मार्केट स्थित है। मुख्य सड़क की बाई ओर से एक छोटी सी सड़क निकलती है और डिफेन्स कालोनी को जाती है। सभी उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए यह डिफेन्स कालोनी के लिए प्रवेश-बिन्दु है। यह सड़क अंग्रेजी के 'यू' अक्षर के आकार की है और इसका दूसरा भाग सेवा नगर की ओर खुलता है जो डिफेन्स कालोनी से आगे वाले यातायात के लिये बाहर निकलने का बिन्दु है। नियमित सड़क-संकेत लगाए गए हैं और इस सड़क पर यातायात सुव्यवस्थित है अर्थात् यातायात का प्रवाह एक तरफा (घड़ी के समान) है इसके अतिरिक्त, डिफेन्स कालोनी की मुख्य मार्केट में यातायात का प्रवहा पहले ही सुव्यवस्थित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पुलिस आवश्यकता पड़ने पर जनता का सहयोग मांगती है और जब कोई यातायात समस्या उसके ध्यान में लाई जाती है तो वह आवश्यक कार्यवाही करती है।

लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति

9891. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे लोअर डिविजन क्लर्कों की मंत्रालय-वार संख्या कितनी है जो मार्च 1, 1970 को 10 वर्ष, 15 वर्ष तथा 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं लेकिन जिन्हें अभी तक अपर डिविजन क्लर्क नहीं बनाया गया है ;

(ख) क्या विशेष मंत्रालयों में रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति के अवसरों में असमानताएं दूर करने के संबंध में वरिष्ठ लोअर डिविजन क्लर्कों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ग) क्या पदोन्नति की संभावनाओं की दृष्टि से भारी भेद-भाव तथा विषमता वाले मामलों पर विचार करने तथा वरिष्ट लोअर डिविजन क्लर्कों को तुरन्त राहत देने का मरकार का विचार है ; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि कम वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय बरता जायेगा, सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का केन्द्रीयकरण करने की संभावना तथा लोअर डिविजन क्लर्क पदालियों का केन्द्रीयकरण करने की व्यावहारिकता पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ) विभिन्न संवर्गों के बीच कर्मचारियों की विकेन्द्रीकृत श्रेणियों के पदोन्नति के अवसरों में असमान्ताओं के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले विकेन्द्रीकरण योजना के कार्य करण का पुनरीक्षण किया गया था और यह निश्चय किया गया है कि जबकि विकेन्द्रीयकृत स्थापना जारी रहे, विकेन्द्रीयकृत श्रेणियों में 'पदोन्नति के क्षेत्रों' के निर्धारण

द्वारा पदोन्नतियों द्वारा असमानता को दूर किया जाय । तदानुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा । केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमों में 26-11-1969 को संशोधन किया गया जिस के अनुसार संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा उन अधिकारियों में से जो कम से कम सेवा- संबंधी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और गृह-मंत्रालय द्वारा हर वर्ष निर्धारित की जाने वाली वरिष्ठता के परास के भीतर है, पदोन्नतियां की जा सकती है । यदि किसी संवर्ग विशेष में निर्धारित परास के भीतर व्यक्ति उपलब्ध नहो तो दूसरे संवर्गों के पात्र व्यक्तियों में से जो वरिष्ठता के निर्धारित क्षेत्र के भीतर है और पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे जाते हैं, पदोन्नतियां की जाती हैं । वरिष्ठता के परासों का निर्धारण करने वाले आदेश, कि संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा पदोन्नतियां कहां तक की जा सकती है, 2-5-1970 को जारी किये गये ।

Proposal by U.K. Continental Conference Lines to increase Shipping Freight Rates

9892. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.K. Continental Conference Lines propose to enhance the Shipping freight rates with effect from the 15th July, 1970;

(b) if so, its likely effect on the Indian Shipping; and

(c) the action taken by Government to check this increase?

Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Its effect on Indian shipping will be beneficial because the earnings of Indian shipping companies who are members of the Conference will also go up.

(c) Since the increase will have an adverse effect on our export trade discussions have been held with the Conference with a view to keep to the minimum the quantum of increase and to secure exemptions or relaxations in respect of specific commodities requiring special treatment.

हड़ताल कर रहे रेलवे कर्मचारियों पर सैनिकों द्वारा गोलाबारी

9893. श्री देवेन सेन : क्या **गृह-कार्य मंत्री** 11 जनवरी, 1970 को मुगल सराय में हड़ताल कर रहे रेलवे कर्मचारियों पर सैनिकों द्वारा 27 फरवरी, 1970 की गोलाबारी के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 878 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) कुछ सेना के कर्मचारियों का एक दल छुट्टी पर जा रहा था । बताया जाता है कि उनमें से एक ने अपनी निजी 12-बोर बन्दूक से दो गोलियां चलाई । उपलब्ध सूचना के अनुसार

चार व्यक्ति घायल हुए थे, चूंकि जिन परिस्थितियों में गोलीयां चलाई गई थी वे स्पष्ट नहीं है, अतः जिला अधिकारियों ने घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का आदेश दिया। जांच के निष्कर्षों का पता लगाया जा रहा है।

Acquainting Foreign Tourists with Indian Culture

9894. Shri Deven Sen : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the details of programmes organised by Government to acquaint the foreign tourists visiting India with the Indian culture and civilisation and the Indian way of life and the manner in which these programmes are organised ?

Deputy Minister in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Smt. Sarojini Mahishi): A provision of Rs. 40 lakhs has been made in the Fourth Five Year Plan for organising cultural programmes and son-et-lumiere shows. In addition to the son-et-lumiere show at the Red Fort, two more shows are being mounted at the Sabarmati Ashram, Ahmedabad, and Shalimar Gardens, Srinagar. The question of mounting a show at the Meenakashi Temple, Madurai, is also under consideration.

The Department of Tourism has been making efforts to organise cultural shows specially suited for foreign tourists. Two such functions were put up in Delhi in March 1970 by cultural organisations under a subsidy from the Department. It is proposed to continue the arrangement and to extend it to other cities.

The field offices of the Department of Tourism organise 'People-to-people' programmes under which arrangements are made for foreign tourists to visit Indian homes and meet their counter parts in various professions.

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पाई गई फटे हुए तथा जले हुये पृष्ठों वाली गीता

9895. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह-कार्य मंत्री 5 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2826 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रांगण में 4 अक्टूबर, 1969 को जले हुए तथा फटे हुए पृष्ठों वाली जो "गीता" पुस्तक मिली थी और जिसके बारे में केस दर्ज करा दिया गया था, क्या उसके बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कितने लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की है और उस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उक्त जांच के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मामले की जांच-पड़ताल में अपराधियों का पता लगाना संभव नहीं हुआ। न्यायालय को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Employment of Relations of I.C.S./I.A.S./I.P.S. Officers in Foreign Embassies

9896. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) what is the number of wives, sisters and other wholly dependent relatives of I.C.S., I.A.S. and I.P.S. Officers working in the foreign Embassies located at Delhi, on the basis of the facts collected by Government; and

(b) the present places of posting of the wives of the above Officers working in Embassies along with their names ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) On the basis of the information, as on 1-12-1969, collected about the Central Government employees, no wife/dependent of an I.C.S./I.A.S./I.P.S. Officers working under the Government of India is serving in any foreign embassy located at Delhi.

(b) Does not arise.

Grants to Schools and Colleges

†9887. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of schools and colleges, State-wise which were given grants during 1969-70 by his Ministry and the amount demanded by them separately.

(b) the amount allotted for the above purpose and the extent to which it was utilised ; and

(c) the amount allotted for the above purpose for the year 1970-71?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) to (c) The information is being compiled and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में होम गार्ड्स संगठन

9898. **श्री अचल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली होम गार्ड्स संगठन में स्वयं सेवी अधिकारियों तथा एन० सी० सी० को मानदेय दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो (i) कम्पनी कमान्डरों (ii) प्लाटून कमान्डरों (iii) हवालदारों तथा (iv) सैक्शन लीडरों को किस मासिक दर पर यह मानदेय दिया जाता है ;

(ग) किस मास तक यह मानदेय दिया जाता है; और

(घ) स्वयं सेवी अधिकारियों तथा एन० सी० ओज० को मानदेय देने के संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) स्वयंसेवी अधिकारियों तथा एन० सी० ओज० को अनुदेशात्मक कर्तव्यों के लिये मानदेय निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है :–

(1) कम्पनी कमाण्डर	50 रु० प्रति माह
(2) प्लाटून कमाण्डर	30 रु० प्रति माह
(3) प्लाटून हवलदार	15 रु० प्रति माह
(4) सैक्शन लीडर	10 रु० प्रति माह

साधारणतया मानदेय तीन महीने के लिये एक बार प्राप्त किया जाता है ।

(ग) 1553 में से, 117 को छोड़कर जो अपना मानदेय नहीं ले गए हैं और 8 को छोड़कर जिनके बिलों का उनकी टुकड़ियों के परेड ड्यूटी बिलों के साथ मिलान किया जाना है, सभी को दिसम्बर 1969 तक का मानदेय दे दिया गया है जिसमें उस महीने का मानदेय शामिल है ।

(घ) मानदेय तब दिया जाता जब कम्पनी/प्लाटून/सैक्शन में होम गार्ड्स की कम से कम औसत मासिक उपस्थिति उस टुकड़ी की कुल संख्या की 50 प्रतिशत हो ।

राज्यों के संवैधानिक अध्यक्षों द्वारा व्यक्त मत

9899. श्री रा० को० अमीन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों तथा केन्द्र के संवैधानिक अध्यक्ष अपनी संबंधित सरकारों की ओर से ही कोई कार्यवाही करते, कुछ लिखते तथा कुछ कहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक हितों के मामलों पर सार्वजनिक रूप से वे अपना दृष्टिकोण किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं अथवा लिख सकते हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जब कभी उनका कोई अभिषद लेख उनके नाम से समाचारपत्र में प्रकाशित होता है तो उसमें व्यक्त दृष्टिकोण को उनसे संबंधित सरकार का दृष्टिकोण ही मानना पड़ता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसे मामलों पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने से वे सामान्यतः दूर रहते हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों को छात्रवृत्तियां

9900. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की तथा दिल्ली के पब्लिक व कान्वेन्ट स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा पा रही छात्राओं को छात्र वृत्तियां देने की योजना लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1970-71 में कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ;

(घ) विभिन्न श्रेणियों के लिये छात्रवृत्तियों की कितनी धनराशि होगी ; और

(ङ) चालू वर्ष के लिये छात्रवृत्तियां देने हेतु कितने छात्रों को चुना गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन):(क) से (ङ) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन द्वारा एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Sale of diamond stolen from Hindu Idol in Nasik

9901. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Sharda Nand :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item reported in the Daily newspaper *Swadesh* to the effect that Nasik diamond weighing 80 carat which was fitted in an idol of Hindus in some cave in Nasik and which was looted in 18th Century has been auctioned in America in the month of March or April, 1970 ;

(b) if so, the estimated price thereof; and

(c) the steps which were taken by the Government of India to take back that diamond from the Britisher who had taken it away ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) It has not been possible to get a copy of the relevant issue of the news-paper in question. However, no Hindu temple or idol is protected at Nasik under the Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1958. As such, no information is available with the Government about the diamond in question.

(b) and (c) Do not arise.

ड्रेजरों की वर्तमान क्षमता तथा भविष्य में उनकी आवश्यकता

9902. **श्री लोबो प्रभु : क्या नौवहन तथा परिवहन** मंत्री 17 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6633 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग योजना की कार्य प्रगति पर यह सुनिश्चित करने के लिये निगरानी रखता है कि यह कार्य न केवल निर्धारित समय में पूरा हो जाये अपितु निर्धारित समय पर पूरी न होने वाली परियोजना पर नियोजित निष्क्रिय धन पर ब्याज भी बच जाये ;

(ख) चूंकि चौथी योजना में 82 मिलियन क्युबिक मीटर भूमि का तलकर्षण करना है और दो उपलब्ध ड्रेजर आगामी चार वर्षों में केवल 6.4 मिलियन क्यूबिक मीटर भूमि का तलकर्षण कर सकते हैं तो क्या योजना आयोग ने इस बात की जांच की है कि शेष क्षमता किस प्रकार प्राप्त की जायेगी ;

(ग) यदि गार्डन रीच में कटर ड्रेजर समय पर उपलब्ध हो जाता है तो भी इस 3000 मिलियन क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले ड्रेजर से मंगलौर परियोजना एक वर्ष के भीतर किस प्रकार पूरी हो जायेगी ;

(घ) 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर की क्षमता के ड्रेजर के प्रस्ताव का ठेका, जिसकी मुख्य इंजीनियर ने सिफारिश की थी, क्यों नहीं स्वीकार किया गया था जबकि इसकी दर अन्य ठेकों पर दी जाने वाली दर से अधिक नहीं है ; और

(ङ) योजना आयोग ने इस मामले में और अन्य बड़ी परियोजनाओं की कार्य प्रगति पर निगरानी रखने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ङ) योजना आयोग का एक विचारार्थ विषय यह है – "योजना की प्रत्येक प्रावस्था के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना और ऐसे मूल्यांकन में जिन उपायों को करना आवश्यक बताया गया हो उनका नीति उपायों से समायोजन करने की सिफारिश करना। योजना आयोग सावधिक रिपोर्ट, सरकारी स्तर पर बैठकों, परियोजनाओं और कार्यक्रम के स्थानों का सरकारी दौरों और क्षेत्र-कार्यकर्ताओं अथवा विशेषज्ञों के दलों की चुने हुए कार्यक्रमों के ब्यौरावार मुल्यांकनों के द्वारा योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखता है"।

(ख), (ग) और (घ) हल्दिया, मदरास और मारमुगाओं पत्तनों पर पूंजीगत निकर्षण हो रहा है और पाराद्वीप पत्तन पर निकर्षण पूरा हो गया है। 820 लाख घन मीटरों में से अनुमानित 258 लाख घन मीटर होने का यही कारण है। तूतीकोरीन हारबर पूरा करने के लिये 32 लाख घन मीटर की मात्रा का जो अनुमान लगाया गया है वह भूमिउद्धरण प्रयोजन के लिये है, जो भूमि से भी किया जा सकता है। 360 लाख घन मीटर की मात्रा ऐसी योजनाओं की है जिनका क्षेत्र नियोजन और अन्य ब्यौरे अभी निश्चित किये जाने हैं। शेष लगभग 170 लाख घन मीटर निकर्षण को यम० ओ० टी० के निकर्षकों में से एक निकर्षक और केन्द्रीय निकर्षण संगठन के निकर्षकों जिन के लिये आदेश दिया गया है, द्वारा करने का विचार है। जुड़वे चूषण हायर ड्रेजर और कटर चूषण

ड्रेजर की क्षमता पूर्वोक्त की 3000 घन मीटर प्रति हायर भार और पश्चादुक्त की 1,500 घन मीटर प्रति घंटा है । इन दो निकर्षकों की वार्षिक क्षमता का अनुमान 80 लाख घन मीटर लगाया जाता है उपरोक्त परिस्थितियों में मंगलौर पत्तन पर ठेके पर निकर्षण कराने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया ।

असैनिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा विभिन्न संवर्गों के लिए माडल रोस्टरों का रखा जाना

9904. श्री शम्भू नाथ : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय के 2 मई, 1963 के समय समय पर संशोधित रुप में कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/13/63-ए सी० टी० (i) के अनुसार क्या असैनिक उड्डयन को महानिदेशक द्वारा अपने विभाग के विभिन्न संवर्गों के लिये माडल रोस्टर रखे जा रहे हैं ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या असैनिक उड्डयन विभाग में असैनिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले में अरक्षण किया जा रहा है जैसा कि गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/28/68-ई० एस० टी० (एस० सी० टी०) निम्नांकित 12 सितम्बर, 1968 मे अपेक्षित है ;

(ग) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें आरक्षित पदों पर स्थायी किया गया है उसी संवर्ग के अन्य अस्थायी कार्यभारी कर्मचारियों से वरिष्ठ बना दिया गया है तथा उनकी वरिष्ठता तदनुसार ही निश्चित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों के लिये असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के कार्यालय में एक सम्पर्क सैल की स्थापना

9905. श्री शम्भू नाथ : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गृह-कार्य मंत्रालय के 19 अप्रैल, 1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67 ई० एस० टी० (सी०), अनुसार, असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के कार्यालय में इस विभाग के विभिन्न संवर्गों मे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित/आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व से संबधित कार्य के लिये एक सम्पर्क सैल स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की देखभाल करने के लिये इस विभाग द्वारा अन्य क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को एयरोड्रोम आफिसर, कम्युनिकेशन आफिसर, टेक्निकल आफिसर, असिस्टेंट एयरोड्रोम आफिसर, असिस्टेंट कम्युनिकेशन आफिसर,

असिस्टेंट टेक्निकल आफिसर, एयरोड्रोम आपरेटर, रेडियो आपरेटर, रेडियो टेक्निशियन, एयरोड्रोम असिस्टेंट, कम्युनिकेशन असिस्टेंट, तथा टेक्निकल असिस्टेंट जैसे विभिन्न संवर्गों में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है जैसा कि संविधान (धारा संख्या 16 (4)) में व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या क्या है तथा प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां, । नागर विमानन महानिदेशक के मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सम्पर्क अधिकारियों का नामांकन किया जा चुका है मंत्रालय में भी एक 'सैल' की स्थापना करने के लिये कार्यवाही की जा रही है :

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि इस संबंध में हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है, कठिनाई केवल उपयुक्त उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	पद संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	1-4-1970 को स्थिति के अनुसार निम्नलिखित से संबंधित कर्मचारियों की संख्या	
			अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1.	विमान क्षेत्र अधिकारी	46	3	1
2.	संचार अधिकारी	11	–	–
3.	सहायक संचार अधिकारी	88	1	–
4.	सहायक तकनीकि अधिकारी	117	1	–
5.	विमान क्षेत्र परिचालक	356	52	6
6.	रेडियो आपरेटर	620	21	–
7.	रेडियो तकनीशियन	442	16	–
8.	विमान क्षेत्र सहायक	36	–	–
9.	संचार सहायक	158	–	–
10.	तकनीकी सहायक	191	2	–

टिप्पणी—तकनीकी अधिका ी तथा सहायक विमान क्षत्र अधिकारी के कॉडरों (संवर्गों) के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

होटलों में बिकने वाली शराब के मूल्यों पर सरकार का नियंत्रण

9906. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े होटलों को दिये गये शराब के कोटे के बारे में 10 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5935 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन होटलों में ग्राहकों को बेची जाने वाली शराब के मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के कुछ होटलों में वेची जा रही शराब के मूल्य बहुत अधिक हैं तथा व्हिस्की की कीमत लगभग 20 पये है जबकि इसका आयातित मूल्य केवल 8 रुपये है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) जी , नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत के होटल तथा रेस्टोरेंट संस्थाओं के संघ से मालूम हुआ है कि ऐसा उत्पादन-शुल्क की ऊंची दरों और मदिरा वाले अन्य शुल्कों तथा दिल्ली में होटलों द्वारा अपने कमरों की क्षमता के आधार पर दिये जाने वाले उच्च वार्षिक लाइसेंस शुल्क के कारण हैं ।

सड़क विंग में श्रेणी एक के तकनीकी अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

9907. श्री कृ० मा० कोशिक :

श्री वि० नरसिम्हा राव :

श्री रा० बेंनायक :

श्री जे० मुहम्मद इमाम :

श्री मोठा लाल मीना :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क विंग में कार्य कर रहे श्रेणी एक के तकनीकि अधिकारियों में उनकी वरिष्ठता की सूची तैयार करने तथा उनकी नियुक्तियों को नियमित करने में विलम्ब क प्रश्न को लेकर भारी असन्तोष व्याप्त है क्योंकि इसका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कौलेट समिति ने इन नियुक्तियों को नियमित करने के लिए केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सेवा सड़क श्रेणी एक भर्ती नियमों में संशोधन की सिफारिश की थी जिसका विधि मंत्रालय ने भी अनुमोदन कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस संबंध में गृह-कार्य मंत्रालय का मत अभी प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो अच्छे कर्मचारी संबंधों के लिये उनके मंत्रालय द्वारा उक्त प्रश्न पर तुरन्त ही निर्णय न किये जा सकने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (घ) सड़क पक्ष में तकनीकी श्रेणी 1 अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का प्रश्न कुछ अधिकारियों में असंतोष का विषय बन रहा है। कौलेट समिति, जो इस प्रश्न की जांच के लिए नियुक्त की गई थी, ने केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) श्रेणी 1 भर्ती नियमों को संशोधन करने के लिए कोई सर्वसम्मत सिफारिश नहीं की है। विधि मंत्रालय ने समय समय पर विभिन्न मद्दों पर सलाह दी है। गृह मंत्रालय से अभी तक कोई अंतिम राय प्राप्त नहीं हुई है। तुरन्त कोई निर्णय करना संभव नहीं हुआ है क्योंकि जिन मंत्रालयों और संगठनों की सलाह लेना अपेक्षित है, उन से अभी तक वह प्राप्त नहीं हुई है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति पंजाब के चुनाव

9908. श्री गुरुचरण सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो उसके आम चुनाव न करवाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उपर्युक्त चुनाव कब तक करवाये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति पंजाब का पुनर्गठन होने पर एक अन्तर राज्य निगम बन गया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 के अधीन यह विधि द्वारा अन्य उपबन्ध बनाए जाने तक संयुक्त राज्य के क्षेत्रों में कार्य करता रहेगा। इस प्रश्न की राज्य सरकारों के परामर्शों में जांच की जा रही है कि बदली हुई परिस्थितियों में इस समिति को कैसे कार्य करना चाहिए और इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि इस मामले में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा।

राष्ट्रीय एकता समिति की बैठकें

9909. श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक जून, 1969 के बाद नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस लम्बी निष्क्रियता के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् ने स्वयं यह सुझाव दिया था कि स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए प्रति वर्ष अधिवेशन बुलाया जाए ;

(घ) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों को क्रियान्वित के बारे में किसी स्तर पर पुनर्विलोकन किया गया है और यदि हां, तो यह पुनर्विलोकन किसने किया है ; और

(ङ) शिक्षा के क्षेत्र में साम्प्रदायिक तथा धर्म-निरपेक्ष विरोधी विचारों का मुकाबला करने के लिए क्या कारंवाई की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख), (ग) और (घ) : राष्ट्रीय एकता परिषद् ने वार्षिक पुनर्विलोकन अधिवेशन बुलाने का कोई सुझाव नहीं दिया था किन्तु "परिषद् की सिफारिशों के कार्यान्वयन के क्रम पर निगरानी रखने के लिये" एक स्थायी समिति का गठन किया था । स्थायी समिति ने 26 अक्टूबर 1968, 20–21 मार्च, 1969 और 16 अक्टूबर, 1969 को हुई तीन बैठकों में सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनर्विलोकन किया है । विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति बताने वाला एक विवरण लोक सभा में 13 मार्च, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2841 के उत्तर में सभा पटल पर भी रखा गया था ।

(ङ) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने अन्य के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि किसी साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालयों के अहातों का प्रयोग न किया जाय । इस सिफारिश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों के ध्यान में लाया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने भी राज्य के शिक्षा मंत्रियों को लिखा है । शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न अन्य कारंवाईयों 27 फरवरी, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 895 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये एक विवरण के संलग्न में बताई गई हैं ।

वर्ष 1969 में दिल्ली परिवहन उपक्रम की कार्य हानि

9910. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम ने वर्ष 1969 में एक करोड़ रुपये से अधिक की कार्य हानि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्य प्रणाली के मुख्य पहलू क्या हैं जिनसे राजस्व की यह हानि हो रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उसके मालगोदामों पर जहां बड़े पैमाने पर चोरियां होती हैं और इन गोदामों के प्रति भारी लापरवाही बरती जाती है, कड़े नियंत्रण की व्यवस्था करने का है ; और

(घ) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों में अनुशासन तथा जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए सरकार का विचार सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति खण्ड को हटाने का है ?

M/B(D)9LSS—10(a)

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम कैलेण्डर वर्ष के अनुसार लेखे नहीं रखता है। वित्तीय वर्ष 1969-70 की संख्याएं 105.46 लाख रुपये का कार्यकरण घाटा दिखाती है। तथापि वर्ष के दौरान के कुल घाटे का अनुमान 248.35 लाख रुपया लगाया जाता है।

(ख) घाटे के मुख्य कारण ये हैं--ऊंची कीमतें, करावान में वृद्धि और मंहगाई भत्ते की दरों में बार-बार वृद्धि, इत्यादि। इसके अलावा, बेड़े की बहुत सारी बसें, जो बेड़े का एक बड़ा भाग हैं, बहुत पुरानी हैं और उन का चालन खर्चीला पड़ता है क्योंकि बार बार खराब होने, ट्रिप छोड़ने और अनुरक्षण पर अधिक लागत लगने के कारण उनकी अर्जन-क्षमता कम हो जाती है।

(ग) महा-प्रबंधक डी० टी० यू० के अनुसार टिकिया चोरी बड़े पैमाने पर नहीं होती है और न गोदामों में माल रखने में लापरवाही होती है।

(घ) रोकड़, गोदाम, पास और टिकटों का कार्य करने वाले दिल्ली परिवहन उपक्रम के प्रत्येक कर्मचारी के लिए निष्ठा गारंटी बीमा करना आवश्यक है। उपक्रम के पास इस आवश्यकता को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर में डेविस कप प्रतियोगिता (टाई) में टेनिस गेंदों की सप्लाई

9911. श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच हाल में बंगलौर में डेविस कप (प्रतियोगिता) टाई में प्रयोग के लिये अन्तराष्ट्रीय स्तर के टेनिस बौलों की सप्लाई की पहले कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ;

(ख) क्या आसट्रेलिया की टीम भारत निर्मित गेंदों से जो घटिया दर्जे के समझे जाते हैं खेलने की इच्छुक नहीं थी ;

(ग) क्या इस मैच के लिए ठीक समय पर विमान से उपर्युक्त गेंद भेजने के लिए आस्ट्रलिया को (आपतकालीन) (एस० ओ० एस०) सन्देश भेजने पड़े थे; और

(घ) यदि हां, तो इस अव्यवस्था के लिये जिम्मेवार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अखिल भारतीय लान टैनिस एसोसिएशन ने बंगलौर में होने वाली डेविस कप प्रतियोगिता के लिए इण्डियन रबर मैनुफैक्चर्स लि० कलकत्ता से गेंद देने की व्यवस्था की थी। किन्तु मज़दूरों के साथ झगड़ा होने के कारण कारखाना बन्द कर दिया गया था और प्रयत्नों के वाबजूद कारखाने से गेंदें नहीं भेजी जा सकीं। अतः दोनों टीमें कोयम्बटूर में निर्मित नैनकों गेंदों से खेले।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आपात स्थिति से सुलझने के लिए आस्ट्रेलियाई गेंदें मंगाई गई हालांकि बंगलौर में हुई टैनिस कप प्रतियोगिता में उनका प्रयोग नहीं किया गया।

(घ) ऊपर (क) में दी गई स्थिति के कारण प्रासंगिक नहीं।

Development of Sanctuary in Sawai Madhopur in Rajasthan

9912. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the special provision made or the special scheme included in the Fourth Five Year Plan to develop the Sanctuary in Sawai Madhopur (Rajasthan) and to convert it into a Tourist resort; and

(b) if no such provision has been made, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Toursim and Civil Aviation (Dr. Smt. Sarojini Mahishi) : (a) In view of limited funds, the Department of Tourism has no scheme for the development of the Sawai Madhopur Sanctuary during the Fourth Plan period.

(b) Does not arise.

भारतीय वायु सेना के अधिकारी की मृत्यु की जांच

9913. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने 19 अप्रैल, 1970 को गुड़गांव क समीप पालम सड़क पर हुई भारतीय वायुसेना अधिकारी की मृत्यु के संबंध में जांच कराई है ; और

(ख) यदि-हां, तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) फ्लाइंग अफसर एस० वी० जोशी, 19-4-1970 को गुड़गांव रोड़ पर मृत पाया गया जिसक पास उसका स्कूटर सं० 9957 डी० एल० वी० पड़ा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। शव को शव-परीक्षा के लिय अस्पताल ले जाया गया, मत्यु का कारण किसी भारी गाड़ी से टक्कर हो जाना था। अभी तक दुर्घटना में ग्रस्त गाड़ी अथवा चालक का कोई सुराग नहीं मिला है। मामले की जांच पड़ताल यातायात दुर्घटना दस्ते द्वारा की जा रही है।

भारत के महा-पंजीयक कार्यालय के कर्मचारियों की सेवाओं का स्थायीकरण

9915. श्री देवेन सेन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महा-पंजीयक पदेन मुख्यगणना-आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा केन्द्र में तीन वर्ष से अधिक सेवा वाले कितने प्रतिशत कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी घोषित किया गया है ;

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें कब अर्द्ध-स्थायी घोषित किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) महापंजीकार, भारत के कार्यालय तथा चार राज्य जनगणना कार्यालयों के अनेक कर्मचारी स्थायिवत् घोषित कर दिये गये हैं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3543/70)

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) शेष कर्मचारी, जो स्थायिवत् घोषित किये जाने के योग्य हैं, डाक्टरी परीक्षा, पूर्ववृत्त के सत्यापन इत्यादि जैसी विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा होते ही स्थायिवत् घोषित कर दिये जायेंगे ।

हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गए आरोप

9916. श्री रामकिशन गुप्ता : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के मुख्य मंत्री के बारे में हरियाणा के विधायकों द्वारा राष्ट्रपति को दिय गये ज्ञापन की सरकार ने जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : हरियाणा के मख्य मंत्री श्री बंसीलाल द्वारा दुराचार, अधिकारों क दुरुपयोग इत्यादि के बारे में कुछ आरोपों की जांच किये जाने के लिए हरियाणा के कुछ विधायकों ारा राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन और उस पर मुख्य मंत्री की टिप्पणी विचाराधीन है ।

कुश्ती विकास कार्यक्रम

9917. श्री शिवचन्द्र झा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना के दौरान सरकार ने कुश्ती-विभाग के किसी विशिष्ट कार्यक्रम की योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : चौथी योजना की अवधि में कुश्ती के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना मुख्यत: भारतीय कुश्ती संघ और भारतीय स्टाइल कुश्ती ऐसोसिएशन का कार्य है। सरकार ने कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई है। तथापि दोनों संघों से प्राप्त आर्थिक साहायता की मांगों पर जब कभी भी वे प्राप्त होती हैं। अखिल भारतीय खेल परिषद् की सलाह से विचार किया जाता है और जहां आवश्यक समझी जाती है अपेक्षित आर्थिक सहायता दी जाती है।

पुस्तकों पर प्रतिबन्ध

9918. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ ऐसी पुस्तकों पर जिन्हें पिछले तीन वर्षों में भारत में प्रकाशित किया गया है अथवा बेचा गया है, प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पुस्तकों, उनके लेखकों तथा प्रकाशकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) भारत में प्रकाशित रचना पर सरकार सामान्यत: किस आधार पर प्रतिबन्ध लगाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : बताया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-क के अधीन यह घोषित करते हुए आदेश जारी किये गये हैं कि कुछ प्रकाशन जब्त कर लिये जायेंगे। इन प्रकाशनों के व्यौरे राज्य सरकारों से एकत्रित किये जा रहे हैं और यथा समय सदन के पटल पर रख दिये जाएंगे।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-क के अधीन कोई प्रकाशन जब्त घोषित किया जा सकता है यदि उसमें कोई राज्य द्रोहात्मक सामग्री हो अथवा कोई सामग्री जो भारत के नागरिकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच शत्रुता अथवा वैमनस्य की भावनाएं फैलाती हो अथवा फैलाने का उद्देश्य रखती हो अथवा जो जान बूझकर और विद्वेषपूर्वक धर्म अथवा उस श्रेणी की धार्मिक भावनाओं का अपमान करके किसी ऐसी श्रेणी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का उद्देश्य रखती हो अर्थात् कोई भी ऐसी सामग्री रखती हो जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-क अथवा धारा 153 अथवा धारा 295 के अन्तर्गत दण्डनीय हो।

मैसूर राज्य में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना

9919. **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर हिन्दी प्रचार सभा ने मैसूर राज्य में हिन्दी प्रारम्भ करने की जिम्मेदारी ले ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है और इस विश्वविद्यालय को प्रारम्भ करन के लिये कितन धन का नियतन किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मैसूर हिन्दी प्रचार सभा से, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर में अथवा अहिन्दी भाषी राज्यों के किसी अन्य भाग में, हिन्दी माध्यम का विश्व विद्यालय खोलने के लिये, न तो 1970–71 वर्ष के दौरान और न ही चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष राशि निर्धारित की गई है ।

इत्तागी (मैसूर) का महादेव मन्दिर

9920. श्री स० प्र० अगाड़ी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में रायचूर जिले में इत्तागी का महादेव मन्दिर जो चालुक्य काल की वास्तुकला का सर्वोत्तम नमुना है, के चारों ओर लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पर्यटकों की ओर से भारी मांग है कि इस मन्दिर के निकट अच्छी सड़कें, विश्राम गृह, पर्यटक गृह तथा उद्यान बनाये जाने चाहिये ; और

(घ) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ; तथा प्रावकलन तैयार किया गया है और यदि हां, तो इस कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां । स्थानीय ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा कुछ सहकारी मठों का भी उपयोग किया जा रहा था ।

(ख) भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण अनधिकृत कब्जे को दूर करने के लिए और अतिरिक्त क्षत्र को, जो मिन्दिर के उचित संरक्षण के लिए जरूरी होगा, अधिग्रहण करने के लिए भी जरूरी कार्रवाई कर रहा है ?

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) जरूरी मरम्मत करने तथा समूचे मामले की सामान्य स्थिति सुधारने के लिए प्राथमिक कार्रवाईयां की गयी हैं । स्थल पर उद्यान लगाने की सम्भावना की जांच की जा रही है । मरम्मतों का एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया गया है और इस वर्ष से काम हाथ में ले लिया जाएगा । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटकों को सुविधाएं जैसे विश्राम गृह, सड़कें वगैरह की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क कर रहा है ।

आन्ध्रप्रदेश—मैसूर पर मंत्रालय के निकट मधावरम् पुल का निर्माण

9921. श्री स० अ० अगाड़ी : क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र—मैसूर सीमा पर मंत्रालय के निकट मधावरम् पुल का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह पुल कब तक तैयार हो जायेगा ;

(घ) क्या इस पुल का डिजायन बदलने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या नये डिजायन चुन लिये गये हैं और उनका प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (ङ०) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और वह यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Confirmation of Labourers Engaged on National Highways

9922. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the question of confirmation of the labourers engaged on the National Highways is under consideration of Govt ;

(b) whether it is a fact the U.P. Government have refused to confirm them on the plea that they come under the Central Government jurisdiction; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping & Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) No sir, Labourers are engaged on National Highways by State Govts. acting as executing agencies of Govt. of India which does not engage labourers directly.

(b) Govt. have no such information.

(c) The question does not arise.

जापान के जहाज निर्माण कारखानों द्वारा टैंकरों की सप्लाई

9923. श्री अ० कु० गोपालन :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री राम मूर्ति :

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान सरकार ने अपने जहाज निर्माण कारखानों से कहा है कि वे भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा टैंकरों की सप्लाई के लिये दिये जाने वाले क्रयादेशों को स्वीकार न करें, और (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) :

(क) हमारे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है कि जापान सरकार ने जापान शिपयार्डों को क्या अनुदेश दिये हैं लेकिन तेल-वाहकों के निर्माण के लिये जापान सरकार को साथ देने के लिये की गई प्रार्थना अभी भी उनके विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय टीमों द्वारा एडिनबरा में राष्ट्रमंडलीय खेल-कूदों में भाग लेना

9924. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एडिनबरा में निकट भविष्य में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूदों में भाग लेने के लिये किसी भारतीय दल को भेजा जा रहा है।

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडल के अफ्रीकी सदस्य राष्ट्रों ने ब्रिटेन के जो दक्षिण अफ्रीकी जाति भेद नीतियों के बावजूद दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम का मेजवान है, के खिलाफ विरोध स्वरूप इन खेल-कूदों का बहिष्कार करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत भी "रंग-भेद नीति" के संम्बन्ध में खुद अपनी नीति के अनुरुप अपनी टीम वापस बुलायेगा ; और

(घ) क्या ब्रिटेन स्थित भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों से अतिथि दक्षिण-अफ्रीकियों के विरूद्ध कोई खेल न खेलने का अनुरोध किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ग) सरकार को इस बात की सूचना मिली हैं कि अफ्रीकी देशों की 13, सरकारों ने जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, धमकी दी है कि यदि प्रस्तावित दक्षिण अफ्रीका की पूर्ण खेल क्रिकेट टीम

को इंग्लैंड में एम० सी० सी० के साथ खेलने की अनुमति दी गई तो सभी अफ्रीकी देश राष्ट्रमंडल खेलों का वहिष्कार करेंगे। स्वंय इंग्लैंड में भी बहुत लोग दौरे को रद्द करने के पक्ष में हैं। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए और साथ ही हमारी रंग भेद विरोधी नीति के समर्थन को देखते हुए सरकारने भारतीय ओलम्पिक ऐसोसियेशन को परामर्श दिया है कि वे राष्ट्रमंडलीय अधिकारियों को सूचित कर दें कि यदि सम्पूर्ण-खेल दक्षिण अफ्रीकी इंग्लैंड के दौरे को रद्द नहीं किया जाता तो भारत राष्ट्र-मण्डलीय खेलों में भाग नहीं लेगा।

(घ) जी हां, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

Establishment of Akashvani Vidyalaya

9927. Shri Deorao Patil :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to establish an Akashvani Vidyalaya in India ;

(b) if so, the time by which a final decision will be taken on this proposal and

(c) the details of the proposal ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) (b) & (c) the question of establishment of an open University, where instruction will be given mainly through the Radio and other media of mass communication, is under examination. A possible model is the recentaly established open University in the United Kingdom. Details can be worked out only after the question has been thoroughly examined.

आसाम में सीमा सुरक्षा बल को भेजे गये गुम होने वाले रिवाल्वर

9928. श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि आसाम में अभी नगांव तैनात सीमा सुरक्षा बल के लिये ग्वालियर से भेजे गए रिवाल्वरों में से 6 रिवाल्वर गुम हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में दोषियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) अभी नगांव में 3 रिवाल्वर कम पाये गये जब कि ग्वालियर से भेजे गये रिवाल्वर उस स्थान पर पहुंचे।

(ख) 7 मार्च, 1970 को ग्वालियर से माल भेजा गया था और 5-4-1970 को अमीन गांव में पहुंचा, जब 6-4-1970 को माल की जांच की गई तो 3 रिवाल्वर कम पाये गये।

मामले की जांच पड़ताल के लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है। इस बीच गार्ड कमाण्डर और प्रहरी दल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत रिहायशी पब्लिक स्कूल

9929. श्रीमती गिरिजा कुमारी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा योजना के अन्तर्गत संचालित पब्लिक स्कूलों के नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में ऐसा कोई स्कूल है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या दिल्ली में ऐसे स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) क्या दिल्ली के इन स्कूलों में केवल दिल्ली से चुने गये बच्चों को ही दाखिल किया जायेगा ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) सूची सभा पटल पर रख दी गई है । ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3544/70 । इस सूची में रिहायशी पब्लिक स्कूल तथा दूसरे अच्छे रिहायशी स्कूल शामिल हैं, जो कि इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ;

(ख) जी , हां ।

(1) एअर फोर्स सेन्ट्रल स्कूल, दिल्ली छावनी ,

(2) मार्डन स्कूल, नई दिल्ली ,

(3) मदर्ज अंतर्राष्ट्रीय स्कूल,
श्री अरबिन्दू आश्रम,
दिल्ली शाखा, नई दिल्ली ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत चुने गए बच्चे देश के किसी भी स्कूल में दाखिला प्राप्त कर सकत हैं । छात्रों के लिये स्थान का निश्चय करते समय उनके अभिभावकों की इच्छा को भी ध्यान में रखा जाता है ।

योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत रिहायशी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिए चयन करने का तरीका

9930. श्रीमती गिरिजा कुमारी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री रिहायशी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिये योग्यता छात्रवृति परीक्षा के बारे में 6 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रारम्भिक चयन जिस आधार पर किया जाता है ; उसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या प्रारम्भिक चयन के लिये कोई प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन विषयों पर और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये निर्धारित पाठ्यचर्या क्या है ; और

(घ) अन्तिमरूप से चयन के लिये प्रश्न पत्रों तथा पाठ्यचर्या का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्तियों के उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिये, दिल्ली प्रशासन एक प्रारम्भिक जांच करता है, जिसमें दो पत्र होते हैं एक अंग्रेजी अथवा हिन्दी में जिसे भाषा-पत्र कहते हैं और दूसरा गणित में । 9-10, 10-11 और 11-12 के लिये तीन विभिन्न आयुवर्गों के लिये अलग अलग पर्चे बनाए जाते हैं। चूंकि वे परीक्षायें तीन विभिन्न आयु-वर्गों के उम्मीदवारों की वृद्धि तथा उनके मूल ज्ञान की जांच के लिए कराई जाती है, अतः प्रश्न-पत्रों के बनाने के लिये किसी खास पाठ्यचर्या का अनुसरण नहीं किया जाता है। ये पत्र अधिकतर वस्तुगत पद्धति के होते हैं।

व्यक्तिगत उम्मीदवारों के कार्य के आधार पर, दिल्ली प्रशासन अन्तिम जांच के लिए भारत सरकार को विशिष्ट संख्या में उम्मीदवारों की सिफारिश करता है।

(घ) राज्य सरकारों की सहायता से अखिल भारतीय आधार पर भारत सरकार द्वारा अन्तिम परीक्षा ली जाती है। इसमें तीन लिखित पत्र (सामान्य ज्ञान, गणित तथा भाषा पत्र) एक मनोवैज्ञानिक जांच तथा साक्षात्कार (इन्टरव्यू) होता है। तीनों विभिन्न आयुवर्गों के लिए अलग अलग पर्चे बनाए जाते हैं। ये पर्चे किसी खास पाठ्यचर्या के आधार पर नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि तीनों विभिन्न आयुवर्गों के उम्मीदवारों की बुद्धि तथा उनके सामान्य ज्ञान की जांच करने का इरादा होता है।

विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली में आयोजन तथा वास्तुकला स्कूल को क्षति पहुंचाने के बारे में जांच

9931. श्री रा० बरुआ :

श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विद्यार्थियों के दंगों के कारण दिल्ली में आयोजन तथा वास्तुकला स्कूल को भारी क्षति पहुंची थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उन घटनाओं की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गई है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) वर्ष के सत्रीय कार्य में असन्तोषजनक प्रगति तथा उपस्थितियां कम होन के कारण अंश-कालिक राष्ट्रीय डिप्लोमा वास्तुकला पाठ्यक्रम के पांचवें और छठे वर्ष की कक्षाओं के

23 विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा देने से रोक दिया गया था। इस निर्णय का विरोध प्रकट करने के लिए तथा स्कूल के प्राधिकारियों की सलाह के विरुद्ध में विद्यार्थी हिंसात्मक आंदोलन में लग गए। इन्होंने 15 अप्रैल, 1970 की रात को वास्तुकला विभाग की खिड़कियों के शीशे और बिजली की ट्यूबें तथा कैन्टीन की फिटिंग व अन्य सामान तोड़ डाले। की गई क्षति का अनुमान लगभग 8,100 रुपये है।

स्कूल के गवर्नरज बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति स्थापित की है।

स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों की किस्म तथा स्तर में गिरावट आना

9932. श्री रा० बरुआ : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में स्कूलों के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों की किस्म तथा उनका स्तर बहुत गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्कूलों में उचित स्तर की तथा बढ़िया पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने तथा उन्हें स्कूलों में उपलब्ध कराने के लिय सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क), (ख) और (ग) पाठ्यपुस्तकों की विषय सूची तथा साज-सज्जा-दोनों की ओर देश में सब का झुकाव है। पाठ्य-पुस्तकों की कोटि में प्रगतिशील सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा 1969 में स्कूल पाठ्य-पुस्तकों का एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया गया था। इसने सिफारिश की है कि राष्ट्रीयशिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में एक पाठ्य-पुस्तक विभाग स्थापित किया जाय जो पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण तथा मूल्यांकन के लिए कसौटी निर्धारित करे तथा पाठ्य-पुस्तकों की कोटि में सुधार लाने के लिए साधनों का निर्माण करे। तब से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अधिकतर विषयों के लिए कसौटी कर दी है। परिषद् ने लगभग 50 पुस्तकों का मूल्यांकन भी कर दिया है। बहुत सी राज्य सरकारें अपनी पाठ्य-पुस्तकों के पुनरीक्षण के लिए परिषद् का उपयोग कर रही है। स्कूलों में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य-पुस्तकों के लेखकों, चित्रकारों तथा निर्माण में लगे हुए दूसरे व्यक्तियों के लिए परिषद् का विचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का है। राज्यों में उपयोग में लाई जाने वाली सामाजिक अध्ययन तथा राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए भाषा के विषय पर सभी पाठ्य-पुस्तकों के पुनरीक्षण के लिये परिषद् का विचार एक जोरदार कार्यक्रम अपनाने का है। परिषद् ने स्वंय भी विभिन्न विषयों में माडल पाठ्य-पुस्तकें तैयार की है। बहुत से स्कूल इन पुस्तकों को अपने प्रयोग के लिये अपना रहे हैं।

गंगा नदी में परिवहन सेवाएं चालू करने की योजना

9933. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1968 में किसी समय बिहार सरकार से गंगा में नदी परिवहन सेवायें चालू करने के लिये योजना प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कब इस पर विचार किया गया था ;

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

संसद्-कार्य नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (घ) अगस्त 1968 में बिहार सरकार ने गंगा में नदी परिवहन सेवाएं चालू करने के लिये दो योजनाएं एक पटना और वक्सर (185 कि० मी०) के बीच और दूसरी भागलपुर और कारागोला (70 कि० मी०) के बीच, की ये योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्थापित अन्त-र्देशीय जल परिवहन समिति को भेजी गई/समिति ने जनवरी 1969 में उस राज्य के दौरे के दर्मियान बिहार सरकार के साथ इन योजनाओं पर विचार विमर्श किया। 30 दिसम्बर 1969 को दिये गये अपने अन्तरिम रिपोर्ट में समिति ने वक्सर और फराक्का (712 कि० मी०) के बीच के लंबे टुकड़े में गंगा नदी में नदी सेवाओं को चलाने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिश पर बिहार सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है।

इन्दिरा मार्कीट, नई दिल्ली

9934. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री इन्दिरा मार्कीट, दिल्ली के बारे में 16 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9999 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव को इन्दिरा मार्कीट, दिल्ली के बारे में 17 जुलाई 1969 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उन्होंने इसकी प्राप्ती सूचना 23 जुलाई, 1969 के अपने पत्र द्वारा दी थी : और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं और दिल्ली नगर निगम तथा डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली प्रशासन द्वारा उसकी प्रत्येक मद पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। अभ्यावेदन में निहत मुख्य बातों तथा दिल्ली नगर निगम और दिल्ली के उपायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3545/70]

दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती

9935. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के बारे में अप्रैल 3, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1770 अभ्यर्थियों ने जिन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजे थे उन में से कितने व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया और कितने व्यक्तियों को चुना गया ;

(ख) क्या बहुत से अभ्यर्थियों ने संसद् सदस्यों से इस बात की शिकायत की है कि अब तक केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चुना गया है कि जैसा आरोप है कि जिन्होंने 6000 रुपये की राशि अधिकारियों को दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले को जांच हेतु केन्द्रीय जांच व्यूरो के सुपुर्द किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 129 प्रार्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था और नियुक्ति के लिये उनमें से 40 व्यक्तियों को चुना गया था ।

(ख) संसद् सदस्यों से कोई ऐसी शिकायत किये जाने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्दिरा मार्कीट, दिल्ली में ट्रक तथा कारों आदि को खड़ी करना

9936. श्री जुगल मंडल : क्या गृह-कार्य मंत्री 29 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2774 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक को 27 जून, 1969 का कोई अभ्यावेदन संख्या पी० आर० सी०/43/69 प्राप्त हुआ था तथा उन्होंने इसकी प्राप्ती सूचना 27 जून, 1969 के अपने पत्र संख्या 15542/सी तथा टी द्वारा दी थी ; और

(ख) उक्त अभ्यावेदन में किन-किन बातों का वर्णन है तथा इसकी प्रत्येक मद पर दिल्ली पुलिस ने क्या कार्यवाही की ;

(ग) क्या यह सच है कि इन्दिरा मार्कीट दिन रात ट्रक, कार तथा रेहड़ियों से भरी रहती है और पुलिस की दुकान्दारों से सांठ गांठ होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती; और

(घ) 1 जुलाई, 1969 से 30 अप्रैल, 1970 तक की अवधि में ट्रकों, कारों, रेहड़ियों और हथगाड़ियों को उस मार्कीट में खड़ा किये जाने पर कितने चालान किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

उक्त अभ्यावेदन में वर्णित मुख्य बातें और दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3546/70]

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । उक्त मार्किट के उत्तरी और 6 बजे पूर्वाह्न से 10 बज अपराह्न तक गाड़ियां खड़ी करने पर प्रतिबन्ध है, देखिये जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली का 11-6-65 का एक आदेश । इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों का चालान किया जाता है ।

(घ) यातायात पुलिस द्वारा किये गये चालानों का क्षेत्र-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । किन्तु, बताया जाता है कि उनके द्वारा काफी चालान किये गये हैं । इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान स्थानीय पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में कारों, ट्रकों और रेहड़ियों के 15 चालान किये गये थे ।

दिल्ली में बेहतर सुविधाएं देने के लिये जल, बिजली तथा परिवहन उपक्रमों की योजनाएं

9938. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में परिवहन, बिजली तथा पानी की सप्लाई सम्बन्धी तीन उपक्रमों की योजनाओं को नया रूप देने हेतु किसी योजना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें तथा इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं शीघ्र क्रियान्वित हों ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन तीन उपक्रमों के लिए चालू वर्ष में कितनी धन राशि नियत की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में वर्तमान नगर उपक्रमों के स्थान पर सांविधिक निकायों अर्थात् एक सड़क परिवहन निगम, एक बिजली बोर्ड तथा एक जल आपूर्ति तथा मल निष्काशन बोर्ड के सृजन के प्रश्न की जांच कर रही है ।

(ग) वर्तमान नगर उपक्रमों को ऋण देने के लिए चालू वर्ष के बजट में निम्नलिखित राशियां निर्धारित की गई हैं :

	लाख रुपयों में
दिल्ली परिवहन उपक्रम	200.0
दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम	714.5
जल आपूर्ति तथा मल निष्काशन उपक्रम	409.0

फेराईट का उत्पादन

9939. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने रेडियो तथा दूर-संचार उपकरणों के निर्माण में प्रयोग होने वाले फेराईट नामक विशेष रूप से तैयार किये गये अधात्विक चुम्बकीय पदार्थ का विकास किया है ;

(ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में इस पदार्थ का आयात करता है ; और

(ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रतिवर्ष इसका कितना उत्पादन किए जाने की संभावना है और इससे कितनी देशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ?

M/B(D)9LSS—11

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के ग्रार० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० ने सूचित किया है कि वह लगभग 35–40 लाख रुपये का वार्षिक ग्रायात करते हैं ।

(ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का ग्रपनी प्रायोगिक परियोजना के जरिए व्यावसायिक किस्म के लगभग 200 किलोग्राम फेराईट का उत्पादन प्रति मास करके उसे भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० को देने का विचार है ।

इससे प्रतिवर्ष लगभग 10—12 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने की ग्राशा है ।

Construction of Rest House on Lehkharjong Road

9940. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government would consider a proposal to construct a Rest-house on the Leh-Kharjong Road keeping in view the fact that passengers visiting that difficult terrain have to face a good deal of difficulty in the absence of any facility for taking bath etc. on that road; and

(b) if so, the time by which a Rest-house is proposed to be constructed on the said road ?

The Deputy Minister in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Smt. Sarojini Mahishi) : (a) & (b) The Government of India does not have any such proposal under consideration.

मुंगेर में बन्दूक बनाने वालों के कोटे में वृद्धि

9941. श्री प० ला० बारूपाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रपनी नीति के तहत सरकार नए लाइसेंस देने ग्रथवा बन्दूक बनाने की सीमा बढ़ाने के लिये की गई विभिन्न राज्यों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार को उस के विधि-विशेषज्ञों ने 1967 में यह राय दी थी कि कोटा बढ़ाने की ग्रनुमति देने का ग्रर्थ नया लाइसेंस देना होगा ;

(ग) क्या सरकार ने मुंगेर के एक बन्दूक बनाने वाले समुदाय का, जो 1963 में सीमा से ग्रधिक बन्दूक बनाने का दोषी पाया गया था, कोटा हाल ही में बढ़ाया है तथा बढ़ाने जा रहा है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने हवाई बन्दूकों और हवाई राइफलों को छोड़कर बन्दूक बनाने के लिए नये लाइसेन्स को प्रदान करने को राज्य सरकारों की सिफारिश को नहीं माना है, फिर भी मौजूदा लाइसेंस धारियों को उनके द्वारा पहले प्रदान किये गये कोटे पर पुनर्विचार करने की राज्य सरकार की सिफारिश पर प्रत्येक मामले के गुण दोष को देख कर विचार किया जाता है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ; उस सीमा तक ऐसा अतिरिक्त कोटा स्वीकृत किया जाता है ।

(ग) और (घ) : जी नहीं, श्रीमान् । भारत सरकार ने बिहार में किसी लाइसेंस वाली यूनिटों के बन्दूक बनाने के कोटे में वृद्धि करने के कोई आदेश जारी नहीं किये हैं । फिर भी राज्य सरकार ने मुंगेर में बन्दूक बनाने वालों के कोटे को उस आधार पर पुनः निर्धारित करने की सिफारिश की है जिस आधार पर उनको पहले राज्य सरकार द्वारा कोटे दिये जाते थे । मामला विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के लिए सलाहकारों की नियुक्ति

9942. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की शर्तों, उनके अधिकारों पारिश्रमिक तथा विशेषाधिकारों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से कितने व्यर्थ हैं ; और

(ग) उनके चयन की पद्धति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 19-3-1970 की राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुसरण में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल राज्य के काम-काज को अधिक सुचारु रूप से चलाने के लिए नियम बनाये हैं तथा पांच सलाहकारों की नियुक्ति की है । नियमों के अधीन प्रत्येक सलाहकार को पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ विभाग सौंप दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतियां और नियुक्ति तथा राज्य सरकार द्वारा सलाहकारों को स्वीकृत पारिश्रमिक से संबंधित आदेशों की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी गई हैं । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3547/70]

(ख) दो ।

(ग) सलाहकारों के चयन में प्रशासन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उनके विभिन्न प्रकार के अनुभव तथा विशेषज्ञ-ज्ञान पर उचित ध्यान दिया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता

9943. श्री प्र० र० ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री सरकारी कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता के बारे में 18 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6853 के संबंध में अगस्त 1946 में तत्कालीन गृह विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की एक प्रति तथा रूपांतरण आदेश, यदि कोई हों, सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : तत्कालीन गृह विभाग कार्यालय ज्ञापन सं० 20/50/44–स्थापना (एस०), दिनांक 28 अगस्त, 1946 की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3548/70] कार्यकारी अनुदेश, न कि कोई प्रवृत्त कानून, होने के कारण उसके रूपान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के अन्तर्गत अधिकारियों की पदोन्नति के लिए तालिकाएं

9944. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के उन वरिष्ठ अधिकारियों को जो पदोन्नति के योग्य होते हैं, तालिकायें आवधिक समयावधि में तैयार की जाती है ;

(ख) क्या तालिका में जिन अधिकारियों के नाम होते हैं उनकी रिक्त स्थान होने पर तथा वर्तमान पदों पर पदोन्नति सूची में केवल उनकी वरिष्ठता के अनुसार ही की जाती है ।

(ग) क्या संपत्ति निदेश के पद जैसे पदों का दर्जा बढ़ाने के लिये उच्च अधिकारियों से सम्बन्धित अथवा उन के जानकार कुछ अधिकारी दवाव डालते हैं जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है ; और

(घ) यदि हां, सरकारी व्यय में अधिकतम मितव्ययता तथा निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या पूर्वोपाय करती है अथवा उसका करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : **(क) तथा (ख)** सम्भवत: संकेत निदेशक तथा संयुक्त सचिव के वरिष्ठ पदों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की ओर है । ये वरिष्ठ पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा समेत अखिल भारतीय सेवाओं तथा विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों में से भरे जाते हैं । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए उपयुक्तता सूचियां समय-समय पर तैयार की जाती हैं । उनमें से उनकी नियुक्तियां, जो उपयुक्तता सूचियों में शामिल हैं, किसी विशिष्ठ पद की अपेक्षाओं के लिए विशिष्ठ अधिकारी की उपयुक्तता को ध्यान में रख कर की जाती है ।

(ग) तथा (घ) जी नहीं, श्रीमान् । सम्पदा निदेश का पद, इस पद से संलग्न कार्यों तथा उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वृद्धि के कारण, उन्नत कर दिया गया है और ऐसा कार्यक्षमता के अनुरूप खर्च में मितव्ययता को पूर्णत: ध्यान रखकर किया गया था ।

भारत को रूसी तेल वाहक तटीय जहाजों और माल वाहक जहाजों की बिक्री के बारे में बातचीत

9944-क. श्री चेंगलराया नायडू :

श्री डण्ड पाणि :

श्री मयावन :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी तटीय तेल वाहक जहाजों और माल वाहक जहाजों की बिक्री के सम्बन्ध में बात चीत करने के लिये एक रूसी विशेषज्ञ दल के भारत आने की सम्भावना है ।

(ख) क्या किसी सौदे को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां, जहाजों की बिक्री के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये एक रूसी विशेषज्ञ दल भारत आ गया है ।

(ख) अभी तक किसी सौदे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का स्थानांतरण

9944-ख. श्री सरदार अमजद अली : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नई दिल्ली स्थानान्तरण होना है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के एक वरिष्ठ अधिकारी की भारतीय लोक प्रशासन संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्ति इन दोनों संस्थाओं के लिए हितकर होगी ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार भारतीय लोक-प्रशासन संस्था को वित्त मंत्रालय से अपने अधिकार में लेने का है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्था के निदेशक की नियुक्ति भारतीय लोक प्रशासन संस्था की कार्यकारी परिषद द्वारा जो एक स्वयत निकाय है, और जो यह विचार करने की उत्तम स्थिति में है कि क्या उपयोगी होगा, की जाती है । क्या एक विशेष नियुक्ति राष्ट्रीय अकादमी के लिये हितकर होगी यह सहयोग क एसे प्रबन्ध पर निभर होगा जो दोनों संस्थानों के बीच किया जाता है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नेपाल में नक्सलवादी नेता

9944-ग श्री राम किशन गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि नक्सलवादी नेता, श्री कानू सन्याल अपने प्रमुख सहायकों के साथ पूर्वी नेपाल में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसे भारत वापस लाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसी कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की समाधि के गंगा नदी द्वारा कटाव

श्री अमिय नाथ बोस (आराम बाग) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ;

> "नीमतोला बर्निंग घाट पर गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की समाधि के गंगा नदी द्वारा कटाव और तत्काल उसके नष्ट हो जाने के खतरे के समाचार"

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : गंगा नदी द्वारा कटाव तथा उसके फलस्वरूप गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की समाधि को उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बहुत उत्सुक है कि गुरुदेव की समाधि को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो।

श्री अमिय नाथ बोस : गुरुदेव की समाधि को जिन खतरों का सामना है उनके बारे में 8 मई को बंगाली के समाचार पत्र 'जुगान्तरे' में पूरा ब्यौरा प्रकाशित हुआ है। समाधि की गैर पायदार नीव को देखते हुए वहां पर कोई उचित स्मारक भी नहीं बनाया गया है, न केवल भारत के लोगों के लिए वह एक तीर्थ स्थल है बल्कि विश्व के सभी भागों से लोग वहां पर आते हैं। क्या सरकार इस समाधि को 'राष्ट्रीय चैत्य' का दर्जा देगी ? दूसरे क्या सरकार वहां पर स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से उचित स्मारक बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम अब भी इस समाधि को राष्ट्रीय चैत्य ही समझते हैं और आगे भी ऐसा ही समझा जावेगा। केन्द्रीय सरकार अन्य राष्ट्रीय चैत्यों के संरक्षण के बारे में जो कार्यवाही करती है वह एक समाधि के बारे में भी की जायेगी।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : समाधि के संरक्षण की जिम्मेदारी कलकत्ता निगम अथवा पश्चिम बंगाल सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार पर है। इसके संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियमों के अनुसार इस समाधि की देखभाल का कार्य निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय को करना चाहिए। यह क्षेत्र विशेष कलकत्ता पत्तन न्यास के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। अतः यह बात निश्चित नहीं है कि इस क्षेत्र के रखरखाव का कार्य कौन करेगा। जसा मने पहले बताया सरकार इसको राष्ट्रीय चैत्य का दर्जा देगी और सम्बन्धित मंत्रालय इसकी देखभाल का कार्य करेगा।

श्री के० कृ० दास चौधरी : (कूच–बिहार) : मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि सरकार ने इस समाधि को राष्ट्रीय चैत्य के रूप में देखभाल का कार्य अपने हाथ में लेने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है । मैं सरकार पर शीघ्र निर्णय न लेने का आरोप लगाता हूं । पत्तन आयुक्त इस समाधि की पश्चिमी की ओर की दीवार के संरक्षण के लिए कुछ कार्यवाही कर रहा है । परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि इस सरकार ने गत 23 वर्षों में यह पता लगाने का यत्न नहीं किया कि इस समाधि की क्या दशा है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कितने समय में इस बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लेगी और क्या सरकार गांधी घाट की तरह वहां पर भी गंगा नदी के तट पर एक घाट का निर्माण करेगी ताकि इसको अधिक सुन्दर बनाया जा सके जिससे विदेशों से पर्यटक इस ओर आकर्षित हों ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कटाव के बारे में तथ्य एकत्र किये जा रहे हैं । यदि इसकी कोई उपेक्षा हुई है तो इसके लिए भारत सरकार सहित सभी लोग जिम्मेवार हैं । यह ठीक है कि इस समाधि की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है । हम भविष्य में इस समाधि को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की शान के अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे ।

श्री समर गुह : यह समाधि न केवल भारत के लोगों के लिए ही एक तीर्थस्थान है बल्कि सारे विश्व से लोग यहां पर आते हैं । आनन्द बाजार पत्रिका के स्वर्गीय श्री सुरेशचन्द्र मजुमदार ने एक समिति बनाकर गुरुदेव की समाधि के संरक्षण की ओर कलकत्ता निगम, पश्चिम बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था । क्योंकि प्रत्येक वर्ष मानसून में गंगा नदी के कटाव से इसको खतरा उत्पन्न हो जाता है । इस समाधि पर उचित स्मारक बनाने की ओर भी उन्होंने केन्द्रीय सरकार तथा अन्य अधिकरणों का ध्यान आकर्षित कराया था ।

महात्मा गांधी तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू सदा इनको गुरुदेव कह कर सम्बोधित करते थे । गुरुदेव वर्तमान प्रधान मंत्री को प्रियदर्शिनी कहकर पुकारा करते थे । मेरे विचार में उनको स्वयं सभा में उपस्थित रहना चाहिए और सभी सम्भव सहायता देनी चाहिये थी । इस वर्ष मानसून में समाधि को पुनः खतरा उत्पन्न होने तथा उसके बह जाने की सम्भावना है । क्या सरकार इस बात का पता लगाने कि समाधि का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है वहां पर कोई दल भेजेगी ? दूसरे वहां पर उचित स्मारक बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने बहुत मूल्यवान सुझाव दिए हैं । मुझे आशा है कि पत्तन आयुक्त जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत यह क्षेत्र आता है इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करेगा । स्मारक बनाने का कार्य निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय का है । मुझे विश्वास है कि यह कार्य शीघ्र ही किया जायेगा ।

श्री समर गुह : क्या इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर लेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कार्य केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा ही किया जाता है ।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3519/70]

(2) भारतीय खान स्कूल, धनबाद, के वर्ष 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3520/70]

(3) (एक) प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, के वर्ष 1967–68 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3521/70]

केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान का वर्ष 1968-69 का प्रतिवेदन

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : I beg to lay on the table a Copy of the report in regard to the activities in the year 1968-69 of Central Institute of English, Hyderabad and also audited accounts. [Placed in the library See No. LT. 3522/70]

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1970

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 633 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय वन सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 11 अप्रैल 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 603 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3524/70]

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 635 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3525/70]

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन), 1954, का 1970 का चौथा संशोधन, दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 636 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3526/70]

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का तीसरा संशोधन, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 637 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3527/70]

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1970, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 652 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3528/70]

(छ) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970 जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 653 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3529/70]

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का पांचवा संशोधन, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 654 में प्रकाशित हुआ था। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2531/70)

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम 1970, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 655 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3532/70]

बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत परादीप पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे ।

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत परादीप पत्तन न्यास के 1 नवम्बर, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक की अवधि के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3533/70]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL'S AND RESOLUTIONS MINUTES

श्री स्वैल (स्वापन्हशासी जिले): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई बैठकों (58वीं से 64वीं) के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से आया निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा 6 मई, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि 1 मई, 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की लोक लेखा समिति से सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाये और राज्य सभा ने अपने निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी भेजे हैं जो उक्त समिति के लिये निर्वाचित हुए हैं —

(1) श्री एस० बी० बोबडे

(2) श्री बांका बिहारी दास

(3) श्री पी० सी० मित्र

(4) श्री निरंजन वर्मा

(5) श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

(6) श्री तिल्लई विलल्लन

(7) श्री शील भद्र याजी

(दो) कि राज्य सभा 6 मई, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि 1 मई, 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी

समिति से सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से पांच सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाये और राज्य-सभा ने अपने निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी भेजें हैं जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं—

(1) श्री सईद अहमद

(2) श्री बालचन्द्र मेनन

(3) श्री डाह्याभाई वी० पटेल

(4) श्री बी० सी० पट्टनायक

(5) श्री कोटा पुन्नैया

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् के दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1970 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 18 मई, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायगा —

(1) आज की सरकारी कार्यसूची में शेष रही पद पर विचार

(2) विचार तथा पास करना :

भारतीय सैनिक (मुकदमेबाजी), संशोधन विधेयक, 1969 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में । स्थल सेना, वायु सेना, तथा नौ सेना विधि (संशोधन) विधेयक 1969 ।

(3) संशोधन के लिये निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार :

विदेशी मुद्रा विनियमन (नाम का प्रकाशन) नियम 1970 में रुप भेद के लिए श्री निवास मिश्र द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा ।

बीमा (संशोधन) नियम, 1969 में रूप भेद के लिए श्री मधु लिमय द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा ।

श्री एन० के० पी० साल्वे द्वारा 16 मई, 1969 को अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 में रुप भेद के लिए ेश किये गये प्रस्ताव पर चर्चा ।

(4) सीमा शुल्क टैरिफ, विधेयक 1969

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 16वें, 17 वें, और 18वें प्रतिवेदनों तथा अस्पृश्यता और अनुसूचित के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास संबंधी इलायापेरूमल समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा

(6) मद्यनिषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा

(7) तेलंगाना के मामले सोमवार 18 मई, 1970 को 3 बजे म० प० पर चर्चा

(8) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यचलन पर सरकार समिति के प्रतिवेदन पर मंगलवार, 19 मई, 1970 को 3 बजे म० प० पर चर्चा

(9) देश में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर बुधवार, 20 मई, 1970 को 5 बजे म० प० पर आगे चर्चा

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए ।

Some Hon. Members Rose.

श्री समर गुह : सरकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार की मद के बारे में, मेरे विचार से प्रधान मंत्री ने ही सरकार समिति पर लांछन लगाया है क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास परिषद को आदेश दिया कि हैदराबाद अनुसंधानशाला के विषय में नई जांच की जाय ... (**व्यवधान**)

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं, वह इस प्रकार बोले जा रहे हैं . . . (**ग्यवधा**) । यह खेद का विषय है कि जब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता के अन्तर्गत बनायी गयी समिति पर इस प्रकार प्रहार किया गया है । समिति के विषय में जो लोग व्यर्थ की बातें करते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये । जो कुछ हमारे मन में आता है क्या वह सब कुछ हम सदन में कह सकते हैं, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री पीलु मोदी : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी के मत से पूर्णतया सहमत हूं ।

Shri Madhu Limaye : The list of bussiness announced by the hon. Minister has been prepared either to please everybody or to extend the session by 10 days more, otherwise, we cannot discuss all the subjects mentioned therein. The discussion on communal disturbances should be given priority and considered in details, there must also be a discussion about the working of C.S.I.R.

श्री स० कुन्दु : श्रम संविदा विधेयक का क्या हुआ ? श्रमिकों की समस्यायें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं । दिल्ली के होली फेमिली होस्पिटल के अन्दर 30 दिन से हड़ताल चल रही है । मजदूरों के एक प्रतिनिधि वहां के प्रबन्धकों से मिलने गये और उनको "भारतीय कुत्ते बाहर निकलो" कहकर अपमानित किया गया । इस सम्बन्ध में 31 संसद् सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को

लिखकर भी दिया है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में जानकारी देने के लिये कहा जाना चाहिये। पुलिस को भी यह सूचना दी गई है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। गृह-मंत्री को इस विषय में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं भी श्री कुन्दु का समर्थन करता हूं, गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये। हमें 'भारतीय कुत्ता' कहा गया है। वित्त मंत्री को केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली आन्तरिक सहायता (Interim Relief) के विषय में एक वक्तव्य देना चाहिए। प्रतिरक्षा मंत्री को भी कपड़ा मिलों में आंतरिक उत्पादन के विषय में एक वक्तव्य देना चाहिये। कानपुर जैसे अन्य और स्थानों पर हड़ताल के नोटिस दिये गये हैं। कृपया मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में बतायें कि स्थिति क्या है।

डा० कर्ण सिंह : भूत पूर्व सैनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा संस्थाओं में जो आरक्षण किये गये थे वे समाप्त कर दिये गये हैं या समाप्त किये जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha : No mention has been made regarding the discussion on fourth Five Plan in the list of bussiness for the next week. I had already anticipated that the Government is delaying this discussion. Before the session ends this should at least be made a mention of that by what time there will a discussion in the house about the fourth five year plan.

श्री नम्बियार : रेल मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये। कल ही उन्होंने कहा था कि दक्षिण रेलवे के फायरमैनों की हड़ताल के विषय में वह वक्तव्य देंगे परन्तु अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

Shri Guna Nand Thakur : There was a seven cyclone in North Bihar on 24-7-70 and consequently near about 50 people died on the spot, the people of Kishanpur, Morena, Mirwallii, Pipra, Tiriveni Ganj, Raghpur and Chhatarpur in Saharsa district of North Bihar are facing a grave situation. Central Government should take care of such a serious situation with a view to provide relief to the people.

I would also like to ask that thousands of people have gone unemployed due to illegal closure of Dhubhi Colliery in Dhanbad district...

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें किसी अन्य चर्चा के लिये अनुमति नहीं दी जा रही है।

Shri Ram Sewak Yadav : I would like the hon. Minister to make a statement about the distinction of sugarcane in Uttar Pradesh and Bihar. In these states the sugarcane is not being accepted in Sugar factories hence the sugarcane crop is still in the fields.

श्री एस० कण्डप्पन (मैट्टूर) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अब सभा के पास स्थगित होने से पूर्व जो थोड़ा सा समय शेष है, उसमें किन-किन मदों को लिया जायेगा?

क्या सरकार दक्षिण रेलवे में हो रही हड़ताल के बारे में कोई वक्तव्य देगी ? सरकार को उक्त हड़ताल को टालने के लिए कोई कार्यवाही करनी चाहिए । क्योंकि हड़ताल से गाड़ियों के आने जाने में देरी होती है और यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मुझे भी यह आशा थी कि मंत्री महोदय इस सम्बंध में एक वक्तव्य देंगे । हम इस हड़ताल के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हैं । रेलवे मंत्री को इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री म० ल० सोंधी : (नई दिल्ली) : मेरा अनुरोध है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से सम्बन्धित सरकार समिति का प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये । दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि नई दिल्ली की समस्याओं की अवहेलना न की जाये । नई दिल्ली में पानी के अभाव की समस्या को हल किया जाये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : (Ujjain) : May I know the dates on which the report submitted by the committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Bill will be discussed in the House. I would also like to know whether the period of the session will be extended in order to have a discussion on it during this session.

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : हड़ताल लगभग एक हफ्ते से चल रही है । सरकार उसे समाप्त कराने के लिये कुछ भी नहीं कर रही है । आपके कहने के बावजूद रेलवे मंत्री ने वक्तव्य नहीं दिया ।

Shri Ramavtar Shastri : (Patna) : I would like to know whether Government propose to bring any bill regarding the abolition of Legislative Councils in States in view of the fact that Bihar State Assembly and Uttar Pradesh Assembly have already passed resolution in this regard.

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : मैंने कल आपसे समय मांगा था क्योंकि मेरे दल पर जो आरोप लगाया गया था, मैं उसका खंडन करना चाहता था । मंत्री महोदय ने जो सभा क कार्य सम्बन्धी घोषणा की है, उससे इस ओर कोई संकेत नहीं है । मुझे समय कब दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जायेगा । उसके द्वारा उक्त विषयों लिए जो समय निर्धारित किया जायेगा, आपको बोलने के लिए समय दिया जायेगा । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार को पुनः होगी, जिसमें इन सब बातों पर विचार किया जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : A reference to the increase of Rs. 6/- in the prices of rationed wheat was made in the Business Advisory Committee and it was also suggested that time should also be allotted for discussion on this issue. Neither short Notice Question nor the calling Attention Notice was allowed on this subject. So I request you to allow half an-hour discussion on this subject in order to give an opportunity to have discussion on it.

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में स्वयं आपने यह मत व्यक्त किया था कि बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार को एक 'श्वेत पत्र' तैयार करना चाहिये। क्या सरकार ने वह सुझाव मान लिया है यदि हां, तो सरकार तत्सम्बन्धी 'श्वेत-पत्र' कब सभा के सामने लायेगी ? यदि सरकार ने उस प्रस्ताव को नहीं माना है तो उस विषय पर चर्चा की अनुमति आप कब देंगे ?

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Speaker, I would like to know the time when the resolutions regarding abolition of State Legislative Council, passed separately by the Bihar and Uttar Pradesh State Assemblies, will be taken up for discussion in this House.

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : राजस्थान में अकाल की भयंकर स्थिति पर चर्चा के लिए भी समय दिया जाना चाहिये। पाली, नागपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में तो पेय जल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The farmers are setting fires to their sugarcane crop still standing in their fields. Sugar mills are going to close and crushing season has also ended. It is an injustice with the farmers. In view of it, I like, that this situation should also be discussed in this House.

Shri Ram Charan (Khurja) : Only 5 hours have been allotted for the discussion on three reports of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Perumal Committee's report. I request that this time should be doubled.

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : मैंने कार्य के बारे में जो घोषणा की थी, उसके बारे में सदस्यों की गलत धारणा बन गई है। वे सोच रहे हैं कि यह कार्य बहुत अधिक समय लेगा। किन्तु सभा के सहयोग से यह पूरा कार्य केवल $14\frac{1}{2}$ घंटे में पूरा किया जा सकता है। जहां तक विभिन्न विषयों पर सम्बद्ध मंत्रियों द्वारा वक्तव्य देने की बात है, उन्हें सदस्यों की इस मांग से अवगत करा दिया जायेगा।

दिल्ली में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के विषय से सम्बद्ध अल्प सूचना प्रश्न को मंत्री महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी है। जहां तक सरकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार का सम्बन्ध है, मंगलवार 19 मई को उस पर विचार किया जायेगा। जहां तक योजना का सम्बन्ध है, तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सत्र समाप्त होने से पूर्व ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विधान परिषद् को समाप्त करने से सम्बन्धित प्रस्ताव बिहार राज्य से प्राप्त हुआ है और जैसा कि विधि मंत्री ने कहा था कि उस पर विचार किया जायेगा। श्री हुकम चन्द कछवाय ने जो प्रश्न उठाया था उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि वह विधेयक अगले सत्र में लाया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संशोधन विधेयक—जारी

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब उस विधेयक पर खंडवार चर्चा की जायेगी।

खंड 2–(धारा 5 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"from among the" [में से] के स्थान पर "from among persons who are at the time when they are chosen as members," (उन लोगों में से जो इस समय होते हैं जबकि वे चुने जाते हैं) रख दिया जाये। (4)

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 13 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"(2) The chairman shall be chosen from among persons who are not officers of the Central Government or of any State Government" [अध्यक्ष उन लोगों में से चुना जायेगा, जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न होंगे।] (13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 1,—

"(2) The members" [सदस्यों] के स्थान पर के "The other members [अन्य सदस्य] रखा जाये (14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,—

"(3)" के स्थान पर "(4)" रखा जाये। (15)

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—

"(4)" के स्थान पर "(5)" रखा जाये। (16)

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"Officers" or [या अधिकारियों] को निकाल दिया जाये।

Shri Shiva Chandra Jha : I want that on page 2, line 16, "or who are distinguished journalists" may be inserted after "distinctions". If there are representatives of industrialists, businessmen and agriculturists, there must be representatives of journalists too in the University Grants Commission Press, the fourth estate, i.e., journalists should not be ignored in the sphere of education. So I want to emphasize that journalists should have their representation in University Grants Commission. I request the hon. Minister to accept my amendment.

Shri Ramavtar Shastri : Mr. Speaker, as regards my amendment No. 10, I want to say that Officers should be chosen only from the Ministry of Education and Youth Services and not from other departments. As regards my amendment No. 11 I want to say that the words "Officers or" should be omittted so that all the five members may be chosen from among the teachers and other officers of the University. These people will be in a position to solve the problems facing the Universities in the better way.

डा० वी० के० आर० वी० राव : श्रीमान्, मैं श्री शिवचन्द्र झा के संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि वे "अन्य ज्ञान पर आधारित व्यवसायों" में आ जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जाने-माने पत्रकारों की आयोग में नियुक्ति में कोई बाधक नहीं होगा, यदि उन्हें अन्य सभी अर्हताएं प्राप्त होंगी । श्री शास्त्री के पहले संशोधन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं क्योंकि इस समय आयोग में एक अधिकारी शिक्षा मंत्रालय से लिया जाता है और दूसरा वित्त मंत्रालय से । यह व्यवस्था अब तक लाभदायक रही है। हां, उनके संशोधन संख्या, 11 को मैं स्वीकार करता हूं ।

अपने संशोधन संख्या 13 से 16 के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे माननीय सदस्यों की उन इच्छाओं को ध्यान में रखकर लाये गये हैं जो उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान व्यक्त की थी । इनमें से कुछ संशोधन तो केवल स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि सभा मेरे इन सभी संशोधनों तथा संशोधन संख्या 11 को स्वीकार कर ले।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"from among the" [में से] के स्थान पर "from among persons who are at the time when they are chosen as members," [उन लोगों में से जो उस समय होते हैं जबकि वे चुने जात हैं] रख दिया जाये। (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5, मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 5 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"Officers or" [या अधिकारियों] शब्द निकाल दिय जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

M/B(D)9LSS—12

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 13 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"(2) The Chairman shall be chosen from among persons who are not officers of the Central Government or of any State Government." [अध्यक्ष उन लोगों में से चुना जायेगा जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न होंगे ।] (13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 1,—

"(2) The members," [सदस्यों] के स्थान पर [अन्य सदस्य] रखा जाये" "The Other Members," (14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,—

"(3)" के स्थान पर "(4)" रखा जाये । (15)

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—

"(4)" के स्थान पर "(5)" रखा जाये । (16)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended. was added to the Bill.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 7 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक–जारी

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMMENDMENT) BILL—*contd.*

खंड 3, (धारा 6 में संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक के खंड 3 पर चर्चा करेंगे।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 6, 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये चार संशोधन सभा के सामने हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Mr. Speaker, it has been stated in the Bill regarding the term of chairman and that of the members of V.G.C. that "a person who has held office as chairman shall be eligible for further appointment as chairman or other member". I would like the term "eligible" to be replaced by the term "ineligible". The members should also be ineligible for holding the office for a second term. It has been further stated in the Bill that "so, however, that in either case, a person who has held office for two terms, in any capacity, whether as chairman or other member shall be ineligible for any further appointment as chairman or other member". The chairman as well as member should hold office only for one term and that too comprising of three years. The corruption and favouratism is prevalent in all the Departments at all levels*. When an officer holds an office for two or more than two terms, the situation gets worse. It may be argued that if a member holds an office for two terms, he would be able to gain more experience and would be able to discharge his functions more efficiently. If you want to do away with the corruption prevalent in the universities, my amendment for having only one term for the chairman as well as members should be accepted.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : श्री शिव चन्द्र झा का दृष्टिकोण यह है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे कार्य : काल के लिए अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, जब सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब उसकी उम्र 56 या 60 वर्ष होती है। अगर वही व्यक्ति दूसरे कार्यकाल में भी नियुक्त किया जाता है, तो उसकी उमर तब तक 65 या 70 वर्ष तक हो सकती है। इतनी अधिक उमर के व्यक्तियों को, चाहे वे कितने ही महान् क्यों न हों, इतने अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। हमारे देश में काफी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हैं और उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त कार्यकाल के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति से, वे अपने कार्यों और दायित्वों का अधिक अच्छा संचालन कर सकेंगे। कार्य-काल बढ़ाते समय प्रत्येक बार यही तर्क प्रस्तुत किया जाता है। मन्त्री महोदय का उत्तर सुनने के पश्चात् संशोधन के बारे में अपना मत निर्धारित करूंगा।

Shri Ramavtar Shastri : Mr. Deputy Speaker, my amendment relates to the last line on page 2 where it has been stated that "(*a*) In the case of chairman, hold office for a term of five years; and (*b*) In the case, of any other member, hold officer for a term of three years."

We all want to bring about socialism, in the country, but in practice the situation is different. The term of chairman is being fixed as five years, whereas the term for a member is being fixed as three years only. The term for chairman as well as members should be equal, otherwise there may be wide-spread discontentment among the members of the commission, who may be, more or less, equally qualified. I, therefore, like to move an amendment that the term of members as well as the chairman should be three years. This would also enable us to move towards the goal of socialism. There should not be monopoly of a few persons in any field. New talents should be encouraged.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : (खड़े हुऐ) . . .

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पूर्व कि श्री भट्टाचार्य अपना भाषण करें और मन्त्री महोदय उत्तर दें, मैं इस खण्ड पर अपने संशोधनों पर श्री झा द्वारा व्यक्त किये गये अभिमतों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे हिन्दी नहीं आती, परन्तु मुझे बताया गया है कि उन्होंने कुछ आरोप लगाये हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह खेद जनक है। इस प्रकार का अतिरिक्त वक्तव्य मेरे विचार में उचित नहीं है, मैं श्री झा से अनुरोध करता हूं कि वे अपने शब्दों को वापस ले लें।

श्री शिव चन्द्र झा : आपको हिन्दी नहीं आती इसलिये मैं अंग्रेजी में बोल रहा हू आपने चूंकि यह मामला उठाया है, इसलिये मैं इस प्रश्न के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता।*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिए। यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री शिवचन्द्र झा : **

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना सहयोग चाहता हूं। आपने जो कुछ कहा वह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री शिवचन्द्र झा : **

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यव ही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया है।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : संस्कृत में भाषण दिया। *

डा० वी० के० आर० वी० राव : महोदय, जहां तक मेरे माननीय मित्र, श्री शिवचन्द्र झा द्वारा पेश किये गये संशोधनों का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय और सदस्यों के पद की अवधि एक कार्यकाल तक ही रखी जाय, मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा कर सकता। (व्यवधान) मैं संस्कृत का समर्थन करने को तैयार हूं। . . . .संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस के ऊपर हम सभी को गर्व है।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही/वृतान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

*सदस्य महोदय ने अंग्रेजी अथवा हिन्दी में, अपने भाषण का अनवाद प्रस्तुत नहीं किया।

*The members did not furnish the translation in Hindi or English of his speech.

संशोधनों पर बोलते समय, श्री नम्बियार सरकार के निर्माण के पीछे तर्क के बारे में जानना चाहते थे। मैं इस बात को जानता हूं कि देश में पर्याप्त प्रतिभा है, परन्तु मुझे यह भी पता है कि सिद्धांत और व्यवहार तथा वास्तविकता में अन्तर हुआ करता है।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं यह नहीं कहता कि प्रतिभा की खोज नहीं होनी चाहिए। सरकार में भी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति होने चाहिए।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं सरकार और पार्टी दोनों में ही प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों के प्रवेश का समर्थक हूं। परन्तु वास्तविक कारण यह है कि अगर एक ही कार्यकाल के लिये व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे, तो कम आयु के व्यक्ति मिल सकना मुश्किल होगा। अगर नियुक्ति एक ही कार्यकाल तक सीमित होगी, तो 50 अथवा 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस पद पर अपनी नियुक्ति के लिये सहमत नहीं होगा, क्योंकि उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अपने कार्यकाल के बाद उसके सामने कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। देश में यह सामान्य विचारधारा है कि महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कम आयु के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय।

दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप ही अध्यक्ष के पद पर अनेक कार्यकाल के लिये नियुक्त नहीं रह सकता। उसको दूसरे कार्यकाल के लिये तभी नियुक्त किया जायेगा, अगर वह विश्वविद्यालय-समन्वय की दृष्टि से अपने दायित्वों और कार्यों का पालन अच्छी तरह से करता है।

मेरे मित्र, श्री झा ने भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया। देश में भ्रष्टाचार हो सकता है, परन्तु सौभाग्यवश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भ्रष्टाचार की गंध तक नहीं है। अगर अध्यक्ष की सेवाओं को हम अच्छा पाते हैं, तो हमें उसे दूसरे कार्यकाल के लिये अवसर देना चाहिए।

अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक व्यक्ति हैं। जब अध्यक्ष की अधिक से अधिक दस वर्षों तक के लिये नियुक्ति हो सकती है, तो सदस्यों को भी छः वर्षों के लिये अवसर देना चाहिए। सदस्य भी स्वतः दूसरे कार्यकाल के लिये नियुक्त नहीं हो जाते। अगर कोई सदस्य उत्साही है, तो उसकी सेवाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए। अतः संशोधनों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

जहां तक समाजवाद का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि श्री रामावतार शास्त्री और मेरे बीच एक सार्वजनिक वाद-विवाद होना चाहिए कि समाजवाद क्या है। अध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी है और सदस्य अवैतनिक पदाधिकारी है। असमानता का कोई प्रश्न ही नहीं है। अध्यक्ष का कार्य समन्वय करना होता है और अध्यक्ष के पद पर हम क्रमबद्ध चाहते हैं। इसी कारण अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 और 8 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 7 and 8 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 12 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 3, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3. was added to the Bill

खंड 4 (धारा 12 में संशोधन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 31,— "1968" के स्थान पर "1970" रखा जाये। (3)

(डा० वी० के० आर० वी० राव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 4, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended was added to the Bill

खंड 5 (नई धारा 27 का जोड़ा जाना)

खंड 6, (अस्थायी उपबन्ध)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 5 और 6 विधयक के अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

खंड 1 (संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, —

"1968" के स्थान पर "1970" रखा जाये । (2)

(डा० वी० के० आर० वी० राव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"Nineteenth" (उन्नीसवें) के स्थान पर Twenty first" "(इक्कसिवां) रखा जाये । (1)

(डा० वी० के० आर० वी० राव०)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधन रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया :

The title was added to the Bill.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रुप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाये ।

Shri Sheo Narain (Basti): Mr Deputy Speaker, this Bill has been passed by the Upper House. It is a very good Bill. I hope that our government will accept all the recommendations made by the University Grants Commission. Dr. Rao has done a very good thing by allowing the private candidates to appear, in the university examinations. I also hope that our Education Minister Dr. Rao will meet all the demands of the teachers.

Sir, I request the Education Minister that he should fully implement the provisions of this Bill, after it is passed, without party distinction and without any interference, so that the students and the teachers both may be pleased. With these words I support the Bill.

श्री क० प्र० सिंह देव : (ढेंकानाल) : में शिक्षा-शास्त्री या शिक्षक नहीं हूं। अतः मैं सामान्य व्यक्ति की भांति इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । सबसे बड़ी चिन्ता मुझे इस बात की है कि छात्रों में असंतोष और अनुशासन हीनता बढती जा रही है।

कुछ राज्यों की ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ध्यान नहीं दिया है और वहां शिक्षा की स्थिति बहुत अधिक सोचनीय है। बिहार ऐसे ही राज्यों में से एक है। उच्च शिक्षा के मामले में बिहार में गत 18-20 वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया है। बिहार में इस समय तीन विश्वविद्यालय हैं। उनको कालेजों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण से छात्र कालेजों में न जाकर अपनी उचित मांगों के समर्थन में गलियों में प्रदर्शन करते फिरते हैं । शिक्षा प्राप्त करने में जो सुविधाएं सहायक होती हैं वे तो छात्रों को मिलनी ही चाहिए। छात्रों की सृजनशील शक्ति को देश की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए । शिक्षा शास्त्रियों का यह कर्त्तव्य है कि वे विश्वविद्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें छात्र सुविधा पूर्वक अपना अध्ययन पूरा कर सकें । क्योंकि इन बातों की आड़ में ही राजनीतिक दल छात्रों को राजनीति में घसीट लाते हैं। अतः छात्रों की समस्याओं समाधान तत्काल किया जाना चाहिए।

श्री एस० कंडघन : (मैट्टूर) : पहली बात मैं सामान्य लिपि के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रायः यह सुना जाता है कि सरकार भारत की सभी भाषाओं के लिये एक लिपि ला रही है। शिक्षा मंत्रालय ने एक ऐसी लिपि तैयार भी की थी। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि पहले उन भाषाओं के लिये, जो कुछ-कुछ मिलती जुलती हैं, ऐसी लिपि का प्रयोग किया जाये और फिलहाल तमिल जैसी भाषाओं को इस योजना में सम्मिलित न किया जाये, क्योंकि वह द्रविड़ परिवार की भाषा है जो आर्य परिवार की संस्कृत आदि भाषाओं से बिल्कुल भिन्न है। केवल कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। सामान्य लिपि की शुरुआत भी की जानी चाहिए। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिल भाषा को सरकार उचित मान्यता दे, क्योंकि वह भी संस्कृत की भांति एक श्रेष्ठ भाषा है। यूनेस्को ने तमिल को मान्यता दे रखी है। यूनेस्को ने यह सुझाव दिया था कि वह मद्रास में तमिल भाषा के लिये एक अनुसंधान केन्द्र खोलना चाहते हैं। इस सुझाव के बारे में क्या हुआ ? माननी मंत्री से अनुरोध है कि वह तमिल को समुचित महत्व प्रदान करें। भारत की मिली-जुली संस्कृति की रुप रेखा तैयार करने के लिये भी तमिल का अध्ययन जरुरी है ।

श्री रा० डो० भण्डारे :(बम्बई मध्य): मैं इस योजना का समर्थक नहीं हूं कि विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं म छात्रों को बिना कालेज में दाखिला लिए बैठने की अनुमति दी जाये। यदि यह

योजना शुरू ही करनी है तो यह पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उन लड़कों के लिए होनी चाहिए जो अन्य घरानों के हैं, जिनका वातावरण प्रारम्भ से ही शिक्षा के अनुकूल रहा है। यदि पिछड़ी जाति के छात्रों ने इस योजना का स्वागत किया और इसे अपनाया तो उन्हें ही हानि होगी। मैं तो इस बात पर बल देता हूं कि पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिये राज्यों को शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध करना चाहिए। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ishag Sambhali (Amroha): Sir, more powers are being given to University Grants Commission through this Bill. I do not mind if U.G.C. becomes more powerful, but I would like that government should pay attention to the way of working of this Commission. U.G.C. did nothing on the representations sent to it against the orders of Magadh University prohibiting the students to answer their questions in examination through the medium of Bengali, Urdu and Oriya. Similarly the Commission took no heed of the Urdu library of Magadh University, which was set on fire. One more thing that Urdu language is being denied its equal status. I request the Minister to pay attention to this fact and the injustice being met to Urdu in this respect should be removed.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): As the University grants Commission enjoys financial powers and it has its impact on all the universities, it can be moved bring about desired changes in the set up of various universities. I would like to know whether there are still such rules in some universities that a man who gives one lakh rupees in donation to any university, will be life-long member of the senate of that university, if so, how long this practice will continue. May I know the steps taken by government to put an end to the influence of rich people on universities or academic institutions? Is the Minister aware that on the universities including the Delhi University America is leaving its educational and cultural impact; if so whether the Minister will be given an assurance that no such interference by America or U.S.S.R. will be allowed in educational and cultural sphere. May I also know whether government propose to take such action through U.G.C. as will facilitate the participation of students' unions in management of universities?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, इस विधेयक के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं, मैं उनके बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में व्यक्तिग प्रत्याशियों को बैठने की अनुमति देनेका सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में इसी सत्र में विधेयक पारित हो जायेगा। जहां तक शिक्षकों के कल्याण का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के वेतन मान में संशोधन करने का प्रयास किया है। इस दिशा में प्रयास अवश्य किया जा रहा है। हां, उसे पूर्णत: संतोषजनक नहीं माना जा सकता। शिक्षाकों ने कल्याण के लिए शिक्षक प्रतिष्ठान बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। यह प्रतिष्ठान प्रत्येक राज्य में होगा और उसे कुछ केन्द्रीय सहायता भी दी जायेगी।

उड़ीसा से सम्बन्ध प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विचार किया है और उसे सम्बन्ध विश्वविद्यालय और राज्य को भेज दिया है। अन्य राज्यों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों के मामले

में भी ऐसा ही किया जाता है। मैं यह पता भी लगा ऊंगा कि स्वयं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस सम्बन्ध में क्या करता है।

जहां तक सामान्य लिपि का सम्बन्ध है, मैंने यह सुझाव कभी नहीं दिया कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि तैयार की जाये। मैंने तो उस सामान्य लिपि के बारे में वकालत की थी जो अतिरिक्त लिपि के रूप में काम में लाई जायेगी और भारतीय भाषाओं को पढ़ने या सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होगी ।

मैं श्री भण्डारे की इस बात से सहमत हूं कि व्यक्तिगत प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने को शिक्षा में सुधार नहीं कहा जा सकता। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में हमने यह उचित समझा कि ऐसा निर्णय किया जाये। मैं श्री कण्डघन को यह बताना चाहता हुं कि तमिल नाडु में अन्तराष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में यूनेस्को की ओर से कोई भी प्रस्ताव अभी तक हमें नहीं मिला है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि तमिल में अनुसंधान के लिये जितनी सहायता या सुविधा हम अपने सीमित साधनों से कर सकते हैं, उतनी अवश्य करेंगे। तमिल को उसका उचित दर्जा देने के लिए कार्यवाही की जायेगी। जहां तक उर्दु का सम्बन्ध है, उर्दु एक महत्वपूर्न भाषा है। यह अखिल भारतीय स्तर की भाषा है। इसका अपना एक विशिष्ट दर्जा है। सरकार उर्दू के विकास पर अन्य भाषाओं की भांति ही एक करोड़ रुपये खर्च करती है। जहां तक परीक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय को कानून के अन्तर्गत शिक्षा का माध्यम तय करने का पूर्ण अधिकार होता है।

जहां तक श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय के ढांचे में परिवर्तन कर सकता है, इसका अन्तर नकारात्मक ही होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किसी विश्वविद्यालय के गठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का हक नहीं है। हां उसका थोड़ा-बहुत अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य विश्वविद्यालयों पर पड़ता है।

जहां तक दिल्ली के कालेजों के प्रशासीनिकायों (गवर्निंग बोडीज) का सम्बन्ध है, वे कालेजों के कुल खर्च का 50 प्रतिशत वहन करती है। वे 5 से 10 प्रतिशत तक घाटे को भी पूरा करती है। कालेजों का 50 प्रतिशत खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाता है। निरनुमोदित खर्च भी कालेजों के प्रशासीनिकायों को ही करना पड़ता है। फिर भी सरकार को यह पूरा हक है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से यह देखे कि कालेजों का ठीक प्रकार से चलाये जा रहे है अथवा नहीं। जहां तक अमरीकी या रुसी प्रभाव से सम्बन्धित प्रश्न की बात है, सरकार ने पहले ही सभी शिक्षा संस्थाओं को ये निदेश दे दिये हैं कि वे विदेशों से अनुदान आदि के लिये सीधे कोई करार न करें।

अन्त में, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा-विकास की दृष्टि से एक नया युग प्रारम्भ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को, संशोधित रुप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकलपों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOULTIONS

63 वां प्रतिवेदन

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 63 वें प्रतिवेदन से, जो 13 मई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 63 वें प्रतिवेदन से, जो 13 मई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

पश्चिमी बंगाल की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE. ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF WEST BENGAL—*contd*.

उपाध्यक्ष महोदय : अब पश्चिमी बंगाल की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में संकल्प पर आगे विचार होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव रखा था :

"इस सभा की राय है कि सरकार को राष्ट्रपति के शासनाधीन पश्चिमी बंगाल के प्रशासन में भूमि सुधार, बेरोजगारी, शरणार्थियों के पुनर्वास, कलकत्ता के विकास आदि जैसी अविलम्बनीय आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।"

यद्यपि मुझे इस बात की थोड़ी सी भी आशा नहीं है कि पश्चिमी बंगाल की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं राष्ट्रपति के शासन-काल में हल की जा सकेंगी क्योंकि कांग्रेस सरकार जो एक बार दूसरी पश्चिमी बंगाल पर शासन करती रही, इन समस्याओं का समाधान न कर सकी। राज्यपाल के जो सलाहकार हाल ही में नियुक्त किये गये हैं, वे प्रशासनिक विवादों में उलझे हुए हैं और राज्य की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संकल्प को सभा में लाने का उद्देश्य केवल यह है कि स्वयं राज्यपाल और उसके सलाहकार प्रशासनिक विवादों से ऊपर उठकर राज्य की समस्याओं की ओर ध्यान दें।

मेरा सदस्यों से यह अनुरोध है कि मैं जिन समस्याओं का उल्लेख करने जा रहा हूं, उनको पश्चिमी बंगाल की विधि-व्यवस्था से सम्बन्द्ध न किया जाये। ये समस्याएं ऐसी है जिनकी जड़ गत 22 वर्षों के कांग्रेस के शासन-काल में बहुत गहराई तक जा चुकी है। इन समस्याओं के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन-काल की उपज है। संयुक्त मोर्चे का शासन कुल 22 महीने तक चला और वह भी दो किस्तों में। चूंकि अब पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया है वह लोकतांत्रिक तरीके से वहां संचार में नहीं आ सकती इसलिये वह वहां राष्ट्रपति शासन के माध्यम से शासन करना चाहती है। अब पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति का शासन है, इसलिये आज बंगाल की जो स्थिति है, उसके लिये केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिवेदन में बताया गया है कि कलकत्ते में 600,000 लोग पटरियों पर रहते हैं। उनके पास रहने के लिये किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। कलकत्ते की कुल जनसंख्या का आधा भाग गन्दी बस्तियों में रहता है। गन्दी बस्तियों में न केवल शारिरिक रोग बल्कि विभिन्न प्रकार के अपराध और व्यसन भी पलते है। पश्चिमी बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बहुत अधिक है। 31 दिसम्बर 1969 को पश्चिमी बंगाल के रोजगार कार्यालयों में 1,82,000 लोग दर्ज थे। इनमें से 6,422 इंजिनियरी स्नातक थे और 43,418 लोग तकनीशनों और दस्ताकारों के वर्ग में दर्ज थे।

पश्चिमी बंगाल में हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित लोग आये हैं। एक गणना के अनुसार गत महीने की 17 तारीख तक लगभग 30 हजार लोग सीमा पार, करके भारत की ओर आ गये थे। साथ ही में यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल और कलकत्ते की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, वह केवल पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के कारण ही नहीं हुई है बल्कि वहां अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। वर्ष 1951–61 की अवधि में पश्चिमी बंगाल में जितने लोग आप्रवासियों के रूप में आये उनमें भारत के अन्य राज्यों से आने वाले 50 प्रतिशत थे। अतः कलकत्ते शहर तथा उसके निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों की समस्या को किसी भी दृष्टि से स्थानीय समस्या या बंगाली समस्या न समझा जाये। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे उसी प्रकार से हल किया जाना चाहिये।

यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हाल ही के कुछ वर्षों में एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि ऐसे कई कार्यालयों में विशेषकर कम्पनियों के और व्यापारिक कार्यालयों में जो गैर बंगालियों के हैं, बंगाली कर्मचारियों को हटाकर गैर बंगालियों को रखा जा रहा है। इस प्रवृत्ति से कटुतापूर्ण वातावरण पैदा होता है। अतः इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये।

वर्ष 1951 से 1961 के बीच पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इन दस वर्षों में भारत की जनसंख्या में औसतन 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मगर पश्चिम बंगाल के कारखानों में रोजगार के संबन्ध में 5 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई है जबकि यह वृद्धि महाराष्ट्र में 45 प्रतिशत तथा गुजरात में 130 प्रतिशत हुई। 31 मार्च, 1956 तक पूर्व पाकिस्तान से भारत में 41.17 लाख आप्रवासी आये जिनमें से 31 लाख अभी तक पश्चिम बंगाल में ही हैं।

जबकि हम यह चाहते हैं कि सारे देश में औद्योगिक विकास का वितरण समान रूप से हो पिछड़े क्षेत्रों को भी आगे लाया जाना चाहिये । यह कहना गलत है कि पश्चिम बंगाल में अत्याधिक औद्योगीकरण तथा विकास हुआ है । पहले कभी यहां कोयले तथा लोहे उद्योग की अधिकता थी परन्तु अब वह बात नहीं है क्योंकि अब हर राज्य को कोयला समान मूल्य पर मिल रहा है तथा सभी जगह इसके एक समान मूल्य है । यदि ध्यान से देखा जाये तो पता लगता है कि पश्चिम बंगाल में केवल कलकत्ता या उसके समीपवर्ती उपनागरीय क्षेत्र ही कुछ निकासित है । परन्तु शेष सारा पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ है तथा उपेक्षा जब निर्धनता पर निर्भर है । यह बात नहीं भूलनी चाहिये ।

गंगा के उस पार सारे बंगाल में विकास की बहुत सम्भावनायें हैं परन्तु उसके विकास के लिये आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गई है उत्तर बंगाल के लोग प्रतिवर्ष निरन्तर बाड़ के खतरे तथा उससे होने वाली तबाही का सामना करते आ रहे हैं । उनकी इस समस्या का केन्द्र सरकार ने कोई दीर्घावधि हल नहीं निकाला है ।

कलकत्ता पत्तन व्यास के अध्यक्ष ने कहा है कि वहां के लोगों की कार्यक्षमता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है । उन्हें 1 महीने में केवल 15 दिन काम मिलता है । इसका कारण यही है कि पत्तन तथा नदी की स्थिति गिरती जा रही है । इस बारे में वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की गई है फिर फ़रक्का बांध के बारे में उनके बारे यहां प्रश्न उठे हैं । परन्तु सब को यह समझ लेना चाहिये कि कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल का सम्पूर्ण भविष्य इसी बांध पर आधारित है । इस परियोजना को शीघ्र-गति से क्रियान्वित किया जाना जरूरी है । परन्तु इसमें हम लगातार पिछड़े आ रहें हैं । फिर यह भी सत्य है कि केवल कलकत्ता बांध से ही इस राज्य की समस्याओं का समाधान न हो सकेगा । विभिन्न नदियों और सहायक नदियों को हुगली में बहाने के लिये और अधिक परिव्यय की व्यवस्था की जानी चाहिये । जब तक इन नदियों को नियंत्रित नहीं किया जाता या इनको गहरा नहीं किया जाता, तब तक हम इस नदी के पुनर्जीवित होने की सम्भावना दिखाई नहीं देती ।

एक चिन्ताजनक समाचार था कि विहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारें गंगा के किनारे के क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं का विकास करने की योजना बना रही है । इससे फ़रक्का बांध के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । केन्द्र सरकार इस की ओर ध्यान दे वरना कहीं ऐसा न हो कि हमें अन्त में निराशा ही हाथ लगे ।

कलकत्ता की जलनिकास तथा नाली परियोजनाओं के लिये 3 करोड़ रूपया नियत किया गया है, यह धन इस विशाल समस्या के लिये बहुत ही कम है । उसके लिये कम से कम 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । इस संबंध में कलकत्ता नगरपालिका ने केन्द्रीय सरकार पर काफी जोर दिया है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभीतक इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है ।

बड़े बड़े उद्योगपतियों का मत है कि कलकत्ता के बहुमुखी विकास के लिये प्रतिवर्ष कम से कम 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । अतः यदि कलकत्ता को एक राष्ट्रीय नगर मानते हैं तो इसके लिये धन-स्रोत जुटाये जाने चाहिये । बैंकों का राष्ट्रीय करण तो कर दिया गया है परन्तु क्या सरकार ने यह सोचा है कि बैंकों तथा उनके शेयर धारियों तक को नकद रुपया न देकर बांडों में मुआवजा अदा किया जाये ताकि इस धन को विकास कार्यों में लगाया जा सके ।

राज्य के कुल 42 कपड़ा मिलों में से 13 मिलें बन्द पड़ी हैं तथा 14,000 मजदूर बेकार हो गये हैं। इस प्रकार इस उद्योग की 13 प्रतिशत क्षमता निष्क्रिय है। इन मिलों को पुनः चालू करने के लिये अनेक प्रस्ताव पेश किये गये हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार ने इन मिलों को पुनः खोलने के बारे में 28 लाख रुपये खर्च करना स्वीकार किया था। ये मिलें तुरन्त ही खोली जा सकती हैं यदि केन्द्र सरकार इस कार्य में साथ है। इस संदर्भ में जिस अनुदान के लिये एन० आई० डी० सी० से आशा थी उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यहां तक कि इस समस्या के समाधान हेतु, राज्य कपड़ा निगम ने भी कोई कार्यवाही नहीं की।

ये समस्यायें अनेक वर्षों से चली आ रही हैं। योजना परिव्यय तथा योजना आवंटन के संबंध में पश्चिम बंगाल के साथ अत्यन्त बुरा व्यवहार किया गया है। चौथी योजना के परिव्यय में से इस राज्य को केवल 322 करोड़ रुपया ही दिया गया है जबकि महाराष्ट्र को 898 करोड़ तथा गुजरात को 454 करोड़ रुपया दिया गया है। कलकत्ता नगर की एक प्रमुख समस्या परिवहन है। श्री नन्दा की विचार धारा में तो मैं ने यह अनुमान लगाया है कि कलकत्ता में न तो गोलाकार रेलवे बनेगी और न वहां तीव्रगामी परिवहन के लिये ही कोई व्यवस्था होगी। उन्होंने तो साफ़ साफ़ कहा है कि कलकत्ता के लिये गोलाकार रेलवे की तो कोई योजना ही नहीं थी। उपनगरीय विस्तार लाइन के बारे में भी उन्होंने अनेक कठिनाइयों का बखान कर दिया है इस संबंध में अभी तक कोई अध्ययन या सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। यह कदाचित 2—3 वर्षों में किया जायेगा। मैं जानता हूं कि अन्ततः हमें निराशा ही मिलेगी।

हुगली पर इसका पुल बनाने संबंधी जो आयुक्त नियुक्त किये गये हैं वह एक अतयन्त खर्चीला कार्य होगा। इस कार्य पर 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे केन्द्रीय सरकार इसके लिये केवल ऋण के इलावा कुछ नहीं देगी। फिर भी कुछ नौकरशाहों के कहने से इस पुल को अनावश्यक रूप से 120 फिट ऊंचा बनाया जा रहा है। नदी के दोनों ओर पुल के निर्माण पर अत्याधिक धन खर्च होगा। और यह सारा खर्च पश्चिम बंगाल को ही वहन करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त अन्य अनेक समस्यायें भी हैं। उनमें से प्रमुख भूमि तथा भूमि संबंधी नीति है, आज ही श्री के० के० सेन ने जो कि इस विभाग के अध्यक्ष हैं, जो कुछ वक्तव्य दिया उससे तो लगता तो यह है कि यह एक बड़ी ही प्रगतिशील नीति है परन्तु यदि वह किसानों से बलपूर्वक भूमि छीनेंगे तो संभव है कि पश्चिम बंगाल के प्रत्येक कोने में रक्तपात हो जाये, (.......व्यवधान) कलकत्ता से दिये गये एक वक्तव्य में कई त्रुटियां हैं। पहली तो यह कि उन्होंने कहा तो है कि बटाईदार किसानों को बेदखल नहीं किया जायेगा परन्तु बस्तुतः उन्हें बेदखल किया जा रहा है क्योंकि इन बटाई दारों को भूस्वामियों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि ऐसा आदेश दिया जाये कि काश्तकारों को बलपूर्वक भूमि से बेदखल न किया जा सके। परन्तु कानूनी होने और न्याय-संगत होने में कुछ अन्तर होता है। परन्तु यदि कानूनों को शताब्दियों तक भी क्रियान्वित न किया जाये तो उस कार्यवाही को फिर लोगों द्वारा की गई कार्यवाही ही न्याय संगत बना देती है।

श्री जय प्रकाश नारायण ने इस मास की 7 तारीख को एक वक्तव्य में कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में लोगों द्वारा अधिगृहीत भूमि को वापस छीनना मेरे लिये चिन्ता का

विषय है । उनका कहना है कि भूतपूर्व जमींदारी के समय जिन्हें कृषिकार्य संबंधी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा वे मानते हैं कि इन भूतपूर्व जमीदारों ने किस प्रकार भूमिसुधार कार्यवाही को निष्प्रभाव बनाया । उन्होंने कहा है कि अनेक कारणों से भूमि सुधार कार्य राज्य के प्रशासनिक तरीके से नहीं किया जा सकता ।

अतः जो नीति घोषित की गई है उसे प्रशासनिक ढंग से क्रियान्वित करना बड़ा दुष्कर होगा । यह कार्य तो तभी हो सकता है जबकि थाना स्तर तक प्रतिनिधि समितियां इस कार्य में सहयोग करें तथा हर कदम पर कार्यवाही में अपना योगदान दें । ये समितियां संयुक्त मोर्चा सरकार के समय गठित की गई थी परन्तु अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है । मेरी मांग है कि उन समितियों को पुनः संगठित किया जाये और आवश्यकता हो तो उनका विस्तार किया जाये । वस्तुतः इन समितियों में सभी दलों के व्यक्तियों तथा उनके साथ हर कदम पर स्थानीय किसान-संस्थाओं का निकट का सहयोग होना चाहिये । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान किसी प्रकार भी भूमि छोड़ने को तैयार नहीं हैं ।

कलकत्ता से घोषित की गई इस नीति में और भी अनेक कमियां हैं । कहा गया है कि सांझी खेती करने वालों को बेदखल नहीं किया जायेगा मगर वस्तुतः हजारों ऐसे लोगों को पश्चिम बंगाल में बेदखल किया जा रहा है क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास भूस्वामियों की ओर से कोई रसीद प्राप्त नहीं है । साथ ही पुलीस भी भूस्वामियों की ही सहायता कर रही है पुलिस को हम से बाज रहने के आदेश दिये जाने चाहिये । और यदि कोई भूस्वामी कोई शिकायत करता है तो वह उक्त समितियों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे । और यदि वह सही रूप में छोटा जोतदार है तो इसे उसकी भूमि वापस दिलाई जाये, केवल आरोप लगाने पर पुलीस दखल न दे । इन समितियों के सामने वह अपनी बात सिद्ध करे ।

इसी विषय को लेकर कई जिलों में गम्भीर दंगे हो चुके हैं । अतः इस मामले में केवल नौकरशाही तरीके से ही काम नहीं करना चाहिये । भूस्वामी बिना प्रमाण के पुलीस की शिकायत करने के लिये दौड़ते हैं; तथा पुलीस फिर गरीब किसानों पर गोली चलाती है । अतः ये सभी मामले सर्वदलीय समितियों द्वारा तय किये जाने चाहिये । परन्तु वस्तुतः तो भारी संख्या में किसानों की गिरफतारियां की जा रही हैं । तथा उन्हें जमानत पर तुरन्त रिहा भी नहीं किया जा रहा है जबकि बम फेंकने वाले लोगों की 12 या 24 घन्टे के भीतर ही जमानत पर रिहाई हो जाती है ।

एक और महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि पुरुलिया, बंकुरा तथा मुर्शिदाबाद जिलों में गम्भीर सूखे की स्थिति है । वहां लोग भूखों मर रहे हैं । परन्तु खेद की बात है कि सरकार ने उन्हें राहत देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है । तथा जो कुछ भी थोड़ा सा दिया गया है वह बड़ी ही सीमित मात्रा में दिया गया है ।

कलकत्ता के जीवन के संबंध में वर्ष 1960 में विश्व बैंक मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां सामुदायिक विकास का कोई पहलू नजर नहीं आता जोकि कलकत्ता की बढ़ती हुई जन संख्या के अनुरूप हो । वहां ऐसी अशान्ति तथा कुबिचार पूर्ण भावनायें व्याप्त हैं जिनसे समय समय पर आर्थिक विकास को आघात पहुंच सकता हो । केन्द्र सरकार इन समस्यायों के हल के लिये केवल

पश्चिम बंगाल सरकार को दायित्व ठहराती है जो कि स्वयं अपनी ही कठिनाइयों में फंसी है। सब मानते हैं कि यहां कुछ किया जाना चाहिये परन्तु कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है।

यह चेतावनी 10 वर्ष पूर्व विश्व बैंक मिशन ने दी थी परन्तु इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहां उपेक्षा की अन्तिम सीमा नजर आती है जिससे यहां की समस्यायें बड़ी हैं तथा जिससे कि देश के इस भाग का सम्पूर्णतया नाश हो सकता है। अतः आप कानून और व्यवस्था को सख्ती से बनाइये परन्तु इन समस्याओं को दरगुजर करना उचित नहीं है। दोनों बातों को साथ साथ चलाइये। गत 20 वर्षों से चली आ रही इस स्थिति के लिये निश्चय ही केन्द्र सरकार जिम्मेवार है और मैंने यह संकल्प इस सभा के सामने रखा है। मेरे विचार हैं कि यह सभा इसका समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"इस सभा की राय है कि सरकार को राष्ट्रपति के शासनाधीन पश्चिमी बंगाल के प्रशासन में भूमि सुधार, बेरोजगारी, शरणार्थियों के पुनर्वास, कलकत्ता के विकास आदि जैसी अविलम्बनीय आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये"।

श्री देवेन सेन : (आसनसोल) : मैं इस प्रस्ताव के बारे में अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृषन नगर) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करती हूं।

श्री समर गुह : (कन्टाई) : इस रचनात्मक संकल्प को सभा में पेश करने के लिये मैं श्री इन्द्र जीत गुप्त को बधाई देता हूं तथा मैं उनके प्रायः सभी रचनात्मक सुझावों से सहमत हूं क्योंकि एक ऐसी गलत धारणा लोगों में बिठा दी गई है कि पश्चिम बंगाल बदमाशों और समाज विरोधी अपराधी तत्वों का क्षेत्र है परन्तु बाहर जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिये कि यहां की भयंकर सामाजिक आर्थिक कठिनाइयां ही पश्चिम बंगाल के लोगों में ऐसे समाज विरोधी तत्वों को जन्म देती हैं।

श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwary in the Chair

क्या सरकार यह समझती है कि राष्ट्रपति का शासन लागू करने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने हेतु नौकरशाही का राज कर देने से पश्चिम बंगाल का काया कलप हो जायेगा? यह गलत कारण है। वस्तुतः एक मुख्य बात यह है कि पश्चिम बंगाल के लोगों तथा वहां के अधिकारियों में आत्मविश्वास की कमी है। जब तक लोगों और अधिकारियों के आत्मबल को नहीं बढ़ाया जायेगा कोई भी रचनात्मक कार्य न हो सकेगा। अब समय आ गया है कि भारतीय समाजवादी दल सभी वामपंथी लोकतंत्री दलों को एकजुट हो जाने के लिये पहल करे। यह एक अच्छा अवसर है परन्तु फिर भी वे श्री अजय मुखर्जी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, जहां कहीं भी श्री अजय मुखर्जी जाते हैं वहां उनका अभीनंदन होता है और जहां मार्क्सवादी समाजवादी दल जाता है वहां हड़ताल, काले झंडे का प्रदर्शन आदि होता है जब तक पश्चिमी बंगाल में लोक तंत्री जन आंदोलन नहीं छेड़ा जाता तब तक कानून तथा व्यवस्था को लाया नहीं जा सकता है और कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता है। अतएव भारतीय समाजवादी दल को इस कार्य में पहल करनी चाहिये।

पश्चिम बंगाल की नाजुक स्थिति का एक बड़ा कारण शरणार्थियों का आना है, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को 400 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये परन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के साथ ऐसा नहीं किया गया, यद्यपि उन पर 160 करोड़ रुपये व्यय किये गये परन्तु उसमें से 80 प्रतिशत राहत तथा अन्य कार्यों में व्यय किये गये न कि पुनर्वास कार्य में लगाये गये, अतएव यदि सरकार वास्तव में ही समस्या को सुलझाना चाहती है तो उसे पश्चिमी बंगाल में कम से कम 300 करोड़ रुपये शरणार्थियों को रोजगार देने और लघु उद्योगों का विकास करने में व्यय करना चाहिये ।

सरकार को कलकत्ता में गंदी बस्तियों की सफाई और अन्य कार्यों के लिये पी० एल० 480 से धन लेना चाहिये विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा था कि यदि भारत सरकार कलकत्ता के विकास के लिये अंतराष्ट्रीय मुद्रा साधनों से धन मांगे तो उन्हें वह मिल सकता है फिर सरकार इस कार्य में पीछे क्यों हट रही है ।

भूमि समस्या के बारे में मेरा यह कहना है कि जिन भूमियों को हरिजनों, भूमिहीन किसानों तथा जनजातियों ने अपने कब्जे में कर लिया है उन्हें नियमित कर दिया जाना चाहिये, इनके मालिकों को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये ।

मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि फसल का तीन-चौथाई भाग किसानों को दिया जाना चाहिये, परन्तु साथ में यह भी कहा गया है कि उनके पास कृषि के उपकरण होने चाहिये, इसके लिये क्या सरकार उन्हें ऋण देगी ? दूसरा जिन मुख्य क्षेत्र को अधिकार में ले लिया गया है उनको वापिस नहीं छुड़ाना चाहिये ।

यह अच्छा है कि भूमि की अधिकतम सीमा परिवार के आधार पर निर्धारित की जाएगी । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक समिति का गठन करेगी जो इसके फलस्वरूप हुई फालतु भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटेगी ? केवल तभी आप कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा दो या तीन एकड़ वाले गरीब किसानों की फसलों तथा भूमि को लूट लिया गया है, उनको क्षतिपूर्ति आवश्य दी जानी चाहिये, सरकार उनको संरक्षण देने में नितांत असफल रही है ।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने भारतीय मार्क्सवादी समाजवादी दल के साथ मिल कर पश्चिम बंगाल को बहुत हानि पहुंचायी है । वहां से पूंजी का पलायन न हो रहा है कारखानों को वहां से अन्य स्थानों पर ले जाया जा रहा है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त ही इस प्रवृत्ति को रोके ।

श्रमिक वाद-विवाद का निपटान अति शीघ्र होना चाहिये । न्यायाधिकरण अपना न्याय देने में वर्षों लगा देते हैं ; इसलिये श्रमिकों के विवादों को सुलझाने के लिये एक प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिये । लघु उद्योगों और सहायक उद्योगों में और अधिक पूंजी विशेष होना चाहिये । इसी प्रकार मछली पालन की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये ।

ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये । यदि आप पश्चिमी बंगाल में स्वयं रोजगार पाने में सिद्धान्त का विकास करना चाहते हैं तो ग्रामीण विद्युतिकरण की आवश्यकता है, ग्रामीण विद्युतिकरण सिंचाई संबंधी सुविधाए देगी तथा वहां उद्योगों का विस्तार करने में सहायक होंगी ।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्ण नगर) : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्ता के प्रस्ताव पर अपना संशोधन दिया है । मैं उनकी एक या दो बातों का उत्तर देना चाहूंगी । श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा है कि ये सभी बुराइयां कांग्रेस सरकार की देन हैं और संयुक्त मोर्चा सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे यह बुराई और आगे बढ़े, मैं इस बात से असहमत नहीं हूं कि पश्चिमी बंगाल में बुराइयां नहीं हैं परन्तु संयुक्त मोर्चा सरकार ने निश्चय ही इसको बढ़ाया है , उसके काल में वहां हत्याएं, डकैती, लूट आदि का जोर रहा ।

दूसरा, श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने एक समिति बनाने को कहा है जिसमें थाना स्तर पर सभी दलों के लोग सम्मिलित होंगे, वहां लोगों को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अमुक मेरी भूमि है और इसको मेरे से छीना नहीं जाना चाहिये । इससे कानून तथा व्यवस्था में भारी गिरावट आयेगी ।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । निश्चय ही वहां भूमि-सुधार किया जाना चाहिये सरकार के पास जो खस आदि भूमि है, उसको यथाशीघ्र भूमि हीन किसानों में वितरित किया जाना चाहिये । जिन निर्धन किसानों की धान की फसल लूटी गई है तथा जो कोई भी किसानों से छीन ली गई है उन्हें उन लोगों को वापिस लौटा दिया जाना चाहिये जो इसके हकदार हैं ।

मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे और ट्यूब रेलवे के प्रस्ताव को क्रियान्वित करेगी तथा हुगली में दूसरा पुल लगायेगी ।

तीसरा, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज वहां व्याप्त स्थिति को आर्थिक प्रश्न के साथ मिलाकर भ्रांति मत पैदा करिये यह सब वहां एक तरह से विचारों में विशेष परिवर्तन किये जाने के कारण हो रहा है और यह चीन की ओर से हो रहा है, यदि हम ऐसी भ्रांति पैदा करते रहे तो इससे विचार-परिवर्त्तन को बल मिलेगा । आज वहां गांधीजी तथा टैगोर के साहित्य को जलाया जा रहा है । राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ डाला गया है । मुझे आशा है कि सरकार इनको रोकेगी तथा गांधी साहित्य का पुनः वितरण करेगी ताकि लोगों के मन को हिंसा से अलग रखा जा सके ।

यदि हमें पश्चिम बंगाल के अर्थ-व्यवस्था के प्रश्न को सुलझाना है तो पहला काम यह होना चाहिये कि लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न किया जाये और वहां उद्योग पनपें घेराव पर रोक लगानी चाहिये तथा इसे विधि विरुद्ध करार कर देना चाहिये । उपक्रमियों को धन उपलब्ध कराना चाहिये । जीवन बीमा निगम जैसे वित्तीय संस्थाओं को उचित शर्तों पर ऋण देना चाहिये । मैं श्री समर गुह से इस बात पर सहमत हूं कि शरणार्थियों की समस्या सुलझाना चाहिये और इसके लिये हमें कम से कम 400 करोड़ रुपये चाहिये, पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या को पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या के समान नहीं सुलझाया गया है, पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर 175 करोड़ व्यय किये गये हैं परन्तु उन्हें ये रुपये सूद सहित वापिस लौटाने हैं, अब जब अधिकाधिक शरणार्थी आ रहे हैं तो उनके लिये कुछ किया जाना चाहिये । यह कहना सही नहीं है कि शरणार्थियों की संख्या केवल 41 लाख है बल्कि यह संख्या 51 लाख है । कुछ ही वर्षों से पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को भगा दिया जायेगा । अतएव पी० एल० 480 के धन को कलकत्ता के विकास तथा उद्योगों के विकास की ओर लगाना चाहिये । निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने कलकत्ता की गंदी वस्तियों को हटाने के लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो कि नितांत अपर्याप्त है ।

मुझे आशा है कि पी० एल० 480 का धन पश्चिम बंगाल की समस्या सुलझाने में लगाया जा सकता है, मेरी यह मांग है कि 350 करोड़ रुपये अथवा 400 करोड़ रुपये पी० एल० 480 कोष से निकालकर पश्चिम बंगाल में उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा सकता है। कलकत्ता देश का बड़ा शहर है तथा इसकी राष्ट्रीय समस्याएं हैं। अतएव उसके लिये कुछ विशेष कार्य किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि कलकत्ता के लिये कुछ विशेष कार्य किया जायेगा तथा कानून और व्यवस्था पुनः स्थापित की जाएगी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : आज पश्चिमी बंगाल को दृढ़ और स्थायी प्रशासन की आवश्यकता है जो कि वहां कानून तथा व्यवस्था बनाए रख सके। आज वहां जन साधारण शान्ति तथा सुरक्षा चाहता है तथा राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य में व्याप्त सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाना चाहता है।

यह आवश्यक है कि हिंसा की राजनीति को दबा देना चाहिये। इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है तथा इसके लिये जो कोई भी कार्यवाही उचित हो, वह अवश्य लेनी चाहिये। प्रशासन और पुलिस व्यवस्था में व्याप्त राजनीतिक बुराई को निकाल देना चाहिये, मैं प्रस्तावक की इस बात से सहमत हूं कि कानून तथा व्यवस्था तथा आर्थिक समस्या को साथ साथ सुलझाना चाहिये। यदि पश्चिम बंगाल में हिंसा व्याप्त रहे तो वहां वास्तविक आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है, मेरे विचार में यह पश्चिमी बंगाल की जनता और उसके आर्थिक विकास के लिये ठीक नहीं है।

आज पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा और उपद्रव क्यों हो रहे हैं? इन सबका कारण बेरोजगारी, घटिया जीवन-स्तर, गरीबी आदि से उपजी निराशा है, ऐसी स्थितियां साधारण व्यक्ति को भी निराश बना देती हैं। अतएव इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मेरे विचार में पश्चिम बंगाल में एक प्रकार का दूषित चक्र चल रहा है, वहां बेरोजगारी और गरीबी से उपद्रव होते हैं, बेरोजगारी और गरीबी पर्याप्त पूंजी निवेश ओर आर्थिक विकासन हीं होता है और पूंजी निवेश और आर्थिक विकास उपद्रव ग्रस्त स्थिति में नहीं हो सकता है। इस प्रकार यह दूषित चक्र चलता रहता है।

प्रश्न उठता है कि इस दूषित चक्र को कैसे तोड़ा जाये। यदि पश्चिम बंगाल में गैर सरकारी विनियोजक पूंजी निवेश के लिये आगे नहीं आते हैं तो केन्द्रीय और पश्चिम बंगाल सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिये। सरकार को चाहिये वह वहां रोजगार प्रधान लघु उद्योगों की स्थापना करें। राज्य में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया। हम केवल गैर विनियोजकों पर ही क्यों निर्भर रहें। इस स्थिति में राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उद्योगों की स्थापना करके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाये।

इसके अतिरिक्त आवास व्यवस्था भी ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार प्रधान है। इसका भी सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह व्यक्तियों को आश्रय देता है तथा उनमें संतुष्टता आती है, अतएव आवास-व्यवस्था की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिये।

सार्वजनिक कार्य भी बड़े पैमाने पर किये जाने चाहिये। इससे भी बेरोजगारी की समस्या हल होगी, जीवन बीमा निगम में लाल फीता शाही है अतएव वहां से ऋण लेना बहुत कठिन है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में कितनी परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी । मुझे भय है कि वहां सरकारी क्षेत्र भी पूंजी निवेश के लिये हिचकिचा रहे हैं, केन्द्रीय सरकार साहस के साथ आगे आये और इस दूषित चक्र तो तोड़ने के लिए उद्योगों की स्थापना करे, औद्योगिक लाइसेंस नीति भी ऐसी होनी चाहिये जिससे इन समस्याओं को सुलझाया जा सके ।

गत दो या तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल से पूंजी का पलायन हो रहा है, वहां कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों को बन्द किया जा रहा है जिससे रोजगार की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । इन सब के लिये राजनीतिक नेता उत्तरदायी हैं जिनकी गलत नीतियां रही हैं । आप उनकी मजूरी बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते है । यह प्रसन्नता की बात है कि कपड़ा उद्योग, इंजीनियरी उद्योग तथा पटसन उद्योग में मजूरी बढ़ाई गई है, श्रमिक को लाभ में से उचित भाग मिलना चाहिये । यह ठीक बात है पर वहां से कार्यालयों का स्थानान्तरण किया जा रहा है जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है इसको रोका जाना चाहिये ।

कलकत्ता को प्रदर्शनों का शहर का नाम दिया जाता है, इसकी समस्याओं की उपेक्षा की गई, न कांग्रेस और न संयुक्त मोर्चा सरकार ने इनको सुलझाया है, गर्मियों के दिनों में कलकत्ता के कुछ भागों में पानी उपलब्ध नहीं होता है तो वर्षा के दिनों कुछ भागों में बाढ़ आ जाती है यातायात में काफी भीड़-भाड़ हो गई है, इसी प्रकार सड़कों की बुरी स्थिति है ।

कलकत्ता में कई नागरिक सम्बन्धी समस्यायें हैं । श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने इनका सचित्र वर्णन किया है । मेरा इतना कहना है कि यातायात समस्या को सुलझाना चाहिए । एक अतिरिक्त पुल की आवश्यकता हो गई है, गंदी बस्तियों को सफाई की जानी चाहिये । भूमि सुधार के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि बांटने की प्रगतिशील नीति होनी चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता है । मेरा सुझाव है कि सरकार कलकत्ता के लिए प्रतिवर्ष 80-100 करोड़ अलग से नियत करे, इस धन को उत्तम परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए । विघटनकारी और हिंसात्मक कार्यवाहियां किसी का भला नहीं करती, उससे राष्ट्र को सहायता नहीं मिलती है । इन कार्यवाहियों को रोका जाना चाहिए और जनसाधारण की शक्तियों को रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए ।

श्री एल० आर० बमानी (शोलापुर) : लगभग 1-1/2 माह पूर्व पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति और बजट के प्रस्तुतीकरण के समय सदन् को वहां की स्थिति पर विचार करने का अवसर मिला था । इस बार मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने फिर से इस विषय पर चर्चा का अवसर दिया है । उन्होंने बहुत कुशलता से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है किन्तु मैं अपने माननीय सहयोगी से सहमत नहीं हूं ।

प्रथम तो उन्होंने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल की समस्या और विशेषकर कलकत्ता की समस्या पिछले 20 वर्षों से बढ़ती चली गई हैं किन्तु यह ठीक नहीं है । इन वर्षों में पश्चिम-बंगाल और कलकत्ता में विकास हुआ है । 1950 और 1967 में स्थापित उद्योगों और

रोजगार में लगे कर्मचारियों की संख्या में बहुत अन्तर है। 20 वर्षों के शासन में कांग्रेस ने वहां की प्रगति के लिए हर सम्भव सुविधा प्रदान की। दूसरे उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति शासन के द्वारा ही सत्तारूढ़ हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र ने संयुक्त मोर्चा सरकार को शासन चलाने का पर्याप्त अवसर दिया था और उसकी पूर्ण असफलता के बाद ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन के दो तीन माह बाद ही कानून और जनता की स्थिति सुधारने के लिए एक सामान्य कार्यक्रम तैयार किया गया किन्तु दो माह बाद ही वे आपस में झगड़ने लगे तथा मार्क्सवादियों ने, जिनका दल बहुसंख्या में था, अन्य दलों को आदेश देना आरम्भ कर दिया। प्रतिदिन हत्या और झगड़े की वारदातें होने लगी। अन्ततः मुख्य मंत्री को अपनी सरकार के ही विरुद्ध भूख हड़ताल करनी पड़ी और स्वयं कहना पड़ा कि उनकी सरकार असभ्य और बर्बर सरकार है संयुक्त मोर्चे के अन्य दलों में भी असंतोष था और वे एकत्रित न रह सके। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार के पास और कोई विकल्प न था। अतः यह कहना गलत है कि कांग्रेसी केन्द्रीय सरकार ने सत्ता के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया है।

राष्ट्रपति शासन के पश्चात् वहां की घटनाओं के लिए ये लोग केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराते रहे हैं किन्तु देखना यह है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने 22 माह के अपने शासन में कितना नुकसान पहुंचाया है और उसकी उपलब्धि क्या है। सभी जानते हैं कि किस प्रकार इन 22 माह में कानून और व्यवस्था बिगड़ी कितने लोग बेरोजगार हो गए और क्यों नए उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं; संयुक्त मोर्चा शासन में लोगों का जीना दूभर तथा भयावह हो गया था। यही इस शासन की, जिसमें मार्क्सवादी दल की बहुसंख्या थी, उपलब्धि थी।

ये लोग उद्योगों की स्थापना और आर्थिक विकास चाहते हैं किन्तु उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। यदि हड़तालों और व्यक्ति-दिनों की हानि के तुलनात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। पूरे देश में सम्पूर्ण व्यक्ति-दिनों की हानि में 60 प्रति शत हानि पश्चिम बंगाल में हुई है। मज़दूरों को अवश्य ही उचित वेतन मिलना चाहिए किन्तु उन्हें पर्याप्त उत्पादन भी करना चाहिए साथ ही अनुशासन बनाए रखना चाहिए, उन्हें संयंत्रों का ध्यान भी रखना चाहिए।

वर्तमान स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि कर्मचारियों को भड़काया गया था, उत्पादन को गिराने का हर सम्भव यत्न किया गया। मज़दूर संगठनों और राजनीतिज्ञों को यह भी देखना चाहिए कि संयंत्रों और मशीनों की ठीक देख-भाल होती है, अनुशासन बना रहता है और प्रबंधकों की आज्ञा मानी जाती है तभी कोई राज्य अथवा देश समृद्ध हो सकता है।

केन्द्र ने वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया है। तब भी स्थिति वहां चौंकाने वाली है। इसका कारण केवल रोज़गार ही नहीं, बल्कि यह जान-बूझकर कानून और व्यवस्था भंग करने के लिए किया जाता है, जब तक ये लोग स्थिति में सुधार नहीं करते सामान्य स्थिति लाने में सहायता नहीं करते, इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम जनता की भलाई के लिए इन लोगों को अपने रवैये में परिवर्तन लाना चाहिए।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिय (जालौर) : महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने बहुत तर्कपूर्णता से पश्चिम बंगाल की कुछ आर्थिक समस्याओं को प्रस्तुत किया है किन्तु जब तक विकास के अनुकूल परिस्थितियां बनाई नहीं जाती हमें विकास के विषय में चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं ।

जैसा कि आप जानते हैं विभाजन के आरम्भ से पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ दुर्भाग्यपूर्ण रही है किन्तु 1967 के बाद तो स्थिति विशेष रूप से और भी खराब हुई है ।

मार्च 1970 में जब राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन शागू किया गया था तो लोगों ने इस आशा के साथ इसका स्वागत किया था कि अब कानून और व्यवस्था भंग नहीं होगी और हिंसा का दमन हो जाएगा । किन्तु अभाग्यवश सभी आशाओं पर पानी फिर गया । जिस प्रकार से राज्यपाल अधिकारियों के काम में दखल दे रहे हैं और कानून और व्यवस्था बिगड़ी हुई है लोगों की आशाएं धूमिल होती जा रही हैं और यदि स्थिति में सुधार के लिए प्रभावशाली कदम न उठाए गए तो लोगों का राष्ट्रपति शासन से विश्वास उठ जाएगा ।

कभी शिक्षा संस्थाओं पर आक्रमण किए जाते हैं कभी पुलिस चौकियों पर धावे बोले जाते हैं । हाल ही में प्रैसीडेंसी कालेज पर से राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर जला दिया गया और लाल झण्डा फहरा दिया गया । स्थिति यह है कि कारखाने में 100 में से 5 कर्मचारी सारे काम को ठप्प करवा सकते हैं और मुट्ठी भर उदण्ड छात्र शिक्षा संस्थाओं को बंद करवा सकते हैं ।

वहां सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं रहा । कोई भी व्यकित अब वहां रहना नहीं चाहता और प्रत्येक अधिकारी स्थानान्तरण के लिए प्रयत्नशील है । इस सब का कारण यही है कि वहां व्यवस्था और विश्वास का अभाव है अब आवश्यकता इस बात की है कि फिर से सामान्य और विश्वास का वातावरण उत्पन्न किया जाए ताकि व्यवस्था बनाई रखी जा सके । जब तक यह नहीं होता तब तक और कुछ भी नहीं किया जा सकत ।

इस अनिश्चितता की स्थिति में राज्यपाल महोदय विशिष्ट ढंग से कार्य कर रहे हैं । पहले दिन से ही उन्होंने सचिवों और सलाहकारों की नियुक्ति में गड़बड़ी उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया था । वे किसी भी अधिकारी को अपनी इच्छानुसार कार्य करने नहीं देगें और प्रशासन की प्रत्येक बात में स्वयं को उलझा लेंगे यदि यही राज्यपाल बने रहे तो वहां का प्रशासन कभी भी सुचारू रुप से कार्य नहीं कर सकता ।

जहां तक वहां पर औद्योगिक विकास का प्रश्न है हम सभी जानते हैं कि 1966 तक पश्चिम बंगाल भारत का सर्वोच्च औद्योगिक राज्य था । सरकार द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1966 में पश्चिम बंगाल में 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने वाले कारखानों में 1383 करोड़ रुपये की उत्पादक पूंजी लगी हुई थी । किन्तु 1966 के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई है । 1967 से राजनीतिक अनिश्चितता, अव्यवस्था और विश्वास की कमी के कारण सम्पूर्ण औद्योगिक तथा उत्पादन वातावरण छिन्न भिन्न हो गया है । इन्हीं कारणों से वहां प्रत्येक वर्ष 5 से 6 लाख व्यक्ति बेरोजगार होते जा रहे हैं ।

आज कलकत्ता नगर एक गंदगी से भरा नगर है। जलमल, पानी और बिजली की सप्लाई और सड़कों की दशा को लेकर स्थिति बहुत शोचनीय है। कलकत्ता निगम अक्षम, भ्रष्ट और स्वार्थी व्यक्तियों का एक अड्डा बन गया है। अतः किसी भी कर दाता को वहां कर नहीं देना चाहिए। कलकत्ता निगम का भारत भर में कोई मुकाबला नहीं। वहां अधिकारियों को रिश्वत देकर आप कुछ भी करवा सकते हैं।

कलकत्ता नगर के विकास के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्ता की सभी बातों से मैं सहमत हूँ किन्तु कोरी नारेबाजी से तो इस नगर का विकास होने से रहा। यदि हम कलकत्ता के विकास तथा बेरोजगार और अव्यवस्था की समस्या को हल करने को गंम्भीरता पूर्वक ले रहे हैं तो अगले तीन वर्षों में कमसेकम 1000 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। क्या यह सब राशि अपने स्रोतों से पाना सम्भव है? इस के लिए हमें उन देशों से भी जो हमारी सहायता करना चाहते हैं सहयोग लेना पड़ेगा।

"पश्चिम बंगाल और विशेषकर कलकत्ता की समस्या बड़ी गम्भीर है। मैं वहां के उद्योगों के लिये दो सुझाव रखना चाहूंगा। एक, तो वहां के औद्योगिक वातावरण में सुधार होना चाहिए। इससे पूर्व कुछ भी नहीं हो सकता। इसके पश्चात् यदि वस्तुतः पश्चिम बंगाल अथवा कलकत्ता की समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानते हैं तो सभी राष्ट्रीय कृत बैंकों को यह निर्देश देना होगा कि आगामी 5 वर्षों में वे कम व्याज दर पर ऋण दें। दूसरे यह कि वहां पर उद्योगों की स्थापना के विषय में सरकार को सभी प्रकार के नियंत्रण नियमों में छूट दे देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो वहां जाकर उद्योग स्थापित करना चाहे उसे पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाय।

श्री कृष्ण कुमार चैटर्जी (हावड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज पश्चिम बंगाल अनैतिक धनिकों और उनसे भी अधिक अनैतिक राजनैतिक दलों में फंसा जीवन के लिए छटपटा रहा है (व्यवधान)। क्या हिंसा के वातावरण में किसी प्रकार का उत्पादन और विकास संभव है। जैसे ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक योजनाओं को लागू करने और कार्यान्वित करने की मांग होने लगी। मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने संयुक्त मोर्चा सरकार के समय सदन में क्यों नहीं ऐसा प्रस्ताव पेश किया जिससे संसद् पश्चिम बंगाल को सभी प्रकार के प्रगतिशील भूमि सुधारों को लागू करने, शरणार्थियों और बेरोजगारों की समस्या सुलझाने के लिये प्रोत्साहित करती जिससेभूख और निराशा की समाप्ति हो जाती। संसदीय प्रजातंत्र में विरोधी दलों को उत्तर-दायित्वपूर्ण भाग अदा करना चाहिए। जब तक विरोधी दल ऐसा नहीं करते संसदीय प्रजातंत्र देश को किसी प्रकार से सेवा नहीं कर सकता। दोनों साम्यवादी दलों और फारवर्ड ब्लाक तथा अन्य दलों द्वारा वहां हिंसा का प्रचार हो रहा है। इस सब का उद्देश्य यही है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को परम्परागत ठिकानों (moring) से उखाड़ फेंका जाए और वहां विध्वंश कर दिया जाए। ऐसी दशा में क्या आप आशा करते हैं कि बंगाल प्रगति करेगा और बंगाली लोग सामान्य तथा शांत जीवन बिता पायेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रस्ताव राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है। कहा जा रहा है कि अब जब कि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो शीघ्र ही सामाजिक आर्थिक विकास कार्य क्यों नहीं किए जा रहे? और दूसरी ओर कृषक क्रान्ति के नाम पर बम, पटाखे और गोला-बारुद फेंका जा रहा है।

सभापति महोदय, आप पश्चिम बंगाल की जन-जातियों की समस्याओं को जानते हैं। यह बहुत सादे लोग हैं। शिक्षित भी नहीं और कुछ लोग इनमें किन्ही बातों का प्रचार कर देते हैं जिनके परिणामों से ये अवगत नहीं होते और इस प्रकार कहा जाता है कि सारे पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी विचारधारा फैल गई हैं। इसी प्रकार छात्रों और शिक्षकों को राजनीति में फंसाने के लिये भी प्रस्तावक महोदय ही उत्तरदायी हैं।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाना चाहिये ताकि पश्चिम बंगाल में शान्ति स्थापित की जा सके। दिवंगत डा० विधान चन्द्र राय कलकत्ते को विकसित देखना चाहते थे। उन्हीं के प्रयास से दुर्गापुर इस्पात कारखाने का निर्माण हुआ। वहां लगभग 40 से 50 लाख व्यक्ति बेघरबार हैं और उन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती और वे जानवरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन लोगों का राजनीतिक दलों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोग किया जा रहा है।

यदि राष्ट्रपति शासन में वहां शान्ति कायम की जा सकेगी तो हम इस बात का प्रयास करेंगें कि भूमि हीन और गरीब किसानों के लिये भूमि में सुधार किया जा सके। मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं के शरणार्थियों के बसाया जायेगा और उनको रहने के लिये स्थान खाना और रोजगार दिया जायेगा।

लेकिन इसके लिए हमें कम से कम दो वर्ष का समय दिया जाना चाहिये। कलकत्ते के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के दिमागों को बदला जा रहा है।

कलकत्ते का विकास किया जाना चाहिये। यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। कलकत्ते के चारों ओर जो औद्योगिक क्षेत्र तथा पटसन और चाय के बागात हैं उनसे कलकत्ता शहर तथा पत्लन महत्वपूर्ण प्रदेश बन गया है। अतः कलकत्ते के विकास की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिये और उसका विकास युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा तब ही सम्भव है जबकि साम्यवादी लोग हमें इस बात का विश्वास दिला दें कि जहां विकास सम्भव नहीं है वहां वे कोई शर्त नहीं लगायेंगे। इस समस्या को पारस्परिक सद्भाव और पारस्परिक सहयोग द्वारा हल किया जाना चाहिये। मार्क्सवादी, साम्यवादी दल का परामर्श दात्री समिति को अपना सहयोग न देने के निर्णय के बारे में फिर से विचार करना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : सरकार लोगों की सहनशीलता से हमेशा के लिये नहीं खेल सकती। हमारा देश बहुत प्राचीन देश है लेकिन, सरकार यह नहीं जानती कि यदि देश के लोग नाराज हो जायेंगे तो बात कहां तक पहुंचेगी।

भारतीय औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल का योगदान 28 प्रति शत से घटकर 14 प्रति शत रह गया है। इसकी आर्थिक विकास दर अखिल भारतीय 5 प्रतिशत दर के मुकाबले घटकर 2·77 प्रतिशत रह गई है और इसकी आय वृद्धि दर अखिल भारतीय 26 प्रति शत के मुकाबले में घटकर 18 प्रतिशत रह गई है।

यह आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में 100 लाख काम के घंटे नष्ट हुए हैं जबकि समस्त भारत में 1969 में 160 लाख काम के घंटे नष्ट हुए हैं।

बिड़ला बन्धु पश्चिम बंगाल में खूब धन कमा रहे हैं। अब वे अपने उद्योगों को और स्थानों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य में ऐसी बातें हो रही हैं और सरकार लोगों से यह आशा करती है कि वे शान्ति का व्यवहार करें और राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनायें रखें।

यदि इस सभा के सदस्य किसी के उकसाने पर इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, तो उन विचारे निर्धन लोगों से क्या उपेक्षा की जा सकती है जिनकी दुर्दशा है और जो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जिसमें मानव के रह सकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

पश्चिम बंगाल साम्प्रदायिक दल नहीं है। इससे राज्य को लाभ है। वहां जनसंघ जैसे संगठनों के लिये स्थान नहीं है। अतः यदि वहां राजनीतिक उपद्रव हुए भी हैं तो वे भिवांडी और दूसरे स्थान जैसे नहीं हैं, जिनसे हमारी सभ्यता को आघात पहुंचता है।

कलकत्ते को बहुत से वचन दिये गये लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। कलकत्ते में दूसरा पुल बनाये जाने का निर्णय 1966 में किया गया था लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसी प्रकार वृत्ताकार रेलवे और कलकत्ता आसनसोल एक्सप्रेस के बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार लोगों की सहनशीलता से खिलवाड़ कर रही है। कलकत्ते में स्टेडियम का बनाया जाना उपहास मात्र प्रतीत होता है। नगर की बेकार वस्तुओं का उर्वरक निर्माण के प्रयोजन से उपयोग का प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। कलकत्ते में बेरोजगार इंजीनियर बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। उनको रोजगार दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। सरकार लोगों की समस्या को हल करने में असमर्थ है और कानून और व्यवस्था बनाये रखने की बात करती है। यदि पश्चिम बंगाल और कलकत्ता की समस्याओं के बारे में सरकार का यही व्यवहार रहा, तो राज्य में कानून और व्यवस्था कैसे स्थापित की जा सकती है? यह सरकार राज्य की भलाई के लिये कुछ भी करने में असमर्थ है। अतः मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प का समर्थन करता हूं।

सरदार अमजद अली : (बसीरहट) पश्चिम बंगाल कई त्रुटियों को सहन करता रहा है। श्री चटर्जी जी ने यह आरोप लगाया है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के 22 महीने के शासन काल में पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो गई है। यह ठीक नहीं है। पांचवे वित्त आयोग द्वारा किया गया अपर्याप्त आवंटन इसके लिये उत्तरदायी है। पांचवे वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार पश्चिम बंगाल 1969-70 से 1974-75 के दौरान केन्द्रीय करों के अपने भाग के रूप में 296.64 करोड़ रुपये की कुल धनराशि प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अनुसार इस राज्य को 72.62 करोड़ रुपये की और धनराशि भी मिलेगी। कुल मिलाकर इसे विकास कार्य के लिये 369.26 करोड़ मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair

लेकिन इस धन राशि से राज्य के गैर-योजना राजस्व का अन्तर पूरा नहीं होगा। वित्त आयोग की यह दलील कि चौथे-योजना आयोग ने जो धनराशि दी थी उससे अधिक अतिरिक्त

धन-राशि के रूप में वह 34 करोड़ रुपये प्रतिमाह दे रहा है और इसमें राज्य का गैर-योजना राजस्व अंतर पूरा होगा, सही नहीं है ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली में केन्द्रीय सरकार को राज्यों के विकास सम्बन्ध में सहायता देने की बात को ध्यान में रखना चाहिये । केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा किये जाने पर ही राज्यों का विकास हो सकता है ।

पश्चिम बंगाल सरकार जब तक अपने घाटे को पूरा नहीं करेगी तब तक वह अपनी समस्याओं को कैसे हल कर सकेगी । वही राज्य अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं जिनका लाभ का बजट है । चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल का कुल योजना परिव्यय केवल 322.50 करोड़ रुपये का होगा । जबकि बिहार का परिव्यय 441.60, गुजरात का 450.20 रुपये, मध्य-प्रदेश का 356·00 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र का 811.80 करोड़ रुपये का है । अनुभव मे हमें यह विदित होता है कि केवल वही राज्य अपनी योजनाओं में वृद्धि कर सकते हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत अधिक वित्तीय सहायता दी गई हो ।

हाल ही के वर्षों में केवल एक जिले हावड़ा में 321 इंजीनियरी कारखाने बन्द हो गये हैं और ये उद्योग केवल इस कारण बन्द हो गये हैं कि श्रमिकों ने कोई आन्दोलन किया था लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि ये कारखाने कच्चे माल की कमी के कारण बन्द हो गये हैं । यदि केवल एक ही जिले में 321 कारखाने बन्द हो सकते हैं तो हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि कानून और व्यवस्था की समस्या हल होगी ।

यदि लोगों को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आयेगा तो वे निराश हो जायेंगे और जोश में ऐसी बातें करेंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिये । उन्होंने निराश होकर समाज-विरोधी बातें की हैं । हमें ऐसी बातों की निन्दा करनी चाहिये ।

1967 में राज्य में 5658 पंजीकृत कम्पनियों में 8·32 लाख व्यक्ति काम कर रहे थे । 1968 में उनकी संख्या 8·17 लाख तथा 5737 थी । यद्यपि पंजीकृत कम्पनियों की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि रोज़गार में कमी हुई है । इस मामले को हल करने के लिये पुलिस प्रशासन को प्रयोग में लाना पर्याप्त नहीं है । यदि हम राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं, यदि हम इन नवयुवकों को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो चाहे हम उनके लिये कुछ भी करने का आश्वासन दें उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

1967-68 में राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिये 48 लाइसेंस दिये गये । 1968-69 में केवल 34 लाइसेंस दिये गये । राज्य में स्थित 1·35 करोड़ एकड़ भूमि में से केवल 35 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है । गत 13 महीनों में राज्य में केवल 9 गहरे नलकूप लगाये गये हैं ।

भूमिहीन किसानों की समस्या भी पश्चिम बंगाल में विस्फोटक सिद्ध हो सकती है । यदि हमें राज्य की रक्षा करनी है तो हमें वहां की समस्या पर ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये ।

पश्चिम बंगाल राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यदि इस राज्य में विस्फोट हुआ तो इसकी सारे देश पर गम्भीर प्रतिक्रिया होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आगे चर्चा जारी रहेगी । अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे ।

***शेयरों में वायदे के सौदों को पुन: जारी करना**

RESUMPTION OF FORWARD TRADING IN SHARES

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : इस सरकार ने बिना सोचे समझे वायदा व्यापार पर रोक लगा दी थी । इसने यह नहीं सोचा कि इस व्यवसाय में हजारों की संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं ।.एक विकासशील अर्थ व्यवस्था में पूंजी निर्माण का बहुत महत्व होता है और वायदा व्यापार इसमें बहुत अधिक सहायक होता है । हमारे देश में धन लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है । ऐसी स्थिति में वायदा व्यापार बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है ।

गत वर्ष अच्छी फसल होने के कारण स्टाक एक्सचेंज ग्रामीण संसाधनों को जुटाने में बहुत अच्छा कार्य कर सकता था । इससे पूंजी निर्माण में बड़ी सहायता मिल सकती थी । अब वायदा व्यापार पर रोक होने के कारण इन संसाधनों से लाभ नहीं उठाया जा सका ।

सरकार यदि यह समझती है कि स्टाक एक्सचेंज कोई गड़बड़ करते तो सरकार उनके कार्य पर कड़ी निगरानी रख सकती है ।

सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के दो कारण थे । एक तो था बढ़ती हुई कीमतें और दूसरे शेयरों का जमा होना । मेरे विचार में कीमतों में वृद्धि होना दो वर्ष के मंदे के बाद स्वाभाविक ही था । प्रधान मंत्री ने भी 1970 का बजट प्रस्तुत करते समय स्टाक एक्सचेंज में सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त की थी । सरकार ने जब रोक लगायी थी उस समय नकद कीमतें बहुत बढ़ी हुई थीं । और वायदा शेयरों की कीमतें इतनी अधिक नहीं बढ़ी हुई थी ।

जहां तक शेयरों के जमा कर लेने की बात है मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि शेयरों को जमा कर के अस्वस्थ कार्य किये गये हों । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अंजारिया समिति की सिफारिशों पर शीघ्रता से विचार करके वायदा व्यापार को पुन: चालू कराये ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The forward trading in shares results in concentration of ownership and concentration of economy. It is against the industrial policy resolution. In this way the ban on forward trading is very much justified. I want to know whether the order regarding it has been flouted, if so, what action has been taken against the guilty persons. Further, I want to know whether the Anjaria Committee was appointed under pressure from private enterprise ?

---

*Half an hour Discussion.

*आधे घंटे की चर्चा

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मेरे विचार में अर्थ व्यवस्था की उन्नति के लिये वायदा व्यापार बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत आवश्यक है । शेयर जमां करने के मामले की शंका शायद नेशनल रेयन में कपाडिया ब्रदर्स के मामले से उत्पन्न हुई जान पड़ती है । शेयरों के सौदे आदि में कुप्रथाओं को रोकने के लिय कम्पनी कानून के अन्तर्गत सरकार के पास बहुत अधिकार हैं । सरकार के एक विभाग के अधिकारों की दूसरे विभाग को जानकारी तक नहीं है । इस प्रकार की रोक से मध्यम दर्जे के लोगों को बहुत कठिनाई हुई है । वे बेरोजगार हो गये हैं ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्टाक एक्सचेंज खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी, ताकि गावों के लोगों को धन लगाने के अवसर मिल सकें ?

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Sir, we are borrowing money from abroad for meeting the requirements of our programme of industrialisation. We forget that we can find necessary money in our own country.

As a result of green revolution the farmers have got some money with them. We are afraid that this money will be wasted if it is not put to some good use.

I want to know from the hon. Minister whether it would not be proper to utilize this money by investing it in new industrial units. It would be a good step if sub-stock exchanges are opened in rural areas. It will help in industrialisation of rural areas.

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : श्री तापड़िया ने पूंजीवादी देश की अर्थ व्यवस्था स्टाक एक्सचेंज के कार्य का विश्लेषण किया है । उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने एक ऐसे समय पर वायदाव्यापार पर रोक लगायी है जब यह आवश्यक नहीं है । उन्हें समझ लेना चाहिये कि उस समय के वित्त मंत्री तथा उप-प्रधान मंत्री ने ऐसा करना आवश्यक समझा था । मैं इस को ब्यौरेवार बताना चाहता हूं।

आप गत एक दशक के दौरान की शेयरों की कीमतों को देखें । 1958 से 1962 तक की अवधि में शेयरों की बहुत अच्छी हालत थी । स्टाक मंडी में बहुत लाभ था । 1962 और 1965 में हमें आक्रमण का सामना करना पड़ा । फिर 1966 और 1967 में सूखे के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब रही और मन्दे का सामना करना पड़ा । हां, 1969 से स्टाक बाजार में स्थिति सुधर रही है । माननीय सदस्य स्वयं भली भान्ति जानते हैं । फिर हमने देखा कि मूल्यों में वृद्धि होना आरम्भ हो गया और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही । जून 1969 में मूल्यों में काफी वृद्धि हो चुकी थी । क्या यह ठीक है और शेयर बाजार को खुली छुट्टी दी जा सकती है । सरकार को निगरानी रखना आवश्यक लगने लगा । परन्तु जब स्थिति अधिक बिगड़ने लगे तो कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है । रोक लगाने से पहले स्थिति ऐसी ही थी ।

27 जून 1969 को जब वायदा व्यापार पर रोक लगायी गई थी उस समय बकाया वायदा व्यापार की राशि 40.97 करोड़ रुपये की थी । यह वास्तव में ही बहुत अधिक थी ऐसी स्थिति में रोक लगाना अत्यंत आवश्यक था ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : ऐसी रोक अल्प अवधि के लिये होनी चाहिये।

श्री र० के० खाडिलकर : जब रोक लगायी गयी थी उस समय इस के बारे में अनेक प्रश्न उठाये गये थे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार को देखना होता है कि वायदा व्यापार पर रोक लगाने और बचत के लिये संसाधन जुटाने से क्या निवेश के लिये अच्छा वातावरण पैदा किया जा सकता है अथवा नहीं जब नकद (हाजिर) व्यापार चल रहा है तो वायदा व्यापार पर रोक लगाने से कोई आपत्ति नहीं उठायी जानी चाहिये।

हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री गैर-सरकारी क्षेत्र हितैषी थे। यह आम राय है। एक समय पर तो सरकार ने विचार किया था कि कुछ एक शर्तों के साथ वायदा व्यापार की अनुमति दे दी जाये। इस पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया था। उस समिति की रिपोर्ट इस महीने के अन्त तक मिलने की आशा है।

एक यह बात उठायी गई है कि वायदा व्यापार पर रोक से बहुत लोग बेरोजगार हो गये हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 15-11-1969 को ऐसे कर्मचारियों की संख्या 2854 थी। वैसे हम जानते है कि रोक लग जाने के बाद भी कुछ लोग चोरी छिपे इसी तरह के व्यापार में लगे हुए हैं।

इस वर्ष के बजट के बाद नये तरीके अपना कर ग्रामीण क्षेत्रों में बचत के संसाधनों से लाभ उठाया जा रहा है। आयकर के लिये आय की न्यूनतम राशि की सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने जो समिति नियुक्त की थी उसके प्रतिवेदन के प्राप्त होने से पहले कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। सरकार इस व्यापार से संबन्धित सभी पहलुओं और उसके परिणामों पर विचार करने के बाद ही रोक हटा सकती है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या आप तिथि का कोई संकेत दे सकते हैं।

श्री र० के० खाडिलकर : यदि ऐसा किया जाये तो निहित स्वार्थ वाले लोग अनुचित लाभ उठायेंगे। अत: इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार क्या निर्णय करेगी।

माननीय सदस्य श्री शिव चन्द्र झा ने पूछा था कि क्या औद्योगिक नीति संकल्प को ध्यान में रखते हुए क्या वायदा व्यापार की अनुमति दी जा सकती है। यह एक बुनियादी प्रश्न है।

रोक समाप्त करते समय इस पर ध्यान दिया जायेगा। हमें देखना होगा कि स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण को नियमित करने हेतु क्या क्या पाबन्दियां लगाना आवश्यक होगा। सभा के समक्ष रखे गये सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर निर्णय किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 18 मई, 1970/28 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 18 1970 Vaisakha 28, 1892 (Saka).

M/B(D)9LSS—340—25-11-70—GIPS

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

15 मई, 1970 / 25 वैशाख, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
मुख पृष्ठ	11वीं तथा 12वीं पंक्ति में '60' के स्थान पर '62' पढ़िये ।
13	पांचवीं पंक्ति में 'श्री [illegible] नन्दा' के पश्चात् निम्नलिखित नाम भी पढ़िये : 'श्री कंवर लाल गुप्त श्री सूरज भान
34	अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति में '4[illegible]01,686' के स्थान पर '40,01,686' पढ़िये ।
36	पंक्ति 9 में '42' के स्थान पर '43' पढ़िये ।
47	पंक्ति 20 में '3534170' के स्थान पर '3135170' पढ़िये ।
50	पंक्ति 2 में 'श्री [illegible]' के स्थान पर 'श्री [illegible]डिलिगन गौड़' पढ़िये ।
66	पंक्ति 15 में '50,0' के स्थान पर '50.9' पढ़िये ।
72	पंक्ति 6 में 'Shri Bansi Narain Singh' के स्थान पर 'Shri Bansh Narain Singh' पढ़िये ।
87	पंक्ति 9 में '12,93,321.12' के स्थान पर '12,93,327.12' पढ़िये ।